साधारण महिलाओं की असाधारण कहानियाँ

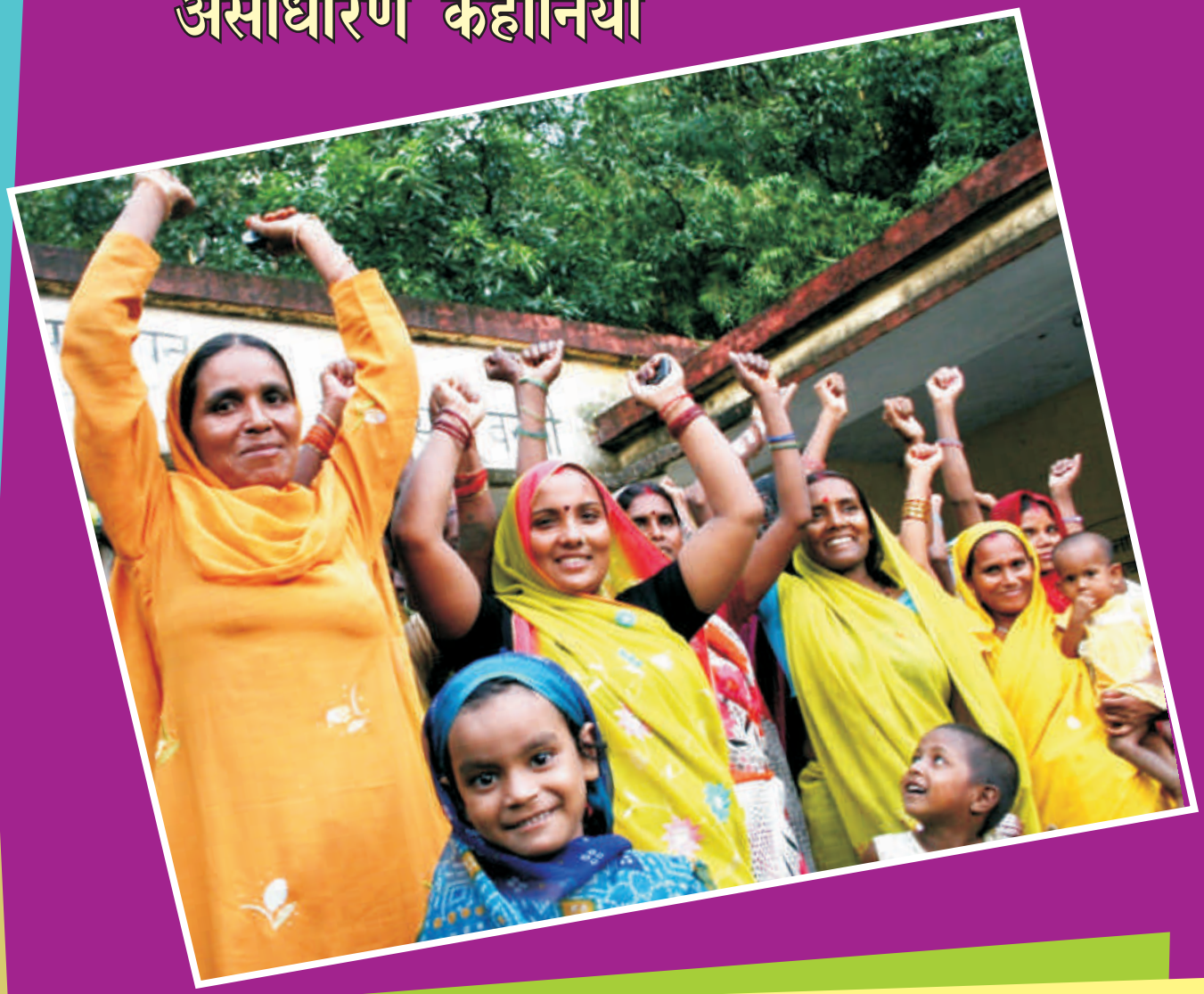

जो जागत है, वो पावत है

(जागरूकता से हकदारी की अनुभूति एवं प्राप्ति होती है।)

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत
नारीसंघ की कहानियों का संग्रह

प्राक्कथन

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पूर्वी उत्तर प्रदेश के इतिहास में अपने आप में एक अद्वितीय एवं पहला कार्यक्रम है जो पूरी तरह से अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ एक बड़े स्तर पर दलित एवं वंचित समुदाय की महिलाओं के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्वांचल की छोटी–छोटी जमीनी स्तर की संस्थाओं को पहली बार अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया गया तथा साथ ही साथ इन नागर समाज संगठनों की क्षमतावर्द्धन का भी काम कर रहा है। इस कार्यक्रम का फोकस मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर है। पहला–वंचित समुदाय की महिलाओं को भारी संख्या में संगठित करके उनके अन्दर इस तरह का नेतृत्व विकास करना ताकि वे खुद अपने हक एवं अधिकार की लड़ाई निरन्तर रूप से लड़ सकें। दूसरा–पूर्वांचल में अधिकार आधारित दृष्टिकोण के साथ महिला सशक्तिकरण, स्थानीय स्वशासन एवं मानवाधिकार के मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाओं का एक ऐसा बड़ा समूह तैयार करना ताकि वो इस क्षेत्र में वंचित समुदाय के हक एवं अधिकार से जुड़े मुद्दों पर सतत् काम कर सके।

यह दस्तावेज पूर्वी उत्तर प्रदेष मे ग्रामीण महिलाओ के बीच परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। जागरूकता के द्वारा प्रेरित और जानकारी से सुसज्जित ये महिलाएं व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपने अधिकारो को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है और साथ ही हक और अधिकारो को जानने के बाद उसको प्राप्त करने का दावा भी कर रही है। ये महिलाए नेतृत्वकर्ता के रूप मे उभर रही है और साथ ही समाज मे अपनी एक अलग पहचान भी बना रही हैं। वास्तव मे ये महिलाए ग्रामीण महिला सषक्तिकरण कार्यक्रम के प्रभाव से ही प्रभावी रूप मे अपना प्रतिनिधित्व कर पा रही है।

पानी संस्थान–पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इन्टीग्रेशन उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में स्थित है जो कि अधिकार आधारित सोच, मुख्यतः महिलाओं के साथ कार्य करती है। पानी के द्वारा अनेक विकास के कार्यक्रमो का क्रियान्वयन स्वयं किया जाता है और कुछ विकास के कायक्रमो का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश की अनेक नागर समाज संगठनो के साथ मिल करके किया जा रहा है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 2007 में 6 संस्थाओं के साथ शुरू हुआ था जो वर्तमान में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 9 जिलो के 37 जमीनी स्तर के नागर समाज संगठन के द्वारा 36 ब्लाक की 666 ग्रामपंचायतो में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम जैसा की नाम से ही इंगित होता है कि यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओ को सशक्त बनाने एवं सामुदायिक संगठन अर्थात नारीसंघ के गठन के माध्यम से उनको हक एवं अधिकार के प्रति जागरूक करके उसकी प्राप्ति सुनिश्चित कराना ही इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तर पर संगठित होने की प्रक्रिया का प्रारम्भ होता है, इन्ही अनेक ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ जब आपस मे मिल करके ब्लाक स्तर पर संगठित होते है तो यही संगठन नारी महासंघ के नाम से जाना जाता है। गठन की प्रक्रिया के अगले चरण मे एक जिले के सभी ब्लाक के ब्लाक स्तरीय नारी महासंघो के जुड जाने से ही जिलास्तरीय नारी महासंघ के गठन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पंचायत से भी ऊपर जाने का उददेश्य है कि जिससे महिलाओ मे संख्या के आधार पर भी ताकत की भावना विकसित हो सके एवं साझा मंच प्राप्त हो सके, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओ एवं उस पर पहल करने की रणनीति की चर्चा कर सके। इसके अलावा, ब्लाक एवं जिले स्तर पर संगठित होना इसलिए भी आवश्यक है कि जिससे महिलाएं अपने हक एवं अधिकारो के लिए पैरवी कर सके, मुख्यत सम्मान के साथ हक एवं अधिकारो को प्राप्त कर सकें।

महिलाओ के अधिकारो के संदर्भ मे उनका सशक्तिकरण हो सके, जिससे कि वे हक एवं अधिकारो को प्राप्त कर सके। इस संदर्भ में वर्तमान में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम मुख्यत तीन अधिकारो पर केन्द्रित है–भोजन का अधिकार, काम का अधिकार एवं स्थानीय स्वशाासन मे भागीदारी करने का अधिकार। कार्यक्रम स्तर पर इन अधिकारो को सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे उचित वितरण सुनिश्चित करने की दिशा मे, मनरेगा के उचित क्रियान्वयन एवं ग्रामसभा का आयोजन करने की मांग एवं उसको एक मंच के रूप मे कार्य करते हुए सहभागी रूप से निर्णय लेने के लिए सुदृढ करना।

प्रत्येक पार्टनर संस्थाओ को पूर्व निर्धारित ग्राम पंचायतो की संख्या के आधार पर ही ग्रामपंचायतो की संख्या मे विस्तार करना है किन्तु यह प्रक्रिया सभी ग्राम पंचायतो मे एक साथ नही प्रारम्भ की जा सकती है। जैसे कि किसी सहयोगी संस्था का लक्ष्य 40 ग्रामपंचायतो मे कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने का है किन्तु चरणबद्ध रूप मे प्रथम वर्ष मे यदि 20 ग्रामपंचायतो मे कार्यक्रम का प्रारम्भ करते है और जब इस समय सीमा मे कार्यक्रम का विकास उचित पैमाने पर हो जाता है तो उस स्थिति मे अन्य ग्रामपंचायतो को भी कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित किया जाता है।

कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टनर संस्थाओ के द्वारा प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओ का उचित ढंग से क्रियान्वयन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। इन कार्यकर्ताओ के लिए पानी संस्थान और उस संस्था द्वारा क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यकमो का आयोजन किया जाता है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण घटक है और इसको विस्तृत रूप मे नियोजित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यकम के मुददे मानवाधिकार, जेण्डर एवं सामाजिक न्याय विषयक प्रशिक्षण, नागरिकता एवं स्थानीय स्वशासन, महिला स्वास्थ्य, मनरेगा पर्सपेक्टिव प्लान, अधिकार आधारित पद्वति एवं सामुदायिक गतिशीलता एवं सहजीकरण की रणनीति एवं पद्धति विषय आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम समय–समय पर आयोजित किए जाते है।

इस कार्यक्रम को वित्तीय सहायता **सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, मुंबई** से प्रदान की जा रही है एवं पीपुल्स एक्शन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन–पानी, कार्यक्रम को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहा है, एवं समन्वयन का काम कर रहा है। इस पूरे कार्यक्रम मे पानी सहयोगी संस्था होने के कारण संस्था स्तर पर विभिन्न मुद्दा आधारित आवश्यकताओ के लिए प्रोग्राम सपोर्ट टीम भी स्थापित की गयी है। यह टीम ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की सभी पार्टनर संस्थाओ के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के क्रियान्वयन, क्षमतावर्धन एवं मानिटरिंग के लिए भी कार्य करती है, जिससे कि कार्यक्रम के वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सके।

किसी भी अन्य कार्यक्रम की भाति ही, इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी अलग–अलग संस्थाओ द्वारा विभिन्न तरीको से सहजीकरण किया जा रहा है, जिसका कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड रहा है। इसी आधार पर क्रियान्वयन करते हुए कार्यक्रम के क्रियान्वयन मे एकरूपता भी दिखायी पडती है। संक्षेप मे, सहजीकरण एवं संस्थागत विशेज्ञता मे विविधता ही इस कार्यक्रम के लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करने मे सहायक है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि 1 लाख ग्रामीण महिलाओ को संगठित करना। वर्तमान मे, यानि मार्च, 2011 तक 80,436 ग्रामीण महिलाए इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठित हो चुकी है। इस पुस्तिका के माध्यम से इस सफर के दौरान प्राप्त हुए अनेक सकारात्मक अनुभव, उपलब्धियां एवं साथ ही साथ अनेक प्रकार की चुनौतियो को भी आपके साथ बांटना चाहते है। किसी भी सामाजिक हस्तक्षेप की सफलता लोगो की मानसिकता, विचारो मे सकारात्मक परिवर्तन एवं संसाधनो तक पहुंच एवं प्राप्ति मे ही निहित है। यहां हम केस स्टडी के माध्यम से इस कार्यक्रम के प्रभाव के परिणामस्वरूप विभिन्न स्तर पर हुए परिवर्तनो को विस्तृत रूप मे प्रस्तुत कर रहे हैं।

ई.आर.डब्लू. कार्यक्रम के सभी पार्टनर्स

विषय सूची

- प्राक्कथन
- ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र 04
- ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ एवं ब्लाक स्तरीय महासंघ की कहानियाँ 05
- नारीसंघ नेतृत्वकर्ता की कहानियाँ 37
- नागर समाज संगठनों की भूमिका और आगे की दिशा 65
- पार्टनर संस्थाओं का विवरण 67
- दस्तावेज में सामान्य रूप से उपयोग किये गये संक्षिप्त एवं स्थानीय शब्द 70

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र

ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ एवं ब्लाक स्तरीय महासंघ की कहानियाँ

1. सामूहिक पहचान का गर्व

"लालसा नारीसंघ ने ग्रामपंचायत, ब्लाक एवं जिले स्तर अपनी अलग पहचान बनायी है। अब लोगो मे हमारी पहचान व्यक्तिगत स्तर से ऊपर होकर हम सभी को नारीसंघ के नाम से जानते हैं।" ये कहना है नारीसंघ की अध्यक्ष सोनिया जी का। आज इनको संगठन से जुड़ करके प्राप्त हुयी नयी पहचान पर बहुत ही गर्व है।

मऊ जिले के घोसी ब्लाक में कार्यरत संस्था भगवान मानव कल्याण समिति के माध्यम से बरौली ग्राम पंचायत में भी ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर लालसा नारी संघ के नाम से पहचान बनी। इस नारी संघ की कुल 178 सदस्य है। नारी संघ के गठन की प्रक्रिया जून 2010 में प्रारम्भ हुआ और गठन के साथ ही महिलाओं की व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में अद्वितीय परिवर्तन की छाप देखी जा सकती है। संगठन की सदस्य मंजू देवी, गीता देवी एवं सोनिया देवी का विकास नेतृत्वकर्ता के रूप में हुआ है। साथ ही ये महिलायें सचिव, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के उत्तरदायित्व का निर्वहन भी प्रभावी ढंग से कर रही हैं।

नारीसंघ के गठन के पूर्व की स्थिति में महिलाएं अपने ही मुद्दों पर संगठित हो करके प्रयास नहीं कर पा रही थी। संस्था के कार्यकर्ताओ ने दलित एवं अतिवंचित समुदाय की महिलाओं को एकत्रित कर संगठित करने का प्रयास किया। संस्था के द्वारा सर्वप्रथम प्रत्येक पुरवे स्तर पर महिलाओं को महिला मण्डल के अर्न्तगत संगठित करने की पहल की गयी और सभी पुरवे में महिला मण्डल का गठन किया गया। इसके अगले चरण में एक ग्राम पंचायत के सभी महिला मण्डल को एकत्रित कर पंचायत स्तर पर नारी संघ का गठन किया गया।

भगवान मानव कल्याण समिति के द्वारा ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 30 ग्रामपंचायत मे हस्तक्षेप किया जा रहा है। संस्था के द्वारा नारीसंघ के क्षमतावर्धन के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण मे पहल करने के लिए समय समय पर आवश्यकता आधारित अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो का आयोजन किया जाता है। सीख भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन भी अन्य संस्थाओ के कार्यक्षेत्र मे किया जाता रहा है जिससे कि महिलाओ मे मुद्दों पर पहल करने की समझ विकसित होती है एवं पहल करने के लिए प्रेरित भी करती है।

अन्य नारीसंघ की तरह ही लालसा नारीसंघ अच्छी तरह से काम कर रहा है। सदस्यो न सर्वसम्मति से तीन महिलाओ को अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के रूप मे काम करने के लिए क्रमशः चयनित किया है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी संगठन की बैठको की अध्यक्षता करना, मुद्दो पर संगठन की सहमति से निर्णय लेना एवं निर्णय लेने मे मदद करना, स्थानीय नेताओ और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों और चर्चाओं मे नारीसंघ का प्रतिनिधित्व करते है। सचिव की जिम्मदारी बैठक का एजेण्डा तैयार करना एवं बैठक की चर्चा एवं निर्णयो का दस्तावेजीकरण करना है। कोषाध्यक्ष सदस्यता शुल्क और खर्च का विवरण रखती है।

लालसा नारीसंघ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिलाएं सशक्त संगठन के माध्यम से वे अधिकारो को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें एवं चुनौती की स्थिति में ग्रामपंचायत से ले करके जिले तक पैरवी एवं दबाव बना करके हक एवं अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करा सकें।

लालसा नारीसंघ का एक स्पष्ट नजरिया है। वे महिलाओ के अधिकारो के लिए एक मजबूत संगठन बनाने का कार्य की, जिससे कि महिलाओ का

समूह समस्याओ के समाधान के लिए दबाव समूह के रूप मे कार्य कर सकें। नारीसंघ के द्वारा किसी मुद्दे / समस्या जिसका प्रभाव बहुतायत मे होता है उस पर आम सहमति के साथ समस्या ली जाती है। सामान्यतः महिलाएं समाधान की पहल ग्रामपंचायत मे ही करती है। यदि प्रधान कोई प्रतिक्रिया नही करते तब समस्या पर पहल करने के लिए नारीसंघ द्वारा ब्लाक एवं जिले स्तर पर पहल की जाती है।

संस्था के अनुसार "महिलाओ की एकता एवं सामूहिक भावना ही नारीसंघ के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके परिणामस्वरूप ही किसी समस्या पर आपस मे चर्चा करने के बाद ही उस पर संगठित हो कर पहल भी करती है।" यह वास्तव मे अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो महिलाएं पहले एक दूसरे को जानती तक नही थी आज वे संगठित हो दृढप्रतिज्ञ हो करके अपने हक एवं अधिकारों को प्राप्त करने की पहल कर रही हैं।

लालसा नारीसंघ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास कर रहे है। अनेक चुनौतियो का नारीसंघ ने दृढ़कौशल एवं संगठन की भावना से सामना भी किया है। सोनिया देवी मनरेगा के अंतर्गत नारीसंघ के द्वारा किए गए काम का आवेदन देने की घटना का बयान कर रही है। जब नारीसंघ की सदस्य संबंधित अधिकारियो को काम का आवेदन देने के लिए गयी तब उनको बहुत ही बुरा लगा और डांटने लगे। सुनीतादेवी बताती है कि "जब 14 दिन बाद भी काम प्राप्त नही हुआ, तब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया गया और यह सब देख करके रोजगार सेवक गुस्से मे मेरे घर आया और कहाकि "तुम नेता बन गयी हो, बताओ कि क्या करोगी, जब गाव मे काम ही नही है" यह सब सुन कर परिवार के लोग क्रोधित हुए और मुझे डांट भी पडी "। दोनो से डांट पडने के बावजूद भी उसने हिम्मत नही हारी क्योकि वह नरेगा एक्ट के काम न उपलब्ध होने पर बेरोजगारी भत्ते के बारे मे जानती थी। अत अधिकार को प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन का प्रयोग करके सारी समस्याओ को बताया एवं दबाव के परिणामस्वरूप काम प्राप्त हुआ।

उसी समय दूसरी घटना घटी, जब काम का आवेदन देने के लिए नारीसंघ की महिलाएं गयीं, तब रोजगार सेवक क्रोधित हो करके महिलाओ को भगाने का प्रयास करने लगा। "जब पुरूष काम की मांग नही करते, तब आप लोग कैसे कर सकती है?" इस बार सब तरह की प्रतिक्रियाओ के लिए महिलाएं तैयार थी परिणामस्वरूप उत्तर मे महिलाओ ने कहा कि "यदि आप लोग स्वीकार नही करेगे तो हम लोग ब्लाक पर बी डी ओ से रीसिव कराएंगे।" इतना सुन करके आवेदन स्वीकार करके काम उपलब्ध कराया गया। निराश रोजगार सेवक महिलाओ को ठीक से काम करने नही देता और शक्ति का प्रयोग करके परेशान करने की कोशिश करता। वह उन लोगो के काम मे कमियो निकाल करके लगातार कहता रहता कि "अगर काम सही से नही किया तो मजदूरी भी नही मिलेगी"। एक बार पुन संगठन के लोगो ने हेल्पलाइन का प्रयोग ब्लाक से किसी अधिकार को नरेगा के काम को स्वीकृति करने के लिए आने का अनुरोध किया। अन्ततः जो लोग (रोजगारसेवक तथा प्रभावी एवं दबंग) परेशान कर रहे थे उनको एक सबक सीखने को मिला। अब महिलाओ को चुप कराना आसान नही था क्योकि महिलाए संगठित व जानकारियों से सुसज्जित हैं।

मनरेगा के प्रभावी क्रियान्वयन के अलावा, ग्रामसभा के क्रियान्वयन के लिए भी नारीसंघ के द्वारा प्रभावी पहल की गयी।महिलाओ द्वारा ग्रामसभा की मांग प्रधान से की गयी और तब से ग्रामपंचायत का आयोजन पूरे कोरम के साथ आयोजित होने लगा और नारसंघ के सदस्य लिखित एजेण्डे के साथ प्रतिभाग करके विकास से संबंधित मुददो पर किए जा रहे निर्णय करने मे भी सक्रिय भूमिका निभा रही है।

प्राय ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचित एवं सरकारी तंत्र से जुडे लोग भी आम लोगो के प्रति अपनी जिम्मदारी का वहन नही करते। एक ऐसी ही घटना आंगनवाड़ी केन्द्र पर घटित हुई जिसके अंतर्गत नारीसंघ के द्वारा अनियमितता देखी गयी और उसको सही करने के लिए पहल भी गयी। आंगनवाड़ी केन्द्र पर गर्भवती महिलाओ एवं शिशुओ को पोषाहार वितरित किया जाता है इसके बाद भी बहुत सी महिलाओ को न तो कभी बताया गया अथवा वितरित किया गया परिणामस्वरूप आत भी बहुत सी महिलाए जानती भी नही है। अत नारीसंघ ने सूचना के अधिकार का प्रयोग करके सूचना प्राप्त की और कमियो का भी चिन्हित करके आंगनबाड़ी को सुधारने के लिए कहा और परिणामस्वरूप उसके कार्य मे सुधार भी हुआ, आज वह सभी को आवश्यक सेवा एवं सुविधाए प्रदान कर रही है।

लालसा नारीसंघ के संगठित हो करके प्रयास करने के परिणामस्वरूप सेवादाताओ एवं निर्वाचित व्यक्तियो की जबावदेही भी होने लगी है।

2. सूचना की शक्ति

सूचना वास्तव मे एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हालांकि, इस सूचना के युग की विडम्बना है कि यह समानरूप से सभी के लिए उपलब्ध नही है। कुछ के लिए तो यह आसानी से उपलब्ध है जबकि अन्य के लिए बहुत ही दुर्लभ है।

ज्योति नारीसंघ की अध्यक्ष नन्हकी देवी मानती हैं "हम गरीब लोगो के पास इन सूचनाओ को प्राप्त करने के लिए न तो संसाधन है और आवश्यक जानकारी भी नही है।यहां तक की ये भी नही जानते की किस काम के लिए कौन जबावदेह एवं जिम्मेदारी है।" वे और उनके गाव चौकिया की अन्य महिलाए सूचना के अभाव मे ग्रामपंचायत से ले करके ब्लाक तक की सूचना को प्राप्त करने मे इसी तरह की लाचारी का एहसास करती है।इसीलिए जब ग्रामीण विकास संस्थान के द्वारा इन मुददो पर प्रारम्भिक बैठको का आयोजन किया गया, इससे महिलाओ का ध्यान आकर्षित हुआ और वे प्रभावित हो करके बैठको मे प्रतिभाग करने लगी। नन्हकी देवी कहती है कि "जब हम लोग एक साथ आने लगे और बैठक मे सूचनाए मिलने लगी, तब हम लोगो को महसूस हुआ कि संगठित हो करके हम अनेक सूचनाए प्राप्त कर सकते हैं।"

वर्ष 2009 मे गाजीपुर के सदर ब्लाक की चौकिया ग्रामपंचायत मे ज्योति नारीसंघ का गठन हुआ। महिलाओ ने नन्हकी देवी को अध्यक्ष, रूकमिनी देवी को सचिव एवं मीना देवी को सूचनामंत्री चुना गया। अगुआ महिलाओ के अनुसार " अगुआ के रूप मे हमारी भूमिका, महिलाओ मे एकता की भावना का विकास एवं समूह को मजबूत बनाने का कार्य करना एवं हम सामूहिक लाभ के मुददो का चुनाव करके सामूहिक लाभ के लिए पहल करते है।"

अन्य बातो के अलावा, नारीसंघ प्रमुख एवं प्रासंगिक जानकारियो को सदस्यो को सुलभ करते है।सूचना जागरूकता को एवं जागरूकता, जानकारी ही कार्यवाही के लिए प्रेरित करते है।

ज्योति नारीसंघ ने मौजूदा कमियो को पता करके सरकार के कार्यक्रमो को प्रभावीढग से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया है। ऐसा करने मे उन लोगो ने भी चुनौती दी है जिन लोगो के हक एवं अधिकार अभी प्राप्त नही हो सके है।

नन्हकी देवी ने नारीसंघ के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को नियमित एवं सुलभ बनाने के लिए की गयी पहल को बताते हुए कहती है कि, " पहले स्थिति बहुत ही दयनीय थी, कोटेदार गुणवत्तापूर्ण राशन को बाहर बाजार मे बेच देते थे और हम लोगो को निम्नकोटि के राशन देते थे। जब भी कोई विरोध करता, तब वह उससे गाली गलौज करता व तिरस्कृत करके थैले और डिब्बे को फेंक देता और कहता कि जाओ जो करना है कर लो। हम उसके व्यवहार से परेशान थे, किन्तु उसको एवं उसके व्यवहार को सुधारने का कोई रास्ता पता नही था। नन्हकी देवी बताती है कि "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कानून एवं नियमो को जानने के पश्चात, महिलाओ ने व्यक्तिगत लाभ को प्राप्त करने के लिए पहल की। किन्तु अब भी कोटेदार के रवैये मे कोई परिवर्तन नही हुआ और अंतत नारीसंघ के सदस्य सामूहिक रूप से बात करने के लिए उसके पास गयी। "हमने गुणवत्तापूर्ण राशन के वितरण की मांग की, और चेतावनी देते हुए कहा कि हम लोग अनाज का नमूना ले करके जिला मजिस्ट्रेट के यहा आप के खिलाफ शिकायत करेगे।" यह प्रभावी रहा और परिणाम स्वरूप राशन की गुणवत्ता मे सुधार हुआ। हांलाकि कोटेदार गाव मे दूर के पुरवे की महिलाएं, जो कि संगठित नही थी, को अभी पहले की ही तरह राशन दे रहा था। उन

अन्य बातों के अलावा, नारीसंघ प्रमुख एवं प्रासंगिक जानकारियो को सदस्यो को सुलभ कराते है। सूचना जागरूकता को एवं जागरूकता तथा जानकारी ही कार्यवाही के लिए प्रेरित करते हैं।

महिलाओ ने भी कोटेदार की अनियमितता के खिलाफ नारीसंघ की सदस्यो से बात की और नारीसंघ की सदस्य के रूप मे संगठन से जुड गयी। इस पहल के परिणामस्वरूप राशन वितरण मे सुधार हुआ और साथ ही संगठन की शक्ति का भी विस्तार हुआ।

नारीसंघ के सदस्यो का यह अनुभव किया है कि एक बार के प्रयास से स्थायी सफलता व परिवर्तन सम्भव नही है। इसलिए उन्हे निरंतर पर अपने कामकाज की नवाचार करना चाहिए। "नारीसंघ की अगुआ को जब से सूचना के अधिकार के अर्न्तगत राशन के मूल्यो, दर की सूची व गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त हुई तबसे कोटेदार नारीसंघ की उपस्थिति में ही मानक के अनुसार सही दर व गुणवत्तापूर्ण राशन का वितरण करते है और जिससे सभी बहने बहुत खुश है।" नन्हकीदेवी ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन करके अपने ग्रामपंचायत की सूचना प्राप्त किया। इसी क्रम मे नारीसंघ की अगुआ ननकी देवी ने सूचना के अधिकार का उपयोग एवं सफलता की चर्चा महासंघ की बैठक में चर्चा की, जिससे की अन्य नारीसंघो को भी उत्साह मिला।

अनेक अवसरो पर गांव के लोग संगठन की शक्ति एवं नेतृत्वकर्ताओ को चुनौती देते थे। इसी तरह की एक घठना को नन्हकी देवी ने बताया ,"5 लड़कियो को सावित्री बाई फुले योजना के अंतर्गत लाभाथी के रूप मे आवेदन किया किन्तु पात्रता को पूरा करने के बावजूद भी उन लोगो को लाभ नही मिला रहा था।" यह जानने के बाद मैने उनको लाभ दिलाने और अपात्र बताने वालों को गलत साबित करने की चुनौती देने का निर्णय लिया। इस मुददे को साबित करके लाभार्थियो को लाभ दिलाने के लिए ब्लाक स्तरीय अधिकारियो से बात करके इस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई से उनको अवगत कराया। यह मामला एक वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर न होने के कारण लम्बित था अत इस पर भी तुरंत कार्यवाही करके पूर्ण किया गया। लडकियो को योजना के अतर्गत साइकिल का वितरण किया गया और वितरण के समय ही अधिकारी ने नन्हकी देवी से कोई भी पसेद की साइकिल का चुनाव करके देने का भी अधिकार दिया। नारीसंघ की अध्यक्ष कहती हैं कि "इस घटना के बाद मे लोगो ने नारीसंघ की एकता एवं व्यक्ति को स्वीकार करके मान्यता भी दी।"

हांलाकि महिलाए संगठन की शक्ति के प्रति जागरूक है और रणनैतिक दृष्टिकोण के साथ आगे प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं। नन्हकी देवी के शब्दों में "प्रारम्भ में हम लोग अपनी ही शेष मजदूरी के लिए भी विन्रम भाषा में अपनी बात कहते थे यदि तभी भी सुनवाई नही होती थी तो हम सामूहिक रूप से जाते थे"। नारी संघ की उपास्थिति सरकारी अधिकारियो के समक्ष भी जो कि अपने कार्य एवं जिम्मेदारियों का सही तरह से निर्वहन नही करते, उनके लिए नारी संघ दबाव समूह के रूप में कार्य करता है। इससे भी आगे महिलाए अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तैयार है।" हम आपके जेब से नहीं मांग रहे, जो सरकार ने हमारे लिए प्रावधान किया है, वही हमे चाहिए" इस तरह से ये महिलायें सहयोग न करने वाले सरकारी अधिकारियों के सामने अपनी बातें रखती है।

ब्लाक स्तरीय अग्नि नारी महा संघ में 5143 महिलायें सदस्य है ,ज्योति नारी संघ भी इसका एक भाग है जिसमें 152 सदस्य है। नारी महा संघ के माध्यम से कार्यक्षेत्र की अगुआ महिलाये एक दूसरे का सहयोग करती है, साथ ही संगठित होकर समास्याओं पर पहल भी करती है। इसीक्रम मे रूहीपुर नारीसंघ की अध्यक्ष संगीता देवी द्वारा पंचायत सचिव के निरंतर अनुपस्थिति के मुददे को बैठक मे उठाया गया। महासंघ के द्वारा इस मुददे पर पहल करते हुए पंचायतसचिव के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी। इसीक्रम मे औरंगाबाद नारीसंघ की अध्यक्ष अनरसी देवी के साथ भी महासंघ ने इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की, परिणामस्वरूप उनको न्याय भी मिला। गाव के कुछ दबंग लोगो ने अनरसी देवी को बुरी तरह से पिटाई की और जब पीडित रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन पहुची तो वहा भी उसकी कोई सुनवायी नही हुई। किन्तु जब महासंघ की पहल के परिणामस्वरूप पुलिस को दोषियो के खिलाफ कार्यवाही करनी पडी। अब नारीसंघ को लगता है कि उनकी ताकत मे महत्वपूर्ण कई गुना वृद्धि हुई है।

ज्योति नारीसंघ की कहानी की सफलता का श्रेंय महिलाए को मार्गदर्शन, आवश्यक सूचनाओ एवं जानकारियो की निरन्तर उपलब्धता एवं उनके द्वारा गतिविधियो एवं कार्यवाहियो का निर्धारण ही है।" गांव के शक्तिशाली लोग, प्रधान एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों ने तो कभी सपने मे भी नही सोचा होगा कि जो काम अभी तक पुरूष नहीं कर पा रहे थे, उसको करने का हम महिलाएं भी सोच भी सकते।" अपनी क्षमता को साबित करके आज ज्योति नारीसंघ को यह बताने मे गर्व का अहसास होता है।

3. सरकारी कार्यालयों तक पहुंच

"पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग सिर्फ घर का ही काम कर सकते है, नारीसंघ से जुडने के बाद हमको यह अहसास हुआ कि हम घर से बाहर भी काम करने के लिए सक्षम है ", यह कहना है ,गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लाक के मोलनपुर गॉव की उजाला नारी संघ की अध्यक्ष सुधेश्वरी देवी का।

उनके अनुसार, सबसे बड़ी उपलब्धि है, महिलाओं का बड़ा हुआ आत्मविश्वास और उनके विवेक के आधार पर सार्वजनिक मुददो को संभालने की क्षमता मे भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

सुदेश्वरी देवी के अनुसार, महिलाओं की मुख्य उपलब्धि रही है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, जिसके कारण ही वे सामाजिक मुद्दों पर पहल कर परिणाम प्राप्त करने मे सक्षम हो गयी है।

उजाला नारीसंघ का गठन मार्च 2010 मे हुआ और 152 महिलाए सदस्य भी है। जबकि सुदेश्वरी देवी नारीसंघ की अध्यक्ष, रजनी देवी सचिव के रूप मे एवं संतरादेवी मंत्री के रूप मे नारीसंघ का कार्यभार संभालती है।

इस गांव मे महिलाओ की साक्षरता दर अभी भी बहुत कम है, जिसके कारण महिलाओ मे कुछ उलझन रहती है कि वे अपनी बाते सरकारी अधिकारियो के सामने कह भी पाएंगी या नही। नारीसंघ की अध्यक्ष के शब्दो मे नारीसंघ गठन से पूर्व की स्थिति "पहले हम लोगो को काम के अधिकार, भोजन, पेंशन एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओ के विषय मे कोई जानकारी नही थी, इसके साथ ही हम लोग अपने कामो मे इतना व्यस्त रहते थे कि आपस मे भी बात करने का समय भी नही मिल पाता था।"

हम ऐसा नही कह सकते कि नारीसंघ के गठन के पश्चात स्थितियो मे पूरी तरह से परिवर्तन हो गया है, किन्तु यह अवश्य है कि इसी के साथ ही परिवर्तन की प्रकिया का प्रारंभ हुआ है। महिलाए अब अपने हक के प्रति जागरूक हो गयी है और वे महसूस करती है कि हक एंव अधिकारो पर दावा करने के लिए उनको संघर्ष करना पडेगा।

उजाला नारीसंघ ने मनरेगा मे काम सुनिश्चित करने के लिए एक लम्बी लडाई का प्रारम्भ कर दिया है। जिसका प्रारम्भ 35 महिलाओ के द्वारा जॉबकार्ड के आवेदन से प्रारम्भ हुआ।नारी संघ की नेतृत्वकर्ता को याद है कि किस तरह से प्रधान ने उन्हे धमकी दी थी जब वे पहली बार प्रधान को आवेदन देने के लिए गयी थी, तब उन्होने आवेदन लेने से इन्कार कर दिया था। नाराज प्रधान ने चिल्लाते हुए कहा कि " तुम लोग पुलिस की मार खाने के बाद ही समझोगे।" उसको यह बर्दाश्त नही हुआ कि महिलाए उसके सामने अपनी बकाया धनराशि की मांग कर रही है। अतः नारीसंघ की सदस्य ब्लाक स्तरीय अधिकारियो से जॉबकार्ड प्राप्त करने के लिए मिली एवं लिखित आवेदन दिया, प्रधान ब्लाक स्तरीय कार्यालय से प्राप्त आदेश के पश्चात प्रधान ने 3 माह के संघर्ष के बाद जॉबकार्ड प्राप्त हुआ।

महिलाओ को जॉबकार्ड तो मिल गया, किन्तु प्रधान के नाराज होने के कारण महिलाओ को सहयोग करने के लिए तैयार नही था। इसी कडी मे जब महिलाएं काम का लिखित आवेदन करने ले करके प्रधान के यहा गयी तब प्रधान ने कहा कि वे ब्लाक स्तरीय अधिकारियो से चर्चा के उपरांत ही आवेदन स्वीकृत करेगे।

जब प्रधान को कई बार आवेदन देने का प्रयास असफल होने के कारण महिलाओ ने ब्लाकस्तरीय अधिकारियो से मिल करके आवेदन देने का निश्चय किया। अभी तक महिलाओ को सहयोग न करने के लिए सभी एक दूसरे के साथ थे। इसलिए जब नारीसंघ की महिलाए ब्लाक पर बी डी ओ को आवेदन देने के लिए गयी तब उन्होने आवेदन को ग्राम सचिव से रीसिव कराने के लिए कहा।इसी क्रम मे जब महिलाए ग्राम सचिव के पास आवेदन रीसिव कराने के लिए पहुची तब उसने भी रीसिव करने मे असमर्थता व्यक्त की। अब महिलाए हत्तोत्साहित होने लगी थी। तब जन ग्रामीण विकास संस्थान (कार्यक्रम का संचालन करने वाली संस्था) के मार्गदर्शन मे महिलाए कार्यक्रम अधिकारी से मिली किन्तु यहॉ भी असफलता ही मिली, क्योकि उन्होने भी बी डी ओ से ही मिलने को कहा। जैसे ही बी डी ओ को पता चला की नारीसंघ की महिलाए उनके कार्यालय आ रही है, तो वे आफिस से चले गए।यह स्थिति देखने के बाद महिलाओ को गुस्सा भी आने लगा।

बार बार एक समस्या के बाद दूसरी समस्या देखने के बावजूद भी महिलाओ के द्वारा हक को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया का ही अनुसरण किया गया। नारींसघ के प्रयास से जब सफलता नही मिली तब उन्होने मनरेगा हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करायी। इसका परिणाम आश्चर्यजनक रहा। ब्लाक स्तरीय अधिकारियो को महिलाओ के कार्य के संदर्भ मे आदेश हुआ और अधिकारियो ने प्रधान को भेज दिया। महिलाओ को आज भी याद है कि किस तरह से प्रधान दौडते हुए उनके पास आए थे। काम के आवेदन की स्वीकृति न होना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है। प्रधान ने महिलाओ से लिखित मे देने का आग्रह किया कि उन्हे अब काम प्राप्त हो चुका है। प्रधान ने महिलाओ से काम देने का वादा किया, किन्तु महिलाओ ने उसकी बात पर भरोसा नही किया। महिलाओ ने प्रधान से पहले काम के आवेदन को रीसिव करके पावती देने को कहा और तब ही महिलाए लिखित मे पत्र देगी। अब प्रधान के पास औरकाई रास्ता न होने के कारण उसको आवेदन रीसिव करके पावती देनी पडी।

अब तो यह स्पष्ट ही था कि प्रधान के वादे एवं बातो का कोई भरोसा नही है। कुछ दिनों के बाद प्रधान ने कुछ मजदूरो को खड़ण्जा लगाने का काम दिया। जब इस बात का पता नारीसंघ को चला तब महिलाएं कार्यस्थल पर पहुची। जैसे तैसे प्रधान ने महिलाओ को वहां से वापस करने का प्रयास किया किन्तु महिलओ ने उनका विरोध किया।प्रधान के ही एक सहायक ने वही से पुलिस को फोन करके बुला लिया और पुलिस ने संबंधित अधिकारी से बात करके इस मामले की सुलह करने का आदेश दिया। अत नारीसंघ ने पुन कार्यक्रम अधिकारी सं बात करके पूरी समस्या से अवगत कराया। परिणामस्वरूप उन्होने महिलाओ को नरेगा मे काम देने के लिए महिलाओ के उपर दबाव डाला। अन्ततः लम्बे संघर्ष के बाद महिलाओ को मनरेगा मे 5 दिन का काम प्राप्त हुआ और यह क्षण महिलाओ के लिए गर्व का था।

अगले ही दिन प्रधान ने नारीसंघ की महिलाओ के साथ एक नया खेल खेला। उसने नारीसंघ की बहनो से कहा कि उनके खेतो से होते हुए एक चकरोड पास हुई, अत वे जल्दी से जल्दी अपने खेतो मे खडी धान की फसल काट ले अथवा वो भी नष्ट हो जाएगी। जब संस्था को इस बात मुददे की जानकारी हुई तों उन्होने महिलाओ से ग्राम सभा की एक कॉपी, जिसमे की यह चकरोड पास हुई थी। और यदि निर्णय पहले ही ले लिया गया है तो महिलाओ को मुआवजा मिलना चाहिए।प्रधान को जब महिलाओ ने कॉपी से अवगत कराया तब उसने कहा कि पहले तुम लोग फसल काट लो। तब महिलाओ ने दृढ़तापूर्वक कहा कि सडक बनान की अनुमति तब तक नही है, जब तक कि उनको मुआवजा नही मिलता।

उजाला नारीसंघ ने अभी तक एक लम्बा रास्ता तय किया है, महिलाए जो अभी तक घरो की चहरदिवारी के अंदर उनमे आत्मविश्वास नही था आज वे ही अपने अधिकारो की वकालत करने लगी है। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती है कि "हम लोगो ने कभी सोचा भी नही था कि हम लोग ब्लाकस्तरीय कार्यालयो मे अधिकारियो से मिल करके अपनी बात कह सकेगे, किन्तु यह हम सब लोगो ने कर दिखाया है।"

उनकी क्षमता को देखने के बाद भी वे महसूस करती है कि उन्हे अब भी बहुत कुछ सीखना है। "हम लेंगो का पूरी तरह से अभी विकास नही हो पाया है, और अच्छे नेतृत्वकर्ता बनने के लिए और जानकारी एवं सीखने की आवश्यकता है।" महिलाओ को अभास है कि वे सही रास्ते पर चल रही है किन्तु अभी भी संतुष्ट नही है।

4. महिला नेतृत्व को मिली सामाजिक पहचान

"का हो नेता जी ....."सुनीता देवी बताती है कि इस तरह से गांव के लोग उनसे बात करते है। सुनीता देवी चिंगारी नारीसंघ की अध्यक्ष है। नारीसंघ की अध्यक्ष कहती है कि "लोग हमे नेता के रूप मे देखते है, जब से मै लोगो की समस्यओ पर पहल करके समाधान करने के लिए ब्लाक से ले करके जिलास्तरीय अधिकारियो से संपर्क करने लगी हूं।"

समाज मे नेतृत्वकर्ता की भावना एवं अपेक्षा सदा पुरूषो से ही रही है महिलाओ से नही। हालांकि, नारीसंघ इस प्रचलित अवधारणा के परिवर्तन मे महत्वपूर्ण रही है।नारीसंघ के संबोधन मे महत्वपूर्ण परिवर्तन आसानी से दिखायी पडता है।

चिंगारी नारीसंघ का गठन वर्ष 2010 मे मऊ जिले के मोहम्दाबाद ब्लाक के चकजाफरी गाव मे प्रारम्भ हुआ। महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति के द्वारा नारीसंघ के गठन किया गया जिसमे की सुनीता देवी अध्यक्ष, विमला देवी सचिव एवं गीता देवी कोषाध्यक्ष के रूप मे कार्य कर रही है।

अब तक नारीसंघ की कुल 99 सदस्य है। इनमे से अधिकतर महिलाए कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी एवं उनका लाभ तथा इन्ही सब कारणो से सामूहिक रूप से नारीसंघ के गठन का निर्णय लिया।

हांलाकि महिलाओ ने एक साथ रहने का निर्णय कर लिया था किन्तु पुरूष इस विचार से सहमत नही थे। सुनीता देवी को याद आता है "मेरे पति एवे ससुर भी मेरे नारीसंघ का सदस्य बनने से प्रसन्न नही थे।वो कहते कि 'प्रधान के खिलाफ मत जाओ।" अन्य महिलाओ को भी उनके परिवार के पुरूषो द्वारा कुछ इसी तरह की बातें सुननी पडी। उनके विरोध के बावजूद नारीसंघ भी नारीसंघ ने अपना कार्य जारी रखा। विशेष रूप में, उन लोगो ने मनरेगा के अंतर्गत जॉबकार्ड प्राप्त करने एवं काम पाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया।

ग्रामप्रधान को सबसे अप्रिय घटना महिलाओ द्वारा काम की मांग करना लगा। पहले मनरेगा एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओ के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि मे हेर–फेर करना आसान था। किसी को भी योजना के बारे मे जानकारी न होने के कारण मुश्किल से ही कुछ लोग काम की मांग करने आते थे। अतः सब पर प्रधान का ही नियंत्रण रहता था। वह चुनिंदा मजदूरो को ही काम देता ाि एवं उनको भी उनकी पूरी मजदूरी का भुगतान नही करता था। इसलिए वह नारीसंघ सदस्यो को काम देने का इच्छुक नही रहता था, किन्तु सार्वजनिक रूप मे उनको काम के लिए मना भी नही करता था, परिणामस्वरूप 50 महिलाओ को चकरोड का काम भी मिला।

महिलाओं के सामाजिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। महत्वपूर्ण बात है कि उनके प्रति हो रही हिंसा में भी कमी हो रही है।

नारीसंघ की महिलाएं अपनी सामूहिक सफलता से बहुत खुश थी और अगले दिन भी काम करने के लिए समय से कार्यस्थल पर पहुॅची। इसी बीच कार्यस्थल पर प्रधान एवं रोजगार सेवक दोनो ने ही महिलाओ को परेशान करने का दृढ़श्चिय करके गए थे, जिससे कि महिलाए स्वयं ही कार्यस्थल को छोड करके चली जाएं। रोजगार सेवक बराबर से उनके द्वारा किए जा रहे काम मे कुछ न कुछ गलती निकालने मे लगा था और उनकी मजदूरी काट लेने की धमकी दे रहा था। अगले दिन तो वह और ही आक्रामक हो गया।वह महिलाओ के पास पहुचा, उन्होने अभी काम प्रारम्भ ही किया था और वह उनके उपर अनावश्यक ही चिल्लाने लगा। तब महिलाओ को अहसास हुआ कि वे दोनेा क्या करना चाहते है। उन्होने सोचा था कि इस तरह से प्रताडित करने पर वे स्वयं ही काम छोड़ देंगे, किन्तु महिलाओ ने उनकी मंशा को गलत सिद्ध कर दिया।

इसके विपरीत महिलाओ ने प्रताडना के लिए स्वये ही उसको मौका देने लगी क्योकि अब उन्होने इस मुद्दे को बाहर (ब्लाक स्तरीय अधिकारियो) ले जाने का निर्णय कर लिया था।

नारीसंघ ने ब्लाकस्तरीय कार्यालय पर जा करके इस अन्याय के विरूद्ध रिपोर्ट करने का निर्णय लिया। उन्होने रोजगार सेवक के द्वारा उपयोग किए गए अभद्र भाषा एवं उसके व्यवहार को बताया। एम जी एस एस संस्था के कार्यकर्ता भी वहा उपस्थित हो कर महिलाओ का सहयोग कर रहे थे।कुछ पत्रकार भी आ गए।इस प्रकार छोटी सी अवधि मे महिलाओ की वास्तविक मांग की दिशा मे बडा समर्थन मिला। अधिकारियो ने त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रधान, सचिव एवं रोजबार सेवक को बुला करके कानून एवं नियम को पालन करने का कडे शब्दो मे आदेश दिया। रोजगार सेवक के विरूद्ध जांच का आदेश दिया। इस सफलता से सामूहिकता की भावना मजबूत हुई।

महिलाए अपनी सामाजिक स्थिति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखती है,और यह महिलाओ के विरूद्ध हो रही घरेलू हिंसा जैसी समस्याओ को समाप्त करने का नेतृत्व भी कर रही है। उन्ही मे से एक अगुआ महिला भी घरेलू हिंसा का शिकार थी, उनके पति शराब पी करके मार–पीट करता था। नारीसंघ ने कई बार उससे इस तरह के व्यवहार को बंद करने के लिए बात भी की थी। "अब वह कभी मारता नही अपितु उसके काम मे सहयोग करता है ,बच्चो की जिम्मेदारी मे भी हाथ बंटा करके साथ देने लगा है।"

चिंगारी नारीसंघ ने संस्था द्वारा चलाए गए ग्रामस्वराज्य अभियान मे भी सक्रिय भागीदारी की थी।इसी अभियान के अंतर्गत महिलाओ ने गॉव स्तर पर विकास समूह के रूप मे "विकास दल" का गठन किया।समूह के सदस्य प्रत्येक मतदाता तक पहुच करके उनके विकास के मुददो जैसे स्वास्थ्य, शिक्ष एवं ग्रामीण विकास के मुददो की प्राथमिकता का संकलन करना था। इस तरह से यह संकलन ही मतदाताओ के समक्ष एक उदघोषणापत्र के रूप मे प्रस्तुत किया गया। मतदाताओ को निर्वाचित करने के क्रम मे मतदाताओ के साथ खुली चर्चा का आयोजन भी किया गया। सभी प्रतिभागियो ने इन मुद्दो पर कार्य करने का वादा भी किया। नारीसंघ की इस पहल के परिणामस्वरूप चयनित प्रधान महिलाओ को प्रत्येक कार्य के लिए सूचित करते है और जवाबदेही भी सुनिश्चित करते है। सामूहिक मांग करने पर ग्रामसभा का आयोजन तो करते ही है साथ ही विकास दल द्वारा चिन्हित एवं चयनित व्यक्तियो की पात्रता सुनिश्चित करके उस पर पहल भी करते है।

चिंगारी नारीसंघ की अगुआ महिलाओ ने स्थानीय स्वशासन मे उनकी भागीदारी एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया मे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। "पहले महिलाए ग्रामसभा की खुली बैठक जैसी बातो से अनभिज्ञ थी, उनको लगता था कि ये सब तो सिर्फ पुरूषो के लिए ही है। किन्तु अब वे प्रतिभाग करके अपने विचारो को भी बैठक मे रखने लगी है।" महिलाओ की गतिशीलता एवं उनके आत्मविश्वास मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।" जब आवश्यकता पडती है तब महिलाए ब्लाक कार्यालयो मे आसानी से जाने लगी है, अब उनको किसी भी तरह का डर या संकोच नही लगता है।" महिलाए यह भी बताती है कि अब इतनी सक्षम हो गयी है कि अपने सरकारी कार्यालयो मे अपने काम बिना रिश्वत दिए काम करा लेती है।

नारीसंघ जहॉ अपनी सफलता एवं उपलब्धियो को प्रसन्नता के साथ बताती है तो साथ ही कुछ ऐसे मुददो को भी रखना नही भूलती जिन क्षेत्रो मे की अभी पहल करने की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप मे वे बताती है कि जैसे महिलाए निर्वाचित पदो पर अभी भी सक्षम और मुखर नही हो पा रही है क्योकि कोटा के प्रावधान के अनुसार महिलाओ को आरक्षण तो मिलता है किन्तु उनके कार्यो को घर के पुरूष एवं बेटो के द्वारा ही निर्णय ले करके किया जाता है। महिलाएं वास्तविक रूप मे प्रतिभाग न करके सिर्फ हस्ताक्षर करने के लिए ही कार्य करती है। चिंगारी नारीसंघ के अभी तक के प्रयास को देख करके यह अपेक्षा की जा सकती है कि भविष्य मे उनके द्वारा हस्तक्षेप करके इस पर पहल की जा सकती है।

5. पुरुषों को साबित किया गलत

यह सच है कि नारीसंघ के कारण महिलाओ को अपनी शक्ति का आभास हुआ है। किन्तु गठन की प्रक्रिया के दौरान महिलाओं ने दृढ उत्साह से विभिन्न स्तरो पर समस्याओ का समाना भी किया। परिवार एवं समाज के सामान्य मुद्दो से हट कर नारीसंघ मे रूचि लेने के कारण ही महिलाओ को अनेक समस्याओ का समाना करना पडा।

शक्ति नारीसंघ के गठन की प्रक्रिया कोई अपवाद नही अपितु इसका भी गठन अन्य संगठनो की तरह ही हुआ है। वाराणसी जिले में अराजीलाईन ब्लाक के बहोरनपुर ग्राम पंचायत में मार्च 2009 में महिलाओं द्वारा नारीसंघ का गठन किया गया और अब तक 262 महिलाओं को नारी संघ में जोड़ा गया। नारी संघ के गठन की प्रक्रिया में महिला स्वरोजगार समिति ने सहयोग किया।

प्रारम्भ में नारीसंघ की बहनें जब बैठकों अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके घर वापस आतीं, तो कुछ को तो पति का गुस्सा एवं मार भी झेलनी पडता था।

नारीसंघ की अध्यक्ष गीता देवी, उपाध्यक्ष निर्मला देवी और कोषाध्यक्ष बदामा देवी ,संगठन के गठन के दौरान आये कठिनाईयो को बताते हुए कहती है कि ''समाज में हम औरतो के जीवन का कोई मूल्य नही है। हमारे परिवार के पुरूषो का सोचना था कि महिलाओ के लिए कोई भी बुद्धिमानी का कार्य करना मुश्किल है, उनका कहना था कि हम कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे है। इसलिए हम महिलाओ को घर से बाहर निकलकर बैठक में जाने से रोकने वालो में सबसे पहला व्यक्ति घर के पुरूष ही थे। जब भी महिलाये घर से बाहर कदम निकलने लगती है तो उसे परिवार का अपमान माना जाता है, लेकिन हम कुछ भी गलत नही कर रहे थे। यदि हमारे परिवार के पुरूष ही हमारा सम्मान नही करते है तो, बाहर के पुरूष कैसे करेगे? उनके मुताबिक नारीसंघ किसी काम का नही था और न ही इस संगठन के माध्यम से कोई परिवर्तन होने वाला था। इस ग्राम पंचायत के अन्य पुरूषो की सोच परिवार के पुरूषो से अलग नही थी उनका भी कहना था कि घर में कोई पुरूष नही है, जो अब औरते घर से बाहर निकल कर चारो ओर घूमती है। बैठक में जाने पर गॉव के पुरूष कहते कि महिलाए वहॉ केवल चाय समोसा, मिठाई खाने व गप मारने जाती है। वे मनरेगा के अर्न्तगत हमारे काम के अनुरोध को खारिज करते हुए कहते कि महिलाए निर्माण कार्यस्थल पर काम करने के योग्य नही है। वे नारीसंघ की बहनो को उनके कामो मे,चाहे वे गलत ही कर रहे हो तो भी दखलंदाजी न करने का निरंतर सुझाव दिया करते थे।

इस दौर से गुजरते हुए, महिलाओ ने प्रतिकूल वातावरण में भी आपस में मिलना जारी रखा। लेकिन बिना किसी भी प्रकार के भुगतान के ज्यादातर महिलाओ को बैठक में आने या कार्यक्रम में भाग लेने पर घर लौटने पर परिवारिक संघर्षो जैसे परिणाम का सामना भी करना पडता। यहां तक कि कुछ तो अपने पतियो के द्वारा इसी बात के लिए मारी पीटी भी जाती थी। लेकिन अब तक हम महिलाओ ने यह निर्धारित कर लिया था कि हम नारीसंघ का एक हिस्सा है और हमेशा इससे जुडी रहेगी। ''क्योकि हम महिलाओ को एहसास हो गया था कि हम सब पर होने वाली हिंसा के बढते

प्रभाव को हम सभी एक दूसरे के समर्थन के बिना नही समाप्त कर सकते है। नारीसंघ से जुडने के बाद हम महिलाओ को यह एहसास हो गया कि हम औरतो का जीवन बेकार नही है ,और हम हमारे आदमियों को विश्वास कराना चाहते है कि हम भी एक सक्षम मनुष्य है।

नारी संघ की अगुआ बताती है कि "अगर उन्हें शाम को पतियों के हिंसा का सामना भी करना पड़े तो भी महिलायें बैठक में जरूर भाग लेती थी। अब वे पीछे मुड़कर देखने के लिये तैयार नहीं थी। इस प्रकार, महिलाओ ने परिवार व सामाजिक प्रतिरोधो का दृढ़ता के साथ सामना करके शक्ति नारी संघ की शुरूआत किया। लगभग सभी गॉवो में इसी प्रक्रिया के साथ नारीसंघ परिवर्तन का एक हिस्सा बना और उनकी एकता में ही उनकी शक्ति निहित हैं। एक बार फिर शक्ति नारीसंघ ने अपने अधिकारो का दावा करने के लिए एक ठोस कदम उठाकर अपनी पहचान स्थापित किया।

नारीसंघ की अगुआ बताती है कि "हम तब तक लड़ाई लड़ते रहे जबतक कि हमें जॉब कार्ड नहीं मिला गया। इसके लिए पॉच गॉव से नारी संघ की सदस्य एक साथ संगठित होकर खण्ड विकास अधिकारी के सामने जाकर अपनी मॉग को प्रस्तुत किया। जॉब कार्ड मिलने के बाद हमें काम मिला, मेट का चयन हुआ और कार्यस्थल पर सभी सुविधाए प्राप्त होने लगी। उनका कहना है कि हमे सफलता इसलिए मिली क्योंकि हम संगठित है।''

रोजगार गारंटी कानून में काम मिलने के परिणाम के रूप में कृषि मजदूरी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। गीता देवी बढ़ती हुई मजदूरी को विस्तार से बताते हुए कहती है कि ''पिछले तीन साल पहले हमें दिन भर में 20 से 25 रूपये ही कृषि मजदूरी मिलती थी , पिछले साल इसमें 60 रूपये की बढ़ोत्तरी हुई और इस वर्ष कुछ कार्यो के लिए मजदूरी 100 रूपये तक मिल रही है।'' सदस्यो को एहसास हुआ कि कृषि मजदूरी मनरेगा मजदूरी के बराबर होनी चाहिए और मनरेगा में काम के दिन भी बढ़ने चाहिए।

शक्ति नारीसंघ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0) की स्थिति में सुधार के लिए भी पहल किया। इससे पहले लोगो को कभी भी, अनाज व मिट्टी का तेल सही समय पर व उचित मात्रा में नही मिलता था। इसी तरह की समस्या नारीसंघ की अध्यक्ष गीता देवी की बेटी के शादी समय पर भी हुई। उनके पति कोटे की दुकान से मिट्टी का तेल लेने गये। लेकिन कोटेदार ने उन्हे मिट्टी का तेल देने से इंकार कर दिया और उनके डिब्बे को दूर फेक दिया। जब ये घटना नारीसंघ के सदस्यो का पता चला तो सभी सदस्य एक़त्र होकर कोटेदार के पास गई। जब कोटेदार का सामना सदस्यो से हुआ तो वह डर गया और सदस्यो को रोकने की क्षमता कोटेदार में नही हुई व उसने गीता देवी के पति को जरूरत के अनुसार मिट्टी का तेल तुरन्त दे दिया।

नारीसंघ के सदस्यो ने आर टी आई के माध्यम से कोटे के दुकान से सम्बन्धित सभी जानकारी इकट्ठा करके जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर जॉच होने के बाद कोटेदार ने अपना लाइसेंस खो दिया। यह नारीसंघ के सदस्यो के लिए एक उपलब्धि थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से कोटे की दुकान का दूर जाने से इस उपलबधि का कोई मतलब नहीं रह गया था। महिलायें लंबे समय तक इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी और उन्होंने अपना उचित कोटा प्राप्त किया।

अक्सर परिवार और समुदाय के लोग टिप्पणी करते रहते थे कि इस संगठन से कुछ भी नही होने वाला है। ''जब कोई भी बदलाव लाने के लिए सक्षम नहीं है तो आप लोग कैसे करेगें? यह महिलाओं के पहल की प्रतिक्रिया थी । परन्तु नारी संघ की प्रक्रिया और उसके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अब निराशावादी आवाज दूर व कम हुए है। अपनी अब तक की यात्रा के दौरान शक्ति नारी संघ ने यह अनुभव किया है कि जब से वे सामूहिक रूप से लड़ाई करने लगी है तब से उन्हें अपने अधिकारों का एहसास हुआ है। नारीसंघ के अगुआ का यह विश्वास है कि ''अगर हम निरन्तर एक साथ चलते रहेगें तो हमे सफलता जरूर मिलेगी।''

6. ताकत का विस्तार करती नारीसंघ की महिलाएं

राधिका देवी को अब भी याद है कि जब नारीसंघ की नेतृत्वकारी महिलाए जिला मजिस्ट्रेट से मिलने गयी थी, तब उन्होने खण्ड विकास अधिकारी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि "यदि आप दो दिन के अंदर इन महिलाओ का जॉबकार्ड देने मे असफल होगे, तो मै आपको आपकी कार्य एवं जिम्मदारी का निर्वहन करने मे असफलता के परिणामस्वरूप मै आपका वेतन रोक दूंगा।" उन्होने बी डी ओ को यह चेतावनी दी और बी डी ओ ने आवश्यक कार्यवाही की।

अभी कुछ समय पहले की बात है जब मऊ जिले में महिला अगुआ का सम्मेलन हुआ था। जिसमे की 9 जिले के लोग आए थे। इतनी बडी संख्या मे सशक्त महिलाओ को देख करके हम लोगो को भी बहुत संबल मिला, और महसूस हुआ की हम लोग अकेले नही है।

राधिका नारीसंघ का गठन वर्ष 2008 मे गाजीपुर जिले के सदर ब्लाक के रसूलपुर ग्रामपंचायत मे हुआ, इस नारीसंघ की अध्यक्ष राधिका देवी है। अन्य अगुआ महिलाए अतवारी देवी एवं कुन्ती देवी क्रमश सचिव एवं सूचनामंत्री के पद पर है। ग्रामीण विकास संस्थान ने गठन मे सहजकर्ता की भूमिका निभायी।

यह घटना नारीसंघ के गठन के कुछ माह बाद ही घटित हुई । राधिका देवी प्रयासो का विस्तृत विवरण करते हुए बताती है कि "हम लेागो ने ग्रामप्रधान के पास जॉबकार्ड के लिए आवेदन किया।उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखयी जैसे वे बहुत ही व्यस्त है। उनके प्रतिक्रिया को देखते हुए मैने उनको प्रावधान से अवगत कराते हुए कहा कि आवेदन करने के 15 दिन के अंदर जॉबकार्ड मिल जाना चाहिए।" यह सुन करके उनको गुस्सा आ गया।" उन्होने गुस्से से चीखते हुए कहा कि हमे नियम न बताओ, मुझे जब समय मिलेगा तब मै करूगां, इंतजार करना है तो करो अथवा जहा से हो सके बनवा जाओ आर बनवा लो।" जब उन्होने दलील को

खारिज कर दिया तब हम लोग सचिव के पास गए, तो वे भी आपने काम पर नही थे। जब स्थानीय स्तर पर किए प्रयास का कोई भी परिणाम नही दिखाई दिया तब महिलाए संबठित होकर के ब्लाक पर बी डी ओ के पास गयी। वहां पर भी नारीसंघ की बात की सुनवायी तो हुई किन्तु काई कार्यवाही नही हुई। ग्राम प्रधान से लेकर के बीडीओ, सभी स्तर पर महिलाओ के धैर्य की परीक्षा लेते हुए दिखायी दिए। वे सोच रहे थेकि जल्दी ही वे हत्तोतसाहित हो जाएंगी। लेकिन नारीसंघ की महिलाओ ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि जब तक उनके हाथ मे उनका जॉबकार्ड नही होगा, तब तक वे चुप नही बैठेगी। प्रयास की अगली कडी मे, वे ब्लाक पर मनरेगा दिवस की सार्वजनिक बैठक मे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुची। यहां जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देकर समस्या से अवगत कराया और जिलाधिकारी ने त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित अधिकारियो को चेतावनी दी। जिलाधिकारी ने महिलाओ को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके मुददे पर शीघ्र ही कार्यवाही की जागी। अगले ही दिन इस लम्बे संघर्ष का फल भी मिला। प्रधान एवं सेक्रेटरी ने बैठक कर जॉबकार्ड वितरित किए।

लेकिन अब भी नारीसंघ के संघर्ष की लडाई समाप्त नही हुई। जॉबकार्ड प्राप्त करने के बाद भी, महिलाओ को काम एवं उसके उचित भुगतान के लिए पुन संघर्ष करना पडा। "काम समाप्त होने पर कुछ को 50 रूपए तो कुछ को 60 रूपए, मजदूरी का भुगतान किया गया। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती हैं "हम लोग शांत न बैठ करके बी डी ओ से मिलने गए। हम लोगो ने उनसे मॉग

की, तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर ही मजदूरी का वितरण होना चाहिए। एक बार जब यह सब हो गया, तभी से 100 रूपए मजदूरी मिलने लगी।"

इस नारीसंघ को अपने गाव मे सस्ते गल्ले की दुकान को नियमित करने के लिए भी इसी तरह का संघर्ष छेडा गया। इस कार्य के लिए तहसील दिवस– तहसील स्तरीय जन सुनवायी के द्वारा शिकायत का निस्तारण, जिसमे ग्रामपंचायत स्तरीय समस्यओ का समाधान का आयोजन किया जाता है। महिलाओ को एहसास हुआ कि कोटेदार उनके साथ चाल चल रहा है। वह लेागो को बताता था कि चीनी का कोटा समाप्त हो गया है किन्तु फिर भी उनके कार्ड मे वह वितरित लिखता था। जब महिलाओ ने उससे पूछताछ की, तब वह महिलाओ को अपनी तरफ करने का प्रयास करने लगा। अनुरोध करते हुए कहा कि "मै आप लेागो को जितनी जरूरत होगी, उतनी चीनी दूॅगा, लेकिन आप लोग इसको आप लोग मुददा मत बनाइए।" लेकिन महिलाओ ने कहा कि सभी को उनके कार्ड्र के अनुसार ही मिलना चाहिए।अभी भी कोटेदार ऐसा करने के लिए तैयार नही था, अत तहसील दिवस मे उपजिलाधिकारी के समक्ष यह घटना प्रस्तुत की।एक सप्ताह के बाद एस डी एम एवं सप्लाई औचक निरीक्षण के लिए गाव मे आए। कोटे के वितरण मे अनियमितता होने के कारण कोटेदार का लाइसेन्स निरस्त कर दिया गया और साथ ही एक नए कोटेदार की नियुक्त किया।

नारीसंघ ने लेागो को आश्वस्त करते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओ की पात्र व्यक्तियो को लाभ अवश्य मिलेगा।" हम लोगेा के पहल एवं प्रयास से 12 लोगो को महामाया पेंशन योजना एवं 4 लोगो को वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिला।" कुछ लोगो को बिना लिखित सूचना के कल्याणकारी योजनाओ के लाभार्थी की सूची से नाम हटा भी दिया गया। नारीसंघ ने इस मुददे पर आर टी आई के माध्यम से पहल की। इसके बाद जब आवेदन डाला गया तो पेंशन पुनः प्रारंभ हो गयी।

लोग नारीसंघ के काम को अभी भी महत्व नही देते, जब भी महिलाए ब्लाक अथवा जिला कार्यालय पर जाती तब भी लोग व्यंग कसते थे,और कहते " देखो ये लोग चली है नेता बनने" ।किन्तु अब यदि ब्लाक या जिले पर किसी अधिकारी से मिलने जाना होता है तो पुरूष भी नारीसंघ से बातचीत करने के बाद ही जाते है और कभी कभी नेतृत्वकारी महिलाओ को साथ मे ले करके भी जाते है। अब वे कहते है कि "यदि महिलाओ ने पहल नही की होती तो गाव वालें को कभी भी मनरेगा के अंतर्गत कुछ भी न तो जाबकार्ड और न ही काम मिल पाता।"

लेकिन नारीसंघ की बहने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अन्य गावो तक अपनी पहुॅच को मानती है। "पहले हम घर से बाहर निकलने मे भी डरते थे किन्तु अब तो हम लोग जिले तक भी आसानी से चले जाते हैं। नारी महासंघ के माध्यम से आस पास की ग्राम पंचायतो मे नारीसंघ से जुडी बहनो की भी समस्याओ के समाधान के लिए पहल करने का प्रयास करते है।" नारीसंघ ने असंभव को भी सम्भव बना दिया।" मार्च 2011 मे मऊ जिले मे क्षेत्रीय अगुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमे की 9 जिले की अगुआ बहनो ने प्रतिभाग किया।' बहुत सी नेतृत्वकर्ताओ से मिल करके लगा कि नारीसंघ सशक्त हो गया है, और तब हम लोगो को लगा कि हम लोग अकेले नही है बल्कि हम लोगो की संख्या बहुत बडी है।' यह कहना है नारीसंघ की अध्यक्ष का, जिनको लगता है कि इस तरह की बातचीत, सम्मेलनो मे प्रतिभाग करके एवं एकत्रित होने से नारीसंघ के आत्मविश्वास एवं ताकत मे वृद्धि होती है।

7. अधिकारों की प्राप्ति

"यह नेता नहीं बनेगी," इस बात की घोषणा करते हुए राधा देवी के पति उनको नारी संघ के बैठक में जाने के लिए मना करते थे। यह एक बड़ी समस्या थी जिसको सद्भावना नारी संघ के सदस्यों को संगठन के गठन के प्रक्रिया के दौरान सामना करना पड़ा था। परिवार के सदस्यों द्वारा, विशेषकर पति सबसे ज्यादा आपत्ति उठाते थे और अपने पत्तिनयों को बैठक में जाने के लिए मुश्किल पैदा करते थे।

महिलायें व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर इस समस्या के लिए आवाज उठाती रही है। राधा देवी के मामले में, दस महिलायें सामूहिक रूप से इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उनसे मुलाकात किया। उन्होंने उनसे बात किया और कहा जब तक नारी संघ के प्रति आपकी सोच नहीं बदल जाती तब तक हम आपका घर छोड़कर नहीं जायेगें। और अब राधा देवी नारी संघ की सचिव है।

सद्भावना नारी संघ का गठन बस्ती जिले के सदर ब्लाक के सोनबरसा ग्राम पंचायत की महिलाओं द्वारा सभी प्रकार के समास्याओं पर आवाज उठाने के लिए किया गया। इस संगठन का गठन मई 2009 में सद्भावना नारी संघ के सहयोग से किया गया और वर्तमान में, इस संगठन में कुल 182 महिलायें, सदस्य है। नारी संघ के सदस्यों ने शोभा देवी को अध्यक्ष व मनसा देवी को कोषाध्यक्ष पद के लिए चयन किया।

मनरेगा के बारे में जानकारी होने के बाद नारी संघ की महिलाओं ने अपना जाब कार्ड बनवाने का फैसला किया। उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा और रोजगार सेवक के पास लेकर गयी। लेकिन उसने आवेदन लेने से इन्कार कर दिया। सरकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों से बचने के लिए, यह एक विशिष्ट तरीका है। ये लोग जानते है कि यदि औपचारिक रूप से आवेदन स्वीकार कर लेगें तो 15 दिन के अन्दर काम उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उनकी हो जायेगी। नारी संघ की महिलाओं को यह पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने रोजगार सेवक पर आवेदन लेने के लिए दबाव डाला। जब वह महिलाओं को नजरअंदाज करने लगा तो महिलायें उसके घर के सामने बैठकर गीत गाने लगी। जब उसने महसूस हुआ कि महिलायें उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं है तो उसने अपने सहयोग के लिए ग्राम प्रधान को भी बुला लिया। जब ग्राम प्रधान भी महिलाओं को वापस भेजने में सफल नहीं हुआ तो इन दोनों ने अपने सहयोग के लिए पंचायत सचिव को बुलाया। महिलाओं की दृढ़ता को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित रह गये और इस समय ये लोग महिलाओं को जबाव देने के लिए तैयार नहीं थे।ये लोग महिलाओं से, प्रक्रिया से सम्बन्धित जानकारी की उम्मीद नहीं कर रहे थे। पंचायत सचिव ने उनसे पूछा," तुम्हें यह कैसे पता चला ?" ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के बारे पता चलने के बाद ये लोग संस्था के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाते हुये उन पर आरोप लगाने लगे। ये अपने बचाव की कोशिश करते हुए कहने लगे कि " महिलाओं को जानकारी देना गलत है , हम लोग काम नहीं करेगें ,आप क्या कर लेगें ?" कार्यकर्ता ने कहा कि ," यदि आप इन्हें काम नहीं देगें तो महिलायें खण्ड विकास अधिकारी के पास जायेगी ।" इस तरह के मामले में खण्ड विकास अधिकारी ,पंचायत सचिव से ही अपना काम सही ढंग

महिलाओ ने सिर्फ अपने अधिकारो तक पहुँच कर प्राप्त ही नही किया, अपितु समाज मे लोगो को महसूस हो गया कि अब उनको और मूर्ख बना करके अधिकारो का हनन नही किया जा सकता।

से ना करने के लिए स्पष्टीकरण मॉगता है। इस बात का एहसास होते ही उसने तुरंत कहा कि, वह आवेदन स्वीकार करेगा। संगठन के लिए यह पहला सबक था कि जब आप जागरूक व संगठित हो जाते है ,तब अपने अधिकारों का एहसास भी हो जाता है।

लेकिन महिलाओं को जाब कार्ड मिलने के बाद भी काम नहीं मिल रहा था ,इसलिए पुनः महिलाओं को प्रधान के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी। नारी संघ की अध्यक्ष बताती है कि " जब उसने हमें काम नहीं दिया तो हमने जबरदस्ती नरेगा कार्यस्थल पर जाकर काम करने की कोशिश किया ,और पुनः काम पाने के लिए खण्ड विकास अधिकारी के पास गये।," महिलाओं ने ना केवल अपने काम का अधिकार सुरक्षित किया है बाल्कि यह तथ्य भी स्थापित कर दिया है कि अब वे लोग जागरूक हो गयी है और उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। प्रधान अब इतना बदल गया है कि महिलाओं को पहले से ही काम के लिए में सूचित कर देता है।

यह उल्लेखनीय है कि महिलाओं ने केवल अपने स्वयं के हकदारी के लिए ही काम नहीं किया है बाल्कि वे महिलाओं के अन्य मुद्दों पर भी जागरूक व संवेदनशील हुई है। महिलाओं द्वारा अब सामूहिक रूप से अपने गॉव में अन्याय के खिलाफ हस्ताक्षेप किया जाने लगा है, इसका एक उदाहरण फूलपरी है।

फूलपरी सोनवरसा गॉव की रहने वाली है। वह बहुत गरीब है और मजदूरी करके अपने दोनों बच्चों के साथ अपने परिवार के भरण–पोषण करती है। इसी गॉव की ,होम गार्ड का काम करने वाली ,एक अन्य महिला जिसका नाम सवारी देवी है ,फूलपरी को परेशान करती थी। गरीब और वंचित होने के नाते ,वह सवारी देवी का विरोध नहीं कर पाती थी और जब फूलपरी को उसका व्यवहार असहायनीय लगने लगा तो वह सवारी देवी से भिड़ने के बजाय पास के दूसरे गॉव में रहने चली गयी। वहॉ वह एक घर में नौकरानी का काम करने लगी। जब नारी संघ की महिलाओं को फूलपरी के स्थिति के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी स्थिति जानने के लिए उसे नारी संघ की बैठक में बुलवाया। फूलपरी ने अपनी कहानी बताया जो हर किसी के दिल को छू गयी। नारी संघ की महिलाओं ने उसे यह आश्वासन दिया कि यदि वह अपने घर वापस आना चाहती है तो नारी संघ की महिलायें उसका पक्ष लेगीं और उसके साथ खड़ी होगीं। अगले दिन फूलपरी अपने घर वापस आ गयी और सवारी देवी ने पुनः उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन नारी संघ के हस्तक्षेप के कारण इस बार उसका प्रयास विफल हो गया। नारी संघ की महिलाओं ने उसका घर घेर लिया और उसे अपना व्यवहार बदलने के लिये चेतावनी दिया। उसने फूलपरी से माफी मांगा। नारी संघ के सदस्यों ने उसे चेतावनी दिया कि ," यदि पुनः हमें यह होते हुए दिखायी दिया तो हम तुम्हारी पिटाई करेगें और तुम्हारे खिलााफ शिकायत भी दर्ज करवायेगें। " सवारी देवी ने उसी दिन के बाद से फूलपरी को परेशान करना बंद कर दिया। बाद में फूलपरी नारी संघ के सदस्य बन गयी और अपने जीवन में इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए मजबूत भी हो गयी।

नारी संघ की अगुआ बताती है कि," नारी संघ से जुड़ने के बाद हमने एहसास किया कि हम साथ रहकर ही अपने अधिकारों की पूर्ति करने के लिए सक्षम है केवल संगठित होकर मांग करने की जरूरत है।" अंततः उनको यह भी पता है कि सत्ता में बैठे लोग आसानी से ऐसा नहीं होने देगें। किन्तु ये महिलायें अपनी रणनीतियों के साथ इस तरह के चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार है।" यहां तक कि मांगने के बाद भी हमें नहीं मिल पाता था , देने वाले लोग ही इसे हड़पना चाहते है। " सही मायने में महिलाओं को इस सत्यता का एहसास हो गया है कि कोई भी अधिकार , किसी के देने से नहीं मिलता बाल्कि यह स्वयं से पूरा किया जा सकता है।

8. संगठन ही समाधान

बस्ती जिले के बस्ती सदर ब्लाक की ग्रामपंचायत देवरिया के नारीसंघ मे कुल 170 सदस्य है। चार महिला नेतृत्वकर्ताओ का सशक्त संगठन है, जिसमे अवधेश कुमारी अध्यक्ष, मेहरून्निशा सचिव, साधना देवी कोषाध्यक्ष एवं राजमती देवी संगठन मंत्री है।

सहजकर्ता के रूप मे कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही संस्था सदभावना ग्रामीण विकास संस्थान का विचार है कि "देवरिया नारीसंघ के पास नारीसंघ के गठन से ले करके अभी तक की बहुत सी उपलब्धियां रही है, किन्तु इसका प्रारम्भ आसान नही था।" इस तथ्य का स्वीकारते हुए अवधेश कुमारी कहती है कि " हले हम लोग संगठित होने के इच्छुक नही थे, क्योकि स्वयं सेवी संगठन से जुडने का हम लोगो का अनुभव अच्छा नही था।हम लोगो ने 7 स्वयं सहायता समूहो का गठन किया किन्तुहम लोगो को काई भी सम्लता नही मिली जिसके परिणामस्वरूप समूह निष्क्रिय हेा गया। इसी कारण जब पहले संस्था की कार्यकर्ता सुनीता बहन ने नारीसंघ के गठन की बात हम लोगो को बतायी तब हम लेगो ने एक सिरे से ही इस बात को खारिज कर दिया।" किन्तु वे पास के ही गाव की थी और हम लोग भी उनको जानते थे तो उन्ही के भरोसे पर हम लेागो ने संगठन के गठन की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। उन्होने कहा कि हम लेागो को तब तक कोई भी लाभ नही हेागा, हमे हमारे अधिकार नही मिल पाएंगे, जब तक की हम संगठित हो करके मुददो पर पहल नही करेगे।" अवधेश कुमारी उन कुछ महिलाओ मे से है जिन्हेाने संगठन की कल्पना को साकार किया।

"उन्होने अनेक कार्यक्रमो एवं योजनाओ तथा संबंधित प्रावधानो की भी जानकारी दी। योजनाओ के जानने के बाद हम लोग यह जानने के लिए रूचि लेने लगे, कि किस तरह से ये योजनाए पात्रो को प्राप्त हो सकती है। सुनीता बहन ने कहा कि योजनाओ को प्राप्त करने के लिए और बहनो को संगठित करने की आवश्यकता है। " मैने देखा कि अभी बहुत सी महिलाए संगठित नही हुई थी तो मैने संगठन को मजबूत करने के लिए नेतृत्व करने का निर्णय लिया। मई, 2009 तक संगठन मे 43 महिलाए संगठित हो चुकी थी और इस मरह से नारीसंघ का गठन हुआ।" ये महिलाए नया नयी जानकारियो को प्राप्त करके समस्याओ का समाधान करने का प्रयास करती है जिससे कि इनके जीवनस्तर मे सुधार हो सके।

लेकिन परिवार के सदस्य अभी भी सहमत एवं आश्वस्त नही थे। अवधेश कुमारी के पति एवं सास ससुर को भी नारीसंघ के गठन की बात रास नही आयी। "उन लोगो ने इसी बात के गुस्से के कारण मुझसे कई दिन बात नही की।" लेकिन उन्हे नारीसंघ के गठन से कई तरह के सामूहिक लाभ दिखाई पड रहे थे, अतः उनकी सोच थी कि अधिक से अधिक महिलाए नारीसंघ की सदस्य बने। इनका यह तथ्य इस पूरी बात की समझ प्रस्तुत करता है " देखिए जब हम लोग घर पर रहते थे, तब हम लेागो को कुछ भी नही मिलता था, किन्तु जब से बाहर निकलने और ब्लाक तक जाने मे सक्षम हुए तब जा करके हम लेागो का जाबकार्ड प्राप्त हुआ।"

अब तो इस गांव मे यह प्रथा ही हो गयी है कि नारीसंघ की अगुआ एवं सदस्य को प्रधान ग्रामसभा एवं अन्य आवश्यक बैठकों एवं मुद्दों की जानकारी पहले ही देने लगे हैं।

जॉबकार्ड प्राप्त करने के बाद महिलाओ को काम भी मिला, किन्तु यह अति उत्साह आया। नारीसंघ की अध्यक्ष बताती है कि " एक दिन महिलाए कार्यस्थल पर मिटटी ढो रही थी, किन्तु पुरूष उनके टोकरी मे बहुत अधिक मिट्टी भर रहे थे। हम लोग उसको उठा ही नही पा रहे थे, और जल्दी ही हम लोगो के गर्दन एवं कमर मे दर्द होने लगा। इसलिए हम लेागो ने उन लोगो को कम मिट्टी डालने के अनुरोध किया किन्तु किसी भी तरह से उन लोगो ने नही माना। इसके विरोध मे हम महिलाओ ने काम को रोक दिया और कार्यस्थल पर ही बैठे रहे। हम लोगो ने सुपरवाइजर को आज के काम

की पूरी मजदूरी देने एवं कार्यस्थल पर उत्पन्न की गयी समस्याओ को समाप्त करने का अनुरोध किया। आपसी एकता के कारण ही हम लोग अन्याय के विरूद्ध आवाज उठाने मे सफल हुए और इसी घटना के साथ नारीसंघ की शक्ति एवं पहचान बढ़ी।"

नारीसंघ की सदस्यो को आभास हुआ कि वे एकता के साथ मुददो पर पहल करके ही सफलता प्राप्त कर सकती है, और इसी जोश मे महिलाओ ने और भी मुददो पर आवाज उठाई।" हम लेागो को राशन की दुकान से सही राशन नही मिलता था एवं साथ ही कोटेदार हम लेागो से मनमाने पैसे भी लेता था। इसी कारण हम लेागो ने हेल्पलाइन का प्रयोग कर उसकी शिकायत दर्ज करायी।"यह कहना है कोटेदार के विरूद्ध शिकायत दर्ज कराने वाली सदस्य का, वह इस कार्यवाही को देखकर हैरान रह गयी क्योकि उसकी समस्या का तेजी समाधान मिला। कोटेदार को कडी चेतावनी दी गयी, और इस सफलता ने नारीसंघ के आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया।

इसी आत्मविश्वास के साथ महिलाओ ने सचिव का भी सामना किया," हम महिलाओ ने सचिव से ग्राम सभा के आयोजन करने की मांग की, किन्तु उस समय सचिव मे कोई प्रतिक्रिया न व्यक्त करते हुए प्रधान से चर्चा कर मुझे बुला करके बैठक के आयोजन की तिथि बतायी। पहली बर हमारे गाव की महिलाए इस तरह से किसी बैठक मे गयी थी।"अवधेश कुमारी ने बताया। अब नारीसंघ की सदस्य सदैव ही इस बैठक मे बढ करके प्रतिभाग करती है।

अब तो नारीसंघ को ग्रामसभा के आयोजन से संबंधित सभी जानकारी, जैसे दिन एवं तारीख पहले से ही पता रहती है और यह अब धीरे धीरे एक प्रथा हो गयी है कि नारीसंघ की सदस्य को सूचित किए बिना किसी भी बैठक का आयोजन ग्रामसभा मे नही किया जाता है। नारीसंघ की सदस्य मानती है कि सेवादाताओ पर दबाव समूह के रूप मे कार्य करती है।" नारीसंघ के प्रयास के परिणामस्वरूप ग्रामसभा का नियमित आयोजन किया जाने लगा। अब हम लेाग व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास के मुददो को रखते है, और जब आवश्यकता पडती है, तब दबाव समूह के रूप मे भी कार्य करते हैं।"

नारीसंघ के प्रयास के परिणामस्वरूप मेवाती देवी, जो विधवा है, को सरकारी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हुआ। उनको विधवा पेंशन एवं और एक घर सरकारी योजना के अंतर्गत आवंटित हुआ। पहले एकल महिलाओ की समस्याओ को प्रासथमिकता मे ले करके कोई भी पहल नही होती थी।मेवाती देवी को तो योजनाओ के बारे मे पूछने की न तो हिम्मत थी औार न ही जानकारी, किन्तु नारीसंघ ने उसके हक के लिए लड़ाई लड़ी।

नारीसंघ ने घरेलू हिसा से संबंधित मुददे पर भी पहल की। नारीसंघ की सदस्य को उसके पति द्वारा प्रताडित किया जा रहा था तब नारीसंघ ने उसको पूरा सहयोग किया। नारीसंघ उसके पति के पास जाकरके बोली की वह अपनी पत्नि को मारना और अपशब्द बोलना बन्द कर दे, किन्तु उसके व्यवहार मे कोई परिवर्तन नही हुआ। किन्तु जब महिलाओ ने उसके कडे शब्दों मे कहा कि नारीसंघ इसकी शिकायत पुलिस मे करेगा, तब उसके व्यवहार मे परिवर्तन हुआ। महिलाओ को लगता है कि नारीसंघ से जुडने के बाद ही वे अपने को महत्व देने लगी हैं।

नारीसंघ की अगुआ यह बोलते हुए गर्व महसूस करती है कि "अब हम लोग इतने जागरूक हो गए है कि अब हमारे परिवार के पुरूष भी हम लोगो से ही सरकारी योजनाओ एवं उनके प्रावधानो को पूछते है। पहले जो असम्भव लगता था अब हम लोगो मे एकता के कारण वह सब सम्भव हो गया। हम लोग अब हमेशा अपने अधिकारो को प्राप्त करने के लिए सदैव संघर्ष करने के लिए तैयार रहते है।" उन लोगो ने अपनी सामूहिक शक्ति को समुदाय से लेकर के सरकारी दफ्तरो मे भी कर ली है। अब तो अधिकारी भी देखते ही कहते है कि "नारीसंघ की महिलाए आ रही है, इनका काम जल्दी से पूरा करिए"। अब तो यदि कोई महिला किसी काम के संदर्भ मे आवेदन देती है तब भी उसे शीघ्र बुला करके उसके बातो को सुन करके काम कर देते है।

9. नारीसंघ के सहयोग से गांव में नरेगा कार्ययोजना बनी

नारीसंघ ने महिलाओ को अपने हालातो व अन्य समस्याओ से समझौता करने की जगह उन्हें साहसी व आशावादी बनाया है। सिसवा बाबू गांव में महिलाओ को इस घटना से कोई अपत्ति नही है।

जब नारीसंघ की सदस्यो से पूछा गया कि आपने क्यो संगठन बनाकर कार्य करना पसंद किया तो उन्होने कहा कि इस संगठन के माध्यम से हम समस्याओ पर पहल कर अपने जीवन स्तर मे सुधार कर सकेगे। महिलाए आत्मविश्वास व प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन करना चाहती है। नारीसंघ का गठन सृष्टि सेवा संस्थान के द्वारा महाराजगंज जिले के सदर ब्लाक के सिसवा बाबू ग्राम पंचायत में मई 2009 में हुआ और नारीसंघ में 156 सदस्य है।

सभी महिलाओ के समस्या पर पहल करने और नारीसंघ के सदस्यो के बीच सहयोग की भावना को बनाये रखने के लिये और बैठक के संचालन की मुख्य रूप से जिम्मेदारी अगुआ पूजा देवी, सरिता देवी और हसीबुननिशा की है। वे ब्लाक व जिला स्तर पर नारीसंघ की महिलाओ से सम्बन्धित मुद्दो को उठाती है।

नारीसंघ अपने सदस्यो को पी0डी0एस0, मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओ के बारे में जागरूक कर, इन योजनाओ को प्राप्त करने के लिये पहल करती है। पूजा देवी ने काम के अधिकार के अर्न्तगत मनरेगा मे काम प्राप्त करने का अनुभव बताते हुए कहती है कि ''जब महिलाए पहली बार प्रधान और रोजगार सेवक के पास गयी, तो उन्होने काम देने से इंकार करते हुए कहा कि यहॉ आप लोगो के लिए कोई काम नही है। बी0डी0ओ0 ने भी उन्ही की बात का समर्थन किया। हम महिलाओ को मालूम था कि वे हम सभी से झूठ बोल रहे है और फिर नारीसंघ ने उनसे इसी बात को लिखित रूप में देने की मांग की, किन्तु यह सुन करके बी0डी0ओ0 ने काम उपलब्ध कराने मे अपनी असमर्थता व्यक्त की।'' सृष्टि सेवा संस्थान से नारीसंघ को जानकारी प्राप्त हुई, कि मनरेगा के अर्न्तगत काम के लिए ग्राम पंचायत द्वारा उचित योजना ही नही तैयार की गई है। अत संस्था के सुझाव के आधार पर नारीसंघ ने ग्राम पंचायत की मदद से मनरेगा समिति गठित की, जो इस ग्राम पंचायत में पहली बार विभिन्न विकास के मुददो को चिन्हित करके आवश्यकताओ का आंकलन कर योजना निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की। मनरेगा समिति के प्रयास से मनरेगा पंचवर्षीय योजना को ग्रामसभा मे पास होने के बाद बी0डी0ओ0 के समक्ष प्रस्तुत किया। निरंतर प्रयास के पश्चात गॉव में मनरेगा के अर्न्तगत 11 लाख रूपये की धनराशि का कार्य प्रारम्भ हुआ। नारीसंघ ने प्रधान से कहा कि ''अब हम लोगों को मनरेगा प्रावधान

के अनुसार 100 दिनो का कार्य मिलना चाहिए क्योकि हम लोगो के प्रयास से 100 दिन का काम अब ग्राम पंचायत में उपलब्ध है।''

महिलाओं में बहुत परिवर्तन आया है, अब वे आत्मविश्वास एवं जानकारी से लबरेज हो करके सेवादाताओ से बात करने लगी हैं।

नारीसंघ की पहल से कोटेदार संबंधी समस्या पर भी सफलता मिली। इस ग्राम पंचायत के कोटेदार की दुकान महीने में एक बार खुलती थी, वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मानक अनुसार राशन वितरित नही करता और जब लोग आवाज उठाते तब वह लोगो से बेरूखी से व्यवहार करता था। जब नारीसंघ भोजन के अधिकार के अर्न्तगत कोटेदार से मानक के अनुसार राशन वितरित करने को कहा, तो कोटेदार ने कहाकि ''नारीसंघ हमारे खिलाफ कुछ भी नही कर सकती, क्योकि मेरी पहचान जिलास्तरीय अधिकारियो से है और मै ही सिर्फ गबन नही करता बल्कि सभी अधिकारी इसमे अपना हिस्सा ले कर आपस मे माल बॉट लेते है'' परन्तु किसी को भी इन अधिकारियो के विरूद्ध बोलने के हिम्मत नही है। नारीसंघ ने साहस के साथ कोटेदार के द्वारा किये जाने वाले र्दुव्यवहार के खिलाफ विरोध करते हुए गांव के प्रधान से उसकी शिकायत किया।प्रधान के द्वारा कोई पहल नही होने पर नारीसंघ ने जिलाधिकारी से कोटेदार की शिकायत की, किन्तु वहां भी कोई कार्यवाही नही हुई, इसके विपरीत पूजा देवी को धमकी मिली। अब गॉव के लोगो को कोटेदार द्वारा कहे शब्दो पर विश्वास होने लगा कि कोई भी उसके खिलाफ कुछ नही कर सकता है। किन्तु नारीसंघ चुप नही बैठी और आर0टी0आई0 के माध्यम से कोटेदार से संबंधी सूचनाये प्राप्त कर रणनीति बनाई और हेल्पलाईन नम्बर पर शिकायत दर्ज कराई। अब कोटेदार के खिलाफ जांच–पडताल की कार्यवाही होने पर यह साबित हो गया कि वह कार्डधारको के हिस्से का राशन वितरित न कर राशन खुली बाजार में बेच देते है। नारीसंघ ने प्रमाण के साथ जिलाधिकारी से कोटेदार की पुनः शिकायत की। नारीसंघ द्वारा कोटेदार के खिलाफ किये गये इन सभी प्रयासो से कोटेदार ने दण्ड का भुगतान किया और उसके कामकाज में भी सुधार आया। नारीसंघ की अगुआ पूजा देवी कहती है कि ''शुरूआत में हमें निराशा मिली, लेकिन हम महिलाओ ने दृढ़ संकल्प के साथ निरन्तर संघर्ष करते रहे, अब हम महिलाओ को किसी भी धमकी से फर्क नही पडता है कि क्या होगा। किन्तु नारीसंघ को यह सफलता सामूहिक एकता व संगठित रूप से किये गये पहल से मिली है।''

जब महिलाओ से पूछा गया कि क्या नारीसंघ के कारण महिलाओ में क्या परिवर्तन हुए है, तुरन्त ही नारीसंघ की अगुआ ने बताया कि ''हम महिलाओ में बहुत बदलाव आया है, पहले हम किसी भी अधिकारी से बात करने से डरते थे लेकिन अब हम लोग अधिकारियो के साथ बातचीत करती है, घर से बाहर निकलने से जानकारी व आत्मविश्वास बढ़ा है। काम के अधिकार के अर्न्तगत मनरेगा में 100 दिनो का काम मिलने से अब पारिवारिक आय में महिलाओं की भी सहभागिता बढ़ी है।''

10. सक्रिय एवं जबावदेह बना सरकारी तंत्र

30 आर0टी0आई0 एवं 80 बार हेल्पलाइन का प्रयोग करने एवं अन्य ग्रामपंचायतो मे करवाना, इस तरह की आंकडा बिना किसी संकोच के पेडरा ग्रामपंचायत के इन्कलाब नारीसंघ, विकासखण्ड अतरौलिया, जिला आजमगढ के नारीसंघ की महिलाए बताती है। इसका प्रयोग उनके द्वारा पूरे ब्लाक मे मनरेगा के अंतर्गत काम एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य अधिकारो को प्राप्त करने की पहल की। इन्कलाब नारीसंघ का गठन वर्ष 2008 मे गठन की प्रक्रिया कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने वाली ग्रामीण पुनर्निमाण संस्थान द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत 40 सदस्यो के साथ नारीसंघ का प्रारम्भ हुआ और वर्तमान मे 110 सदस्य है।

अध्यक्ष सुरसत्ती देवी बताती है कि सामूहिक गठन से महिलाओ की सोच मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।" पहले व्यक्तिगत लाभो के लिए ही चिंतित रहते थे। यदि हम लेागो को किसी योजना या लाभा का पता चलता तो हम किसी को बताने के बारे मे सोचते ही नही थे बल्कि प्रयास करते कि किसी को पता न चले।हम बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नही देते थे कि अन्य को मिल रहा है या नहीं, किन्तु अब ऐसा नही है।" नेतृत्वकारी महिलाए, जिनका विश्वास है कि संगठन के माध्यम से ही स्थिति मे सुधार आ सकता है, किन्तु खण्डित होने पर अधिकारो तक पहुॅच नही हो सकेगी। महिलाए पहले की तरह नही है, अपितु वे संगठित हो करके विचार एवं कार्य करती है।अब प्रयास करते है कि वास्तव मे जरूरतमंद, जो कि पात्र है उनको ही लाभ मिले।

नारीसंघ की पहल को पुरूषो द्वारा गम्भीरता से नही लिया जाता था, बल्कि यह मजाक और उपहास का विषय था।" रास्ता दो, भाई नेता आ रही है।" जब महिलाए बैठक के लिए जाती तो गॉव के लोग टिप्पणी करते। पुरूष बैठक स्थान के आस पास ही टहलते रहते और कुछ तो पास ही में बैठ करके ताश भी खेलने लगते, जिससे कि वे हम लेागो के ऊपर नजर रखकर बुरी टिप्पणी भी कर सकें। महिलाओ ने इन लोगो की अपमानजनक बातो को नजरअंदाज करते हुए कार्य करने का प्रयास करती रही। अंततः सहज करने वाली संस्था के माध्यम से दी जाने वाली जानकारियो एवं अनुभवो से नारीसंघ अधिक जागरूक हो कर प्रभावी क्रियान्वयन करने मे सक्षम हुआ।

महिलाए चिन्हित समस्याओ पर रणनीति बना करके पहल कर रही है। इनमे प्रत्येक स्तर पर सरकारी अधिकारियो को लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध, दबाव के रूप में आर0टी0आई0 का प्रयोग और प्रजातांत्रिक रूप मे दबाव समूह के रूप मे कार्य कर रही है। अधिकारो को प्राप्त करने के लिए महिलाए बहुत सी युक्तियां अपना कर पहल कर रही है।

पहले की तरह अब महिलाएं स्वार्थी नही है, अपितु वे संगठित सोच के साथ विचार एवं पहल करने लगी है। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पात्र व्यक्तियो को ही योजनाओ का लाभ मिल रहा है।

अगस्त 2011 मे नारीसंघ की सोना देवी ने अपनी समस्या बतायी कि शिकायत कर उसका निरंतर अनुसरण करने के बावजूद भी उनकी मजदूरी लगभग एक साल से लम्बित है।इस बैठक की अध्यक्षता लालपतती देवी द्वारा की गयी। दो बैठको मे चर्चा के उपरांत मांग को पूरा करने के लिए महिलाओ ने ब्लाक पर जाने का निर्णय लिया। 25 अगस्त को प्रातः ही 62 महिलाए संगठित हो कर ट्रैक्टर ट्राली से अतरौलिया पहुची, नारीसंघ से प्रेरित हो कर 52 पुरूष भी उनके साथ साइकिल से गए। इतनी संख्या देखकर एडीओ ने उन लोगो से आने का कारण पूछा। लालपत्ती देवी ने कहा कि वे खण्ड विकास अधिकारी से मिलना चाहती है, तब उन्होने कहाकि वे आज नही है, किन्तु महिलाएं आज नही सुनने को तैयार नही थी और बीडीओ कार्यालय की ओर जाने लगी। लालपत्ती देवी ने उनके कार्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया कुछ कर्मचारी एवं अन्य लोग अंदर ही बन्द हो गए।दो महिलाओ को द्वार पर निरीक्षण करने के लिए खडा करके, वे माग करने के लबी कि ताला बीडीओ या फिर एडीएम के आने पर ही खोला जाएगा। जब उन लोगो को आश्वासन मिला कि 20 मिनट मे एसडीएम आ जाएगे, तब ताला खोला। एडीएम पहुचे और उन्होने आश्वासन देते हुए कहा कि 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान हो जाएगा। महिलाओ ने उनसे लिखित प्राप्त करने की मांग की। अन्त में महिलाए वापस गयी और 15 दिन तक प्रतीक्षा की, अभी भी मजदूरी नही मिली तो पुन एडीएम से मिलने गयी। पहली बार ब्लाक पर गए उनको 3 महीने हो चुके हैं किन्तु संघर्ष करने पर कोई भी सफलता नही प्राप्त हुई।

कोटे के संबंध मे भी एक दिलचस्प घटना घटी। लालपती देवी एक दिन सुबह के समय कोटेदार के यहॉ राशन लेने के लिए गई और कोटेदार ने राशन देने से मना कर दिया। फिर वह काम करने गॉव से बाहर चली गयी और शाम को पहुची तब कोटेदार ने कहा कि दिन मे ही स्टाक खत्म हो गया और अब तो शाम भी हो गयी है।जब बैटक मे नारीसंघ को पता चलाकि उसको कोटेदार ने राशन नही दिया तब महिलाए कोटेदार के यहा गयी और उसको राशन देने की माग करने लगी, और महिलाओ ने बूधनपूर मे उपजिलाधिकारी के यहॉ शिकायत करने की धमकी भी दी, कोटेदार भी संगठन को समझ गया था कि वे सिर्फ कहती ही नही अपितु करके भी दिखाती है। उसने लालपत्ती देवी के पति को राशन देने के लिए बुलवाया, राशन तो मिला और साथ मे सलाह भी दी, कि "अब महिलाएं नेता बन गयी है! यह हमारे लिए एक समस्या है, कोई संदेह नही लेकिन सावधान रहना चाहिए, आपको तो खास ध्यान देना चाहिए क्याकि आप तो अधिक प्रभावित होगे।"

नारीसंघ द्वारा स्वास्थ्य के मुददे पर भी पहल की गयी। कुमारी देवी की बहू शारदा देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसव कराने के लिए 820 रूपए नर्स को देना पडा। दो दिन बाद 30 नारीसंघ की महिलाए स्वास्थ्य केन्द्र पर पहुच कर स्वास्थ्य अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत की। पूरी शिकायत सूनने के बाद वे मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उस नर्स की शिकायत की, परिणामस्वरूप उसने पैसे वापस करते हुए अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। इसके बाद बंसराजी देवी ने नर्स से कहा कि तुम लोग हमेशा यही करती हो जब कोई शिकायत करता है तो माफी मांग लेती हो, फिर उसी रास्ते पर चलने लगती हो। तब उन्होने स्वास्थ्य अधिकारी से इस तरह के सेवादाताओ के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का निर्णय ले जिससे कि इस तरह की समस्याओ को समाना आम जनता को न करना पडे। अंत में चिकित्सा अधिकारी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और महिलाए अपने घर वापस आ गयी।

स्पष्ट है कि जानकारी प्राप्त करने से महिलाओ के आतमविश्वास मे महत्वपूर्ण परिवर्तन लक्षित होने लगा है।मुख्यरूप से प्रावधानो की जानकारी होने के कारण ही वे स्पष्टरूप मे अपनी मांग को उठाने मे सक्षम है और कार्यवाही न होने की स्थिति मे वे सभी दरवाजे खटखटाने का साहस रखती है जिनसे कि पहल हो सकती है।

11. अधिकार के खातिर सूचना

जानकारी का महत्व उनसे पूछिए जो इसे पाने में असमर्थ है। उन लोगों के लिए जानकारी बहुत अनमोल है। ये लोग सूचना और जानकारी को अपनी उपेक्षित स्थिति पर काबू पाने के लिए, एक तरीके के रूप में उपयोग करते है। कान्ती देवी बताती है कि कम से कम हम एक साथ आयेगे तो हमे थोड़ी और अधिक जानकारी हो जायेगी। अगर हमे जानकारी होगी तो हम अपना और अधिक सुधार करने के लिए सक्षम हो जायेगे, जब हमारा विकास होगा तो गॉव भी विकसित होगा। कान्ती देवी अम्बेडकर नगर जिले में भीटी ब्लाक के बाला पैकोली ग्राम पंचायत में नारी संघ की अध्यक्ष है। वह सचिव आरती देवी व कोषाध्यक्ष शान्ती देवी के साथ संगठन का नेतृत्व कर रही है।

इस नारीसंघ का गठन हाल ही में भीटी ब्लाक के ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के द्वारा जून 2011 में हुआ हैं। वर्तमान समय में संगठन में सदस्यो की कुल संख्या 167 है जो अपने स्वभाव से भी मजबूत है। इसीलिए, नारीसंघ के सदस्यो की एकता को देखकर इस ग्राम पंचायत के स्थानीय नेता डर गये, और उन्होने इस संगठन के सदस्यो की सामूहिक भावना को निरूत्साहित करने का प्रयास किया। कान्ती देवी कहती है कि ''गॉव के प्रधान ने हम महिलाओ को आगाह किया कि नारीसंघ की बैठक नही करे और यही चेतावनी उन्होने हमारे परिवार के सदस्यो को भी दी, और कहा कि 'अगर इन महिलाओ ने नेता बनने की कोशिश की तो तुम लोगो को जो कुछ पहले से मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाएगा।' नारीसंघ की कुछ सदस्य कहती है कि कोटेदार ने भी हमें प्रभावित करने की कोशिश किया। कोटेदार का कहना था कि अगर हम उसके खिलाफ शिकायत नही करेगें तो वह हमें सही राशन देते रहेगे।'' लेकिन नारी संघ के सदस्यों ने अपने प्रयासों को निरन्तर जारी रखा है।

कान्ती देवी ने अपने संगठन की पहली सामूहिक सफलता के अनुभव के बारे में बताते हुए कहती है कि , ''हम में से कई लोगो के पास जॉबकार्ड था, किन्तु काम कैसे मिलेगा यह पता नहीं था। नारीसंघ से जुडने के बाद हम सभी को लिखित काम का आवेदन करने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद हम सभी काम की मांग हेतु लिखित आवेदन के साथ प्रधान से मिलने गये। लेकिन प्रधान ने आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और 4–5 दिन में काम देने का वादा किया। किन्तु प्रधान के कहे अनुसार महिलाओ को काम नही मिला। इसीलिए, नारीसंघ की सदस्य फिर से लिखित आवेदन के साथ प्रधान के पास गई और उसी समय उसे स्वीकृत कराया। यह नारीसंघ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया ,अब इतना तो है कि काम ना दिये जाने की दशा में हम लोग बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकते है। नारीसंघ के 36 सदस्यो ने लिखित काम की मॉग किया और उन्ही के साथ 20 अन्य महिलाओ को भी मनरेगा में 8 दिन का काम प्राप्त हुआ। महिलाओं ने पहल करके कार्यस्थल पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाया।'' इस सफलता से महिलाओं की एकता और अधिक मजबूत हो गई।

जून 2011 में इस गॉव के प्राथमिक विद्यालय पर जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत आयोजित किया गया था। नारीसंघ के लगभग 300 सदस्यो ने इसमें भाग लिया और उन्होने सिविल जज श्री राकेश कुमार के समक्ष मनरेगा से संबन्धित समस्याओ को रखा।

मुख्य वक्ताओ में से श्री रण विजय ने मनरेगा के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि गरीब परिवार के लोगो को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराकर उनके पलायन के संकट को रोकना ही, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। उन्होने कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए उचित क्रियान्वयन और सम्मलित प्रयासो की जरूरत पर बल दिया। नारीसंघ की सदस्य रामकली, माया देवी ने

"समाज मे हम लोगो को लोग नेता कहने लगे है, किन्तु हम लोग अपनी कमियो को जानते है इसलिए आगे अभी और सीखने का प्रयास कर रहे है।"

अधिनियम का सही अर्थ बताते हुए इसके खराब क्रियान्वयन के बारे में बताया कि ''पिछले वर्ष हम सभी को मनरेगा में केवल 16–20 दिन ही काम मिला। ग्राम पंचायत में जॉब कार्ड व काम की मांग हेतु आवेदन देने के लिए प्रपत्र ही उपलब्ध नही रहता है।'' न्यायाधीश ने मनरेगा ए0 पी0 ओ0 से जवाब मांगा और साथ ही यह निर्देशित किया कि दो दिनों के अन्दर प्रावधानो की पूर्ति करना अनिवार्य है। नारीसंघ की एक अन्य अगुआ महिला कमरूल निशा देवी ने पी0डी0सी0 से सम्बन्धित शिकायत किया ,इससे पहले भी यह शिकायत तहसील दिवस के अवसर पर रखा गया था। सिविल जज ने उस दिन कुल 254 शिकायत को सुना जिसमें इंदिरा आवास, आवास योजना, विधवा व विकलांग पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अनियमितताओ और मनरेगा के अर्न्तगत काम की कमी जैसे समस्यायें थी। न्यायाधीश ने महिलाओ को निर्देश दिया कि मनरेगा संबंधी समस्याओ के लिए लिखित शिकायत, संबन्धित अधिकारी के सामने अवश्य पेश करे। मनरेगा ए0 पी0 ओ0 ने तुरंत घोषणा किया कि जिन लोगो को जॉबकार्ड चाहिए वे अगले दिन मेरे कार्यालय में मुझसे मिल सकते है।

इसी तरह के एक मामले में, वृद्धा पेंशन को पिछले ढाई सालो से रोक दिया गया था और इसे पुनः लोक अदालत के कारण बहाल किया गया। इस लोक अदालत का प्रभाव आसपास के ग्राम पंचायतो पर भी पडा और 19 से अधिक वरिष्ठ नागरिको को इस योजना का लाभ मिला। लोक अदालत के बाद, एक सप्ताह के अन्दर लोगो ने काम की मांग किया और काम की मांग करने के तीन दिन बाद 90 महिलाओ को काम मिल गया और मजदूरी भी समय से भुगतान हो रहा है। लोक अदालत ने महिलाओ के पहल को मजबूत बनाने और प्रभावी ढंग से उनकी समस्याओ को हल करने में मदद किया है।

"अब हम सत्ता के किसी भी व्यक्ति से बात करने में संकोच नहीं करते है चाहे वह प्रधान, सिक्रेटरी ,ब्लाक या जिला स्तर का अधिकारी ही क्यों ना हो। हम अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ब्लाक या जिला स्तर पर जाने के लिए हमेशा तैयार रहते है।'' यह कहना है उन महिलाओं का जिन्होंने नारी संघ के सदस्यों के अंशदान के माध्यम से आने जाने का खर्च उठाया।

लोगो ने पहले से ही हम महिलाओ को नेता के रूप में संबोधित करना शुरू कर दिया है लेकिन हम सभी अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक हो गये है। हमको प्रशिक्षण एवं सामूहिक पहल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर इसी प्रकार हमारे सामूहिक प्रयास जारी रहे तो हम सभी हर क्षेत्र में प्रभावी हो जाएंगे।"

12. रानी दुर्गावती नारीसंघ

महरूआ गॉव की महिलाओ के जीवन में नारीसंघ के गठन के बाद से कई मायनो में बदलाव आया है। इस संगठन के माध्यम से महिलाओ को अपने छिपे अस्तित्व को बाहर निकालने का एक अवसर प्राप्त हुआ। वे प्रत्येक बैठक के साथ और अधिक जानकार हो रही है और प्रत्येक पहल के साथ इनमें और अधिक विश्वास बढ़ रहा है। इसके अलावा, सामूहिक क्षमता का अनुभव करने के बाद और अधिक महिलाए नारी संघ से जुड़ गयी।

रानी दुर्गावती नारीसंघ का गठन अम्बेडकरनगर जिले के कटेहरी ब्लाक के महरूआ ग्राम पंचायत में हुआ और इस संगठन के गठन में स्वविश्वास, अम्बेडकरनगर की संस्था द्वारा सहयोग किया गया था। सायरा देवी और प्रेमा देवी इस संगठन की अध्यक्ष व सचिव है। अब तक लगभग 154 महिलायें इस संगठन का हिस्सा बन चुकी है।

नारीसंघ की अध्यक्ष सायरा देवी को संगठन के शुरूआती दौर में आयी चुनौतियॉ याद है। वे बताती है कि, ''मैं बैठक में भाग लेने के लिए उत्साहित रहती थी, किन्तु मेरे ससुराल के लोगो को मेरा बैठक में जाना पसंद नही था। हर बार बैठक से लौटने के बाद मेरी सास मुझे डॉटने लगती। परन्तु मुझे बैठक से बहुत सी जानकारी मिलती थी इसीलिए, उनके गुस्सा हाने के बावजूद भी मै बैठक में जाती थी,'' सायरा देवी याद करते हुए बताती है कि, बाद में मैंने परिवार के प्रतिरोधो पर काबू पाने के लिए एक बहुत ही रोचक रणनीति अपनाई। ''एक बार मै अपनी सास को भी बैठक में लेकर गई और उन्हे बैठक में हम लोगों की चर्चा पसंद आई।'' अब मेरी सास नारीसंघ के कार्यो में रूचि लेती है, बैठक में आती है और अपनी बहू का पूरा समर्थन करती है।

जिस प्रकार सरकारी अधिकारी और प्रशासन के प्रतिरोध से निपटना आसान नही था, उसी प्रकार परिवार के सदस्यो के प्रतिरोध का सामना करना भी आसान नही था। प्रेमा देवी ने मनरेगा के अन्तर्गत काम पाने के लिए किए गये संघर्ष को याद करते हुए

पहले कोई सूचना एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए भी अधिकारियो की सिफारिश करनी पडती थी, किन्तु वर्तमान परिस्थिति मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

बताती है कि '' हममें से 16 सदस्य काम पाने हेतु लिखित आवेदन के साथ पंचायत कार्यालय गये , किन्तु पंचायत सचिव ने आवेदन को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। सचिव की बात सुनकर हम सभी सदस्य वही बैठ गये और कहा जब तक हमारा काम नही हो जाएगा हम यहॉ से नही जाएगे, तब उसने हम सभी को दूसरे दिन आने के लिए कहा।'' और जब महिलाये दूसरे दिन वहां पहुंची, तो पंचायत सचिव कार्यालय से गायब हो गया। तब महिलाओं ने कार्यालय के क्लर्क पर दबाव बनाया कि वो फोन करके सचिव को तुरंत बुलाए। अब सचिव लंबे समय तक महिलाओं का सामना करने से नही बच सकते थे। प्रेमा देवी ने उन्हे चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह हमारे आवेदन को स्वीकार नही करते, तो हम सभी पूरी तैयारी के साथ ब्लाक कार्यालय में जाकर बी0डी0ओ0 का घेराव करेगे। प्रेमा देवी का अनुभव है कि अधिकारों का एहसास करके ही हम अपने को स्थापित कर पाये है। उन्होंने उस जगह को तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनका आवेदन औपचारिक रूप से ले नहीं लिया गया।

प्रेमा देवी और सायरा देवी ने नारीसंघ की शुरूआती दौर में घटित एक सीखपूर्ण घटना के बारे बताते हुए कहते है कि जब महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों के बारे में जानकारी हुई तो उन्हे अपने कोटेदार के द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार का एहसास हुआ कि वह कैसे लोगो के अधिकारो का हनन करके उनके हिस्से का राशन हडप रहा है।" प्रत्येक कार्ड धारक को 35 किलोग्राम राशन प्रति महीने मिलना चाहिए, किन्तु हमारा कोटेदार हमें केवल 28 किलोग्राम ही देता था। जब तक उचित मात्रा में राशन नहीं मिलेगा तब तक हमने राशन लेने से इन्कार कर दिया और फोन द्वारा एस0डी0एम0 को सूचित किया। हमारी शिकायत के जबाव में एस0डी0एम0 अगले दिन गॉव में पहुॅच कर स्थिति की छानबीन किया और कोटेदार के खिलाफ शिकायत सही पाये जाने पर उन्होने कोटेदार को मानक के अनुसार सही मात्रा में राशन वितरित करने की चेतावनी दी।'' महिलाओं को इसके बाद के परिणाम के बारे में पता नहीं था। असली मुसीबत की शुरूआत तो एस0डी0एम के वापस जाने के बाद हुआ। कोटेदार ने महिलाओं को धमकी दी एवं उनकी सामूहिक भावना को तोडने में सफल हो गया। महिला अगुआ ने बताया कि ''इससे पहले ना तो हम संगठित थे और ना ही सामूहिक रूप से मजबूत थे, इसीलिए कोटेदार सफल हो गया हांलाकि वह हमारे मकसद को तोड़ने में विफल रहा।" यद्यपि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। महिलाओं के आशा के अनुरूप ,स्थानीय स्तर पर यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं हुआ परन्तु आस–पास के सात गॉवों में, इस गांव की घटना की जानकारी होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति में सुधार हुआ। यहां तक कि अपने गॉव के कोटेदार से ही यह संदेश मिला।

"पहले सूचना लेना बहुत 'मंहगा' था। कार्यालयों में लोगों के हाथ में पैसे दिये बिना सूचना मिलना असम्भव था। आज स्थिति काफी हद तक बदल गयी है।" इसका अर्थ है कि महिलाओं को जानकारी लेने के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता । परन्तु अब भी उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है और दबाव भी बनाया जाता है, विशेषकर तब जब वे सूचना के अधिकार के अर्न्तगत सूचना मॉगती है। लेकिन अब वे संगठित हो गयी और इस तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है।

13. जय मां शक्ति नारी महासंघ

नारीसंघ ग्रामपंचायत स्तर पर का संगठन है, जबकि नारी महासंघ ब्लाकस्तर पर प्रत्येक नारीसंघ की नेतृत्वकारी महिलाओ का ब्लाक स्तरीय संगठन है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नारी महासंघ का गठन एक महत्वपूर्ण प्रगति है और साथ ही इसके प्रभाव को भी समझने की आवश्यकता है। हालांकि नारीसंघ ग्रामपंचायत स्तर पर सक्रिय एवं जीवंत है, किन्तु सभी समस्याओ का समाधान स्थानीय स्तर अर्थात ग्रामपंचायत पर करना सम्भव नही है। इसके अलावा जब तक स्थानीय नेताओ को लगता है कि ऊपर तक पहुंच नही है तब तक वे उत्तरदायित्व नही निभाते है। अतः ऐसी स्थिति मे नारी महासंघ के गठन का विचार बहुत ही प्रभावी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होता है क्योकि इससे महिलाओ की ब्लाक स्तर तक सामूहिक पहचान बनने के साथ ही, महिलाए अपने गॉव से बाहर जाने मे भी सक्षम हो जाती है।

नारीमहासंघ की सोच बहुत ही महत्वपूर्ण है।यह महिलाओ को सामूहिक पहचान प्राप्त करने के साथ ही गॉव से बाहर निकल कर मुददो पर सोचने एवं पहल करने मे सक्षम बनाता है।

संक्षेप मे नारी महासंघ पैरवी करने के लिए महत्वपूर्ण चरण है। यह समूह महिलाओ को उनके मुददे ब्लाक एवं जिले पर ले जाने मे मदद करता है। बहने अनेक गांवो की होने के बावजूद भी, सामूहिक सहयोग की भावना के साथ प्रभावी प्रयास करके कार्य करने मे सक्षम है।

जय मां शक्ति नारी महासंघ ऐसा एक सामूहिक मंच है, जिसमे कि वाराणसी जिले की आराजी लाइन ब्लाक के 30 ग्रामपंचायतो के नारीसंघ की 167 महिला प्रतिनिधित्व कर रही है। महिला स्वरोजगार समिति के सहयोग से वर्ष 2009 मे सीता देवी, निर्मला देवी और ललिता देवी के नेतृत्व मे नारी महासंघ का गठन किया गया।

जिन मुददो पर ग्रामपंचायत स्तरीय नारीसंघ की बैठक मे पहल नही हो पाती है अथवा पहल प्रभावी नही होती, तब उन मुददो पर महासंघ की बैठक मे चर्चा की जाती है। निर्णय लेने की प्रक्रिया दोनो ही स्तरो पर समान होती है। मुददे पर विस्तार से चर्चा होने के उपरांत ही रणनीति का निर्धारण किया जाता है। "अब हम लोग सब जानने लगे है, नियम–कानून भी जानने लगे है, यह भी की कब और कैसे करना है, और कौन जिम्मेदार व्यक्ति है यह भी जानने लगे है, अतः अब हम लोग जिम्मेदार व्यक्तियो को उनकी कार्य एवं जिम्मेदारी के प्रति जबावदेही सुनिश्चित कराने का भी प्रयास करने लगे है। हम लोग संगठित हो करके साक्ष्यो के साथ जाते थे और यह प्रभावी भी रहा है।" महासंघ की नेतृत्वकर्ता कार्यप्रणाली को व्यवस्थित रूप मे क्रियान्वित भी कर रही है।

हांलाकि नारीसंघ संघर्षशील ही रहती है किन्तु कभी कभी यह प्रभावी नही हो पाता। काम के संबंध मे नारीसंघ सरकारी अधिकारियो, निर्वाचित व्यक्तियो और मीडिया के साथ भी समय समय पर वार्ता कर उनका सहयोग प्राप्त करती है। सामूहिक मांग की पहल के अतिरिक्त, नारीमहासंघ संस्था के सहयोग से विभिन्न स्तरो पर पैरवी के मुददो की भी पहल करती है। ऐसा ही एक कार्यक्रम 12 मई 2011 को जिला मुख्यायलय पर सरकारी अधिकारियो एवं मीडिया पर "नारीमहासंघ की ब्लाकस्तरीय अधिकारियो एवं मीडिया के साथ समन्वय बैठक" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम मे जिलाधिकारी किन्ही कारणो से अनुपस्थित रहे किन्तु प्रतिनिधि के रूप मे जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला आपूर्ति अधिकारी ने प्रतिभाग किया। लगभग 100 महिलाओ ने प्रतिभाग करके

अपने अनुभव बतायी एवं साथ ही सरकारी अधिकारियो को ज्ञापन भी दिया गया। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया ने भी महिलाओ की बातो तथा अधिकारियो के अनुभव के साथ कार्यक्रम को स्थान दिया।

इस कार्यक्रम के आयोजन के परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ। एक सप्ताह के भीतर ही जिलाधिकारी ने नारी महासंघ की नेतृत्वकर्ता को बात करने के लिए कार्यालय बुलाया एवं ज्ञापन पर चर्चा करते हुए कहा "दस्तावेज को देखने से पता चला कि आप लोगेा की ग्रामसभा एवं मनरेगा से संबंधित मांगे पूरी हो चुकी है।" किन्तु यह सही नही है, यह सिर्फ कागज पर ही हुआ है।" उसने आरोप लगाते हुए पूछा कि "यदि वास्तव मे यह हुई होती तो हम लोग क्यो मांग करते ?" और चर्चा के बाद जिलाधिकरी महिलाओ की बात पर विचार करने के लिए तैयार हुए। ग्रामपंचायत स्तर पर योजनाओ जैसे पी0डी0एस0, मनरेगा एवं ग्रामसभा तथा अन्य योजनाओ जैसे वृद्धा पेंशन एवं इन्दिरा आवास के क्रियान्वयन की जांच करायी गयी। इससे योजनाओ के क्रियान्वयन की वास्तविकता निकल कर सबके सामने आ गयी।

अंत मे जिलाधिकारी को महासंघ की मांगो पर यकीन हुआ और अनियमितताओ को समाप्त करने के लिए कदम भी उठाए गए। उन्होने महिलाओ का समर्थन कर आश्वासित करते हुए कहा "आप लोग कभी भी आ करके मुझसे मिल सकती है।" जांच की रिपोर्ट मिलने के बाद से ही क्रियान्वयन मे गतिशीलता आ गयी। ग्रामसभा आयोजन का नियोजन, मनरेगा मे पर्सपेक्टिव प्लान बनने लगी और राशन वितरण मे भी सुधार हुआ। इस प्रकार से महासंघ की पहल के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन मे भी मदद मिली।

14. क्रान्ति नारीमहासंघ

ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के द्वारा 2007 मे प्रतापगढ जिले के मंगरौरा ब्लाक मे ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भिक वर्ष मे 10 ग्रामपंचायतो से प्रारम्भ हो कर वर्तमान मे 40 में कार्य का विस्तार हुआ है। महासंघ के गठन की प्रक्रिया का प्रारम्भ वर्ष 2010 मे प्रत्येक 20 ग्रामपंचायतो की 2–2 अगुआ महिलाओ के साथ क्रान्ति नारीमहासंघ का गठन हुआ और वर्तमान मे 40 ग्रापंचायतो की अगुआ महासंघ मे संगठित है। वर्तमान मे 80 अगुआ बहने महासंघ की त्रैमासिक बैठक का आयोजन करती है। 6 सदस्यीय टीम क्रान्ति नारी महासंघ को ब्लाक स्तर पर प्रस्तुत करती है, जिसकी अध्यक्ष राजकुमारी एवं नीलम देवी, बड़का देवी, सुशीला देवी, सरवरी बेगम, संजू देवी का क्षमतावर्धन करके मुददो पर समय समय पर पैरवी करती है।

नारी महासंघ के द्वारा मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित मुददो पर उचित पहल के लिए ब्लाक से ले करके जिलाधिकारी के समक्ष मुद्दो को रखती है। जब महिलाए काम का लिखित आवेदन ले करके प्रधान के पास जाती है तब प्रधान रिसीविंग देने से मना कर देते हैं और इसके लिए यही जिम्मेदार होते है। ऐसी स्थिति मे महिलाओ विकल्प के रूप मे ब्लाक पर जा करके रिसीविंग कराती है और इस मुद्दे पर भी महासंघ द्वारा पहल की जाती है।

"मनरेगा के बेहतर क्रियान्वयन के लिए महिलाएं ही नेतत्व कर रही हैं, पुरुषो की अपेक्षा मे अधिक संख्या मे महिलाए यहां पर जॉबकार्ड बनवा करके काम भी प्राप्त कर रही हैं।"

सितम्बर 2011 मे नारीमहासंघ के द्वारा 4 ग्रामपंचायतो की सदस्यो को जब 15 दिन के अंदर काम नही मिला तब महिलाओ ने बेरोजगारी भत्ते का आवेदन किया परिणामस्वरूप महिलाओ को 3 दिन के अंदर ही काम मिला।

सरकारी तंत्र को उत्तरदायी बनाने मे अनेक समस्याए आती है, इसलिए महिलाओ के अथक प्रयास के बाद भी कुछ मुद्दो पर ही सफलता प्राप्त हो सकी है, लेकिन इन प्रयासो से उनको पहचान एवं स्थान भी मिला।

अनेक गांवो जैसे नरहरपुरम वैसवारा, शंकरपुर, सरसीडीहा आदि मे नारीमहासंघ के निरंतर प्रयास के परिणामस्वरूप ही वितरण की दशा मे महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।

ग्रामसभा का आयोजन अधिकतर स्थानों पर कागजो मे ही होता था। नारी महासंघ के द्वारा प्रत्येक ग्रामपंचायतो मे वर्ष 2010 मे आयोजित ग्रामसभाओ का विस्तृत ब्यौरा आर0टी0आई0 द्वारा डी0पी0आर0ओ0 से मांगा गया।

महासंघ ने सभी ग्रामपंचायतो के सदस्यो से समस्याअरो पर पहल करने के आर टी आई एवं हेल्पलाइन का प्रयोग करने के लिए प्ररित किया गया। यदि सूचना नही प्राप्त हो पाती तो उस स्थिति मे अन्य प्रकार से पहल करने का प्रयास किया जाता है। हांलाकि अभी तक 500 आरटीआई एवं 2000 बार मनरेगा एवं पी0डी0एस0 हेल्पलाइन का प्रयोग नारीसंघो द्वारा किया जा चुका है। इन मुददो पर भी बैठको मे चर्चा की जाती रहती है।

महिलाए अनेक कठिनाइयो एवं समस्याओ के बाद भी विकास कार्यो के प्रति समर्पित है।उनकी लक्ष्यो के प्रति प्रतिबद्धता का परीक्षण अनेक अवसरो पर महसूस किया गया। जैसे कि जब बड़का देवी के द्वारा सल्लाहीपुर की कोटे मे अनियमितता का मुददा उठाया, तब कोटदार ने अधिक मात्रा मे चीनी ले करके इस मुद्दे को न उठाने का प्रयास किया, किन्तु उन्होने इन्कार करते हुए सभी का उचित मात्रा मे वितरण करने की बात पर डटी रही।

हमने वह प्राप्त कर लिया है जिसके बारे मे हमने कभी सोचा भी नही था।" मनरेगा के क्रियान्वयन मे महिलाए ही अगुआई कर रही है। पुरूषो से भी अधिक महिलाओ ने जाबकार्ड बनवा करके मनरेगा मे काम कर संबंधित हक को प्राप्त किया है। हम लोगो ने पहले कभी अपने गाव के बारे मे इस तरह से सोचा ही नही था,अब हम लोग ग्रामसभा का आयोजन कागजो से बाहर वास्तविकता मे आयोजित कराने की मांग करते है।विकास के प्रति समर्पित सेवादाताओ के साथ विकास हम भी गॉव के विकास कार्यो मे भागीदारी करना चाहते है।"

नारीसंघ जब सरकारी कार्यालयो मे जाती है तब अधिकारी नाराज होते है।महिलाए बताती है कि " हम लोग आपको नुकसान पहुॅचाने नही आए है, बल्कि हम हमारे हक प्राप्त करना चाहते है।" इसी तरह से अपने विचार निर्वाचित प्रतिनिधियो के समक्ष भी रखती है।

भौसहिया गाव की 45 महिलाए ने काम की मांग की किन्तु 20 दिनो तक कोई भी कार्यवाही नही हुई।इसी दौरान बरसाय एवं सल्लाहीपुर के लोगो को भी समस्याओ का सामना करना पडा। अतः लगभग 70 महिलाए संगठित हो बेरोजगारी भत्ते की मांग करने बीडीओ कार्यालय पहुॅची। उन्होने मांग करते हुए कहा कि "यदि काम नही दे सकते है तो भत्ता दीजिए।" कुपित अधिकारियो एवं कर्मचारियो ने 3 दिन के अंदर काम देने का आश्वासन दिया। इस समयावधि मे सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर 40 मजदूरो को काम मिला। कार्यस्थल पर दो पुरूषो को छोड कर सभी महिलाओ को ही काम मिला।

नारीसंघ एवं महासंघ के गठन से महिलाओ के नेतृत्व प्रदर्शन का एक साझा मंच प्राप्त हुआ है। महासंघ की नेतृत्वकारी सदस्य एक दूसरे के कार्यक्षेत्र मे भ्रमण कर नारीसंघ की बैठको मे प्रतिभाग करके नेतृत्वक्षमता का विकास करती है। अन्य गांवो की सदस्यो के साथ भी वे अपनत्व महसूस करने लगी है।

15. सामूहिक प्रयास

अम्बेडकरनगर जिले के जलालपुर ब्लाक के 20 ग्रामपंचायतो के 56 गांवो से 258 महिला अगुआ है। सभी नारीसंघ की 2571 सदस्यो ने सदस्यता ग्रहण की।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रही जन शिक्षण केन्द्र ने नारीसंघ के गठन के प्रारंभ मे ही विधिक जागरूकता शिविर आयोजित करके उसमे नरेगा एवं पीडीएस से संबंधित मुद्दो पर चर्चा करने के परिणामस्वरूप महिलाएं जागरूक हुई। एक बार जब महिलाओ को आभास हुआ कि इन नियमो से उनको सहायता मिल सकती है, तब महिलाए संगठित होना प्रारंभ हो गयी। नारी महासंघ की अध्यक्ष किसमती देवी बताती है "हम लोग किरन दीदी की बातो से प्रभावित हो कर मई 2010 मे नारीसंघ के गठन की प्रक्रिया का प्रारंभ कर सितम्बर 2010 मे गठन हुआ और हाथ उपर उठा करके सभी ने अपने अधिकारो को प्राप्त करने की शपथ भी ली।"

किसमती देवी कहती है "हांलाकि हम ही लोग अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते है, हम लोग सामूहिक नेतृत्व मे विश्वास करते है। रणनीति के आधार पर मुददो पर पहल करते है। उदाहरण के तौर पर जो लोग पहल करते है, उनको निशाना भी बनाया जाता है। जिन लोगो ने आरटीआई डाली और लिखित आवेदन के माध्यम से काम की मांग की एवं पीडीएस के मुद्दे पर आवाज उठायी, उन लोगो को लाभ प्राप्त करने मे समस्याओ का समाना भी करना पडा। किन्तु इस तरह की बातो पर ध्यान न दे कर हम लोग संगठन मे विश्वास करते हैं।

मई 2011 मे महासंघ ने आर0टी0आई0 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया। 257 महिलाओ ने अलग अलग आवेदन से राशनकार्ड, राशन वितरण एवं 18 ग्रामपंचायतो मे 20 राशन की दुकानो का निरीक्षण करने के संबंध मे था।जिससे वे अपने राशन प्राप्त करने के इरादे मे सफलता प्राप्त कर सके। इसके अंतर्गत 18 राशन की दुकानो की समस्या का समाधान करने के लिए निरीक्षण किया। जब भी महिलाओ ने स्थानीय स्तर पर शिकायत की, तब उनको चुप कराने के लिए धमकियां भी मिली किन्तु आरटीआई डालने पर तो और भी धमकियां मिली। महासंघ की अगुआ किसमती, सुनीता, संगीता ने स्थानीय स्तर पर सहयोग के लिए प्रत्येक गॉवो मे जाकर लोगो को प्रोत्साहित किया। महिलाओ मे एकता, नियमो के बारे मे जानकारी एवं मुद्दो को कोर्ट तक ले जाने की बातो से दबाव बन पा रहा है।

"हम संगठन की शक्ति मे विश्वास करते है, अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी चुनाव करते है। रणनीति आधारित मुद्दो पर संगठित पहल करते हैं।"

आवेदन डालने के पहले ही महिलाओ को सूचना के अधिकार अधिनियम के बारे मे जानकारी थी, अतः महिलाओ ने गॉव से ले कर पंचायत स्तर तक की सूचनाए मांगी और इस अभियान को धवरूआ और मालीपुर के प्रधानो ने भी समर्थन एवं सहयोग किया और आवेदन पोस्ट किए। नेतृत्वकारी महिलाओ का एक समूह वरिष्ठ डिवीजनल सिविल न्यायाधीश से मिल कर उनको पहल के बारे मे सूचित किया। महिलाओ ने आरटीआई का उत्तर न मिलने के संदर्भ मे लिखित ज्ञापन भी दिया और जब कोटेदारो को नोटिस मिला तब नारीसंघ का उत्साह बढ गया।

आवेग मे आ करके महिलाओ के सभी आवेदनो पर कार्यवाही न होन पर आवाज भी उठायी। सभी पर पहल होने पर महिलाओ पर प्रधान एवं कोटेदार का दबाव भी पडने लगा। कुछ कोटेदार ने नारीसंघ से बात करके समस्याओ का समाधान करने के लिए नारीसंघ से बात भी की। कोटेदारो की उचित प्रतिक्रिया मिलने पर महिलाओ ने शीघ्र कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया।

"पहले सब भगवान भरोसे था, अब महासंघ अपने अधिकार के लिए लडने लगे है।" किसमती देवी कहती हैं, "यदि हम लोग अकेले प्रयास करते तो सफल नही होते किन्तु संगठित होने से पहल का प्रभाव दिखने लगा है, किन्तु अभी महिलाओ को अधिकारो को प्राप्त करने एवं स्वतंत्र होन का सफर लम्बा है लेकिन अब महिलाएं समझ गयी है कि कुछ भी असम्भव नही है।"

16. सम्मानजनक जीवन के लिए प्रयास

पचास वर्षीय कैलाशी देवी मदनपट्टी ग्राम पंचायत की रानी लक्ष्मीबाई नारी संघ की अगुआ महिला है ,जिसका गठन मार्च 2008 में किया और इसमें 181 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी है। इसकी गठन की प्रक्रिया में ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान द्वारा सहयोग किया गया था।

कैलाशी देवी स्वयं को साबित करने वाली एक महिला अगुआ है जो फूलन देवी नारी महा संघ की अध्यक्ष है और जिला स्तरीय पैरोकारी समूह की सदस्य भी है।

मुश्किल से 13 वर्ष की उम्र से ही कैलाशी देवी के कन्धों पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी। अपने कठिनाइयों के बारे में बताते हुए वह कहती है कि उनके पति मानसिक रूप बीमार थे ,उनके सास–ससुर ने युवा दंपति से कहा कि उनके घर से दूर होजाये और अपने दम पर जीने के लिए कहा। तब से वह भी अकेले अपने दम पर अपने परिवार को व्यवस्थित रूप से चला रही है।

अपने गॉव की स्थिति बताते हुए कैलाशी देवी कहती है कि महिलाओं को उचित काम मिल पाना मुश्किल था। उनको मजदूरों के रूप में प्राथमिकता नहीं दी जाती थी और जब कभी काम पर रखा जाता था तो कम भुगतान किया जाता था।

"जब भी महिलायें प्रधान का दरवाजा खटखटाती तो वह जल्दी काम शुरू करने का वादा करता लेकिन कभी काम शुरू नहीं करता था। महिलाओं को उसके शब्दों पर विश्वास था और काम के लिए इन्तजार करना पड़ता था। कभी–कभी एक या दो दिन के लिए काम मिल जाता था और बीच में ही बंद कर दिया जाता था ," नारी संघ के गठन के पहले यही स्थिति थी। जब महिलाओं को एहसास हुआ तो उन्होंने काम के लिए लिखित आवेदन जमा किया ,उन्हें यह भी एहसास हुआ कि प्रधान उनसे झूठ बोल रहा था। पहले 3 पुरूष और 10 महिलाओं ने लिखित आवेदन दिया और उसके बाद 51 महिलाओं ने अपना काम का आवेदन प्रस्तुत किया , दोनों आवेदनों को रोजगार सेवक ने रिसीव किया। 6 दिन के अन्दर उन्हें सूचना मिली की काम शुरू हो गया है। लगभग 150 से 175 लोगों को चार दिन का काम मिला। काम सुनिश्चित करने की इस प्रक्रिया को देखकर प्रधान परेशान हो गया और उसने नारी संघ की महिलाओं व संस्था के कार्यकर्ताओं को धमकी दिया।

कैलाशी देवी ने नारी संघ के काम को आवश्यक समझ कर चुनौती के रूप में अपनाया। इस प्रक्रिया में वह एक साधारण दब्बू महिला से एक मुखर अगुआ के रूप में बदल गयी। वह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कहती है कि" मैं एक अगुआ के रूप में कब परिवर्तित हो गयी इसका मुझे एहसास ही नहीं हुआ।" सामूहिक कार्यों में अगुवाई करने के लिए अपने अन्दर नेतृत्व क्षमता को एहसास करते हुए कहती है कि ,"यह सच है कि मैंने अगुवाई की है और सामूहिक रूप से हम बहुत सी चीजों को हासिल किया है।

हमने उचित राशन वितरण के लिए संघर्ष किया है, ग्राम सभा की खुली बैठक में पंचायत सचिव का सामना किया है और काम की मांग को लेकर जिला कलेक्टरेट तक भी गये है और हम अपनी सभी मांगों को पूरा करने में सफल भी हुए। जब मैंने इस प्रकार के पहल को करने के लिए मुख्य जिम्मेदारी लिया तो मेरे अन्दर नेतृत्व के गुणों का भी विकास हुआ।"

"समुदाय के लेागो ने महसूस किया कि नारीसंघ के द्वारा की जाने पहल से प्राप्त सफलताओ से सिर्फ महिलाओ का ही लाभ नही होता, अपितु अपरोक्ष रूप से पूरा समाज ही लाभान्वित हो रहा है।"

इस गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण प्रक्रिया समस्याओं से भरी हुयी थी। लोगों को उचित मात्रा में राशन नहीं मिलता था, विशेष रूप से मिट्टी का तेल तीन महीने से नहीं मिल रहा था। नारी संघ की बैठक में इस समस्या पर विचार विमर्श किया गया। लेकिन महिलायें पहल करने के लिए तैयार नहीं थी। कैलाशी देवी ने इस समस्या पर पहल करने के लिए अगुवाई किया और महिलाओं से संगठित होकर कोटेदार का सामना करने के लिए अपील किया। महिलाओं के एक समूह ने, प्रति कोटा नियमित मिट्टी के तेल के आपूर्ति बारे में पूछने के लिए कोटेदार से मुलाकात किया। कोटेदार गुस्से में आकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनके डिब्बे को फेंक दिया। उसने लगभग शारीरिक रूप से एक महिला पर हमला किया। कैलाशी देवी ने इस मामले में हस्ताक्षेप किया और उसे चेतावनी दिया कि अगर वह अपना दुर्व्यवहार जारी रखेगा तो उनके शिकायत के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। कोटेदार ने एहसास किया कि उनको धोखाधड़ी से दूर करना आसान नहीं है क्योंकि महिलायें संगठित है और अच्छी तरह से जानकारी भी ले रही है। उसने उचित ढंग से राशन वितरित किया। अब जब कभी महिलाये मांग करती तो वह ठीक से व्यवहार करता लेकिन जो महिलाये जागरूक नहीं थी उनको बहकाता था। वहॉ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में कई अनियमितायें है जिसको महिलाये साफ करना चाहती है।

शुरूआत में महिलाओं द्वारा स्थिति को बदलने के लिए किये जाने वाले प्रयास के प्रति समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक था। लोग टिप्पणी करते थे कि ,"पुरूष बदलाव लाने की कोशिश कर चुके अब महिलाये उनके जैसा प्रयास कर रही है , लेकिन यह असंभव प्रयास है।" लेकिन अब समूदाय को महिलाओं के क्षमता का एहसास हो गया था। वे देखते थे कि महिलायें ब्लाक व जिला स्तर के अधिकारियों से अपने समास्याओं के समाधान के लिए मिल रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यहसास हो गया था, महिलाओं का पहल केवल महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है बल्कि उससे पूरा समुदाय लाभान्वित होगा। यहॉ तक कि परिवार के सदस्यों को भी समझ आ गया था कि यदि उन्हें रोकना चाहे तो भी महिलाये नहीं सुनेगी। इसलिए महिलाओं का समर्थन करना ही उनके हित में है।

कैलाशी देवी कहती हैं कि " मैं एक महिला अगुआ हूॅ और सरकारी अधिकारी हमारी सेवा के लिए है। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब वे गैर जिम्मेदारना हरकत करते है जबकि ये जागरूक और सक्षम है।" वह गर्व महसूस करती है कि वह सत्ता में बैठे लोगों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मजबूर करने में सक्षम है।

भोजन के अधिकार और काम के अधिकार पर जोर देने के अलावा महिलाओं को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी महत्व देते है। उन्हें लगता है कि महिलाओं का शोषण नहीं करना चाहिए और गरीब और सामाजिक दृष्टिकोण से हाशिए पर रहने वाली महिलाओं का अपमान नही होना चाहिए। उनके मन में सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक व्यापक दृष्टिकोण है।

17. आम संसाधनो तक पहुंच सुनिश्चित

रासलपारा नारी संघ, अम्बेडकर नगर जिले में, कटेहरी ब्लाक के रासलपार ग्राम पंचायत में अपने क्रेडिट से उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त किया है। इस संगठन का गठन 189 सदस्यों के साथ मार्च 2008 में, लोक जागृति संस्थान के सहयोग से किया गया और इस नारी संघ के लोगों ने सफलतापूर्वक गॉव के तालाब के उपयोग लिए पहुॅच सुरक्षित किया है।

संगठन की कोषाध्यक्ष प्रभावती देवी जिनकी उम्र 35 वर्ष है, गर्व के साथ अपने नारी संघ के उपलब्धि बताती है। "हमारे गॉव में एक तालाब है जिसका उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। लेकिन कई सालों से इस तालाब पर गॉव एक प्रभावशाली व्यक्ति का कब्जा था और कोई अन्य इसका उपयोग नहीं कर पाता था। हाल ही में मेरे पड़ोस के कुछ बच्चे तालाब में मछली पकड़ने के लिए गये थे तब दंबग व्यक्ति द्वारा उन बच्चों की बुरी तरह से पिटाई की गयी। मैंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दें के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। वह कैसे समुदाय के संसाधन का उपयोग निजी सम्पत्ति के रूप में कर सकता है?यह एक आम संसाधन है और कोई समान रूप से इसका उपयोग कर सकता है। उसे किसी को भी रोकने या परेशान करने का कोई अध्किार नहीं है।" इस सोच के साथ प्रभावती देवी ने संगठन के सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। प्रभावशाली व्यक्ति ने गॉवा वालों का अपने खिलाफ खड़ा होते देख ,अपना रूख नरम रखते हुए सबको यह विश्वास दिलाया कि तालाब पर अब सबका बराबर का अधिकार होगा। लेकिन वह प्रभावती देवी को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे का प्रलोभन देना चाहा ,लेकिन वह उनका मनोबल तोड़ने में सफल नहीं हो पाया। अंततः गॉव के सभी परिवारों का तालाब पर पहुॅच सुनिश्चित हुआ। इस प्रकार प्रभावती देवी ने गॉव के आम संसाधनों का गबन करने वालों को एक चुनौती दिया और यह भी सुनिश्चित किया कि अब इस तरह के संसाधनों पर सभी लोगों का बराबर का अधिकार होगा। नारी संघ की महिलाओं ने सामूहिक रूप से इसमें मछली पालन करने लगे। दबंग व्यक्ति कभी–कभी उन्हें धमकी देने की कोशिश करता रहता है लेकिन अब ये लोग जबाव देना सीख गये है।

"सार्वजनिक संसाधनो पर समाज के प्रभावी लेागो के अधिकार को नारीसंघ ने चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनो पर सभी पर सभी को अधिकार प्राप्त हुआ।"

प्रभावती देवी अपने सफलता का श्रेय नारी संघ को देते हुए कहती है कि "इस संगठन से हमारे जीवन में बदलाव हुआ। जहॉ महिलायें पहले अपने परिवार में भी बात करने से डरती थी वही अब पूरे विश्वास के साथ सरकारी अधिकारियों के सामने भी अपनी बात रखने लगी है। अब ये लोग स्वयं दावा करके अपने अधिकारों की रक्षा करना सीख गयी है।"

प्रभावती देवी जैसी महिलाए अब जानकार हो गयी है। काम के अधिकार के अंतर्गत काम प्राप्त करने से ले करके ग्रामसभा की बैठको मे मुद्दो पर चर्चा एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया मे प्रतिभाग करने के लिए भी उत्साहित है। महिलाएं अपनी मांगो को उठाने के साथ ही अन्य कार्यवाहियो मे भी योगदान दे रही है। अब वे लोग एक भी ग्रामसभा की बैठक को कभी भी छोडना नही चाहती है। मार्च 2011 मे महिलाओं को ग्रामसभा के बारे मे तब सूचना मिली जब वे काम करने के लिए जा रही थी। किन्तु जैसे ही बैठक पता चला महिलाए वापस बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए आ गयी। प्रधान उन लोगो को देख करके अचंभित रह गया जब उसको पता चला कि महिलाए काम छोड़ करके बैठक के लिए आ रही है। महिलाओं ने कहा कि हम लेाग बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए एक दिन की मजदूरी संतोष करने को तैयार है, क्योकि अब वे ग्रामसभा के महत्व से भलीभांति परिचित है।

नारीसंघ नेतृत्वकर्ताओं की कहानियाँ

1. आत्मशक्ति का एहसास

प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लाक में सकरा गॉव की नीलम देवी, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के माध्यम से विकसित महिला अगुवाओं के बीच में शायद सबसे कम उम्र और सबसे अधिक शिक्षित महिला अगुआ है।

वह 28 साल की विवाहित महिला है और उनके पास एक बेटा भी है। उनके पति स्नातक है और एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नीलम देवी स्वयं भी जुनियर हाई स्कूल तक पढ़ी लिखी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं की तुलना में, जहां हर दस महिलाओं में से चार महिला अनपढ़ है, उनका शैक्षिक स्तर काफी अच्छा है।

नीलम देवी एक संवेदनशील महिला है और सामाजिक भेदभाव के मुद्दे हमेशा उनके दिल को छूते रहे है। लेकिन इससे पहले वह इस बारे में कुछ करने के लिए अपने आपको असहाय महसूस करती थी। वह ताजा घटना याद करते हुए बताती है कि कैसे उनके गॉव के जमींदार उनके समुदाय के लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए मजबूर करते थे और मजदूरी के लिए भी परेशान करते थे। "मैं इस स्थिति के लिए स्वयं को दुखी महसूस करती थी लेकिन अधिकतर लोग भूमिहीन है और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। वह अपने गांव की महिलाओं के स्थिति के बारे में भी उतनी ही चिंतित है। ग्रामीण क्षेत्रो में सार्वजनिक और निजी स्तर पर लैंगिक विभाजन अधिक प्रमुख है। नारी संघ के गठन के पहले की स्थिति बताते हुए नीलम देवी कहती है कि," महिलाओं के लिए उनका घर ही उनकी दुनिया होती है। उनसे घर के चारदीवारी के भीतर ही रहने और गॉव के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने की उम्मीद की जाती है। हमने कभी इस तरह की रिवाजों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं किया और किसी ने कभी भी हमें नहीं बताया कि हमारे अधिकार क्या है।

जब से नारी संघ की गठन की प्रक्रिया आरम्भ हुई थी तभी से स्थिति में बदलाव शुरू हो गया। शुरूआत के बैठकों में संस्था के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं एक साथ आने की जरूरत पर जोर दिया। " उन्होंने हमें बताया कि हमें घरेलू कामकाज से बाहर निकल कर सोचना चाहिए और यह समझने की कोशिश करना चाहिए कि हमारे आस–पास क्या चल रहा है," नीलम देवी याद करके जोड़ते हुए कहती है कि, "इस तरह के बातचीत के माध्यम से महिलाओं ने अपने अन्दर की शक्ति को महसूस किया और यह भी एहसास किया कि हम एक साथ मिलकर कुछ कर सकते है और बहुत सुधार हो सकता है।" अधिकतर गरीब, अनुसूचित जाति, मजदूरी करने वाली महिलाओं ने मिलकर पंचायत स्तर पर जून 2010 में आजाद नारी संघ का गठन किया गया।

भोजन और काम हमारी मुख्य चिंता है। जब आपका पेट खाली हो तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर सकते हैं।

– नीलम देवी,
अध्यक्ष, आजाद नारीसंघ

सकरा गांव की महिलायें एकमत होकर नीलम देवी को अपने संगठन के अध्यक्ष के रूप में चयन किया। वह अपने नारी संघ का नेतृत्व कर रही है जिसमें कुल 112 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी है। नीलम देवी को गर्व है लेकिन अपने नव अर्जित स्थिति के बारे में विनम्र है। अपने स्वयं के शब्दों में नीलम देवी मानना है कि, "मैं एक साधारण महिला थी, बमुश्किल मुझे अपने घर की चारदीवारी से बाहर के दुनिया के बारे में कुछ भी पता होता था।" लेकिन अ बवह बदल गयी है और आम महिलाओं के बीच में असाधारण काम करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रही है। आत्मविश्वास से लबरेज और सकारात्मक सोच की नीलम देवी अपने इस बदलाव का श्रेय महिलाओं के संगठन को देती हैं।

नारी संघ के सदस्यों की समझ विकसित करने और पहल करने के लिए प्रेरित करने में सूचनाओं का आदान प्रदान और प्रशिक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नीलम देवी का मानना है कि मासिक बैठक के माध्यम से नियमित बातचीत और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलायें पहल करने में सक्षम हुई है और उनके गॉव की स्थिति में भी सुधार हुआ है।

आजाद नारीसंघ का सबसे पहला पहल गॉव के स्कूल से संबन्धित है। नीलम देवी को आज भी अपनी पहली सफलता याद है।श मिड डे मिल का खराब क्रियान्वयन और शिक्षकों की अनियमित उपास्थिति जैसी कई समस्यायें थी। एक दिन नारीसंघ के सदस्यों का एक समूह प्रधानाध्यापक से मुलाकात किया और समस्याओं पर चर्चा किया। शुरूआत में शिक्षकों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं किया और महिलाओं के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन नारी संघ के सदस्य निरंतर पहल करते रहे। अंत में स्थिति में सुधार हुआ। नीलम देवी संतुष्टि के भावना के साथ बताती है कि," अब शिक्षक समय से आने लगे है और गॉव वालों के प्रति जबावदेह भी है। "

इसी तरह, नारी संघ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कामकाज में सुधार के लिए कार्य किया। पी0डी0एस0 के नियमों की जानकारी होने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि गॉव की राशन की दुकान ठीक से नहीं चल रही है। कोटेदार के पंसद और सनक के कारण बी0पी0एल0 कार्ड धारकों ने बहुत कुछ सहा। जब तक वह अपने तरीके में बदलाव नहीं लाया तब तक नारी संघ के सदस्यों ने कई बार उसका सामना किया।

आजाद नारी संघ ने महिलाओं के लिए जॉब कार्ड सुरक्षित करने और मनरेगा में काम सुनिश्चित करने के सफलतापूर्वक संघर्श किया। प्रासंगिक रूप से नीलम देवी कहती है कि भोजन और काम हमारी मुख्य चिंता है। जब आपका पेट खाली हो तो आप अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं कर सकते है।"

हालांकि नारी संघ ने सार्वजानिक वितरण प्रणाली और मजदूरी के मुद्दे को प्राथमिकता पर लिया है , इसके अलावा जब ऐसी कोई अन्य समस्या आती है तो इसने लिंग भेदभाव जैसे मुद्दे को भी उठाया है। संगठन ने महिलाओं की तरफ से इस तरह के कई घटनाओं पर हस्ताक्षेप किया है। उनके गॉव के एक ऐसे मामले में, मांस के दुकान का मालिक एक महिला का भेड़ खरीदने के बाद उसको पैसे के भुगतान के लिए परेशान कर रहा था। नाराज महिला ने अपनी इस समस्या को नारी संघ की बैठक में बताया। नारी संघ की सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर दुकान मालिक से संपर्क किया और उस महिला का बकाया धनराशि दिलवाया।

जिस तरह से नारीसंघ का विकास हो रहा है, उसके बारे में नीलम देवी ने अपार संतुष्टि व्यक्त किया। नारी संघ के साथ आने से उनके धारणा में भी बदलाव हुआ है, विशेषकर महिलाओं के सम्बन्ध में। "मैं अब महिलाओं को कमजोर और असुरक्षित के रूप में नहीं देखती हूँ। बल्कि प्रत्येक और हर महिला में लक्ष्मीबाई (झांसी की रानी जिन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ा) और दुर्गा (जो राक्षसों से युद्ध करने वाली देवी है) की अभिव्यक्ति होती है।" नीलम देवी का मानना है कि हर एक महिला के अन्दर सकारात्मक ऊर्जा है और नारी संघ के रूप में उनके संगठन की ताकत कई गुना हो गयी है।

2. अब और विनम्रता नही

नारीसंघ के साथ जुड करके महिलाओ के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण प्रभाव दिखायी पड़ने लगा है। बड़का देवी प्रतापगढ़ जिले के मंगरौरा ब्लाक के सलाहीपुर ग्रामपंचायत मे सामाजिक परिवर्तन की इस प्रक्रिया की प्रमाण विशेष रूप से दलित महिलाओ मे ही देखा जा सकता है।

51 वर्ष की बडका देवी का विवाह 17 वर्ष की उम्र मे हुआ और उनके 4 बच्चे है। वो खेत मे मजदूरी करती है। इनके परिवार के पास थोडा सा खेत है जिसमे कि ये लोग अनाज उगाते है और आय के लिए खेती की मजदूरी के साथ ही अन्य जगहो पर मजदूरी करके जीवनयापन करते है।

"संगठन के अभाव में पहले हम लोग कमजोर एवं शोषित थे।"

– बड़का देवी

अध्यक्ष, नयना नारीसंघ

उनके गाव मे उच्च जाति के लोगेा का ही प्रभाव है और वे हमेशा ही दलित समुदाय के लोगो का शोषण करते है। बडका देवी भी अनुसूचित जाति से है और अनेक बार सामाजिक मुद्दो पर भेदभाव उन्होने भी देखा है। उदाहरण के रूप मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हो रहे भेदभाव पर भी देखा जा सकता है, "हांलाकि गरीबो को ही सस्ते राशन सबसे अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन कोटेदार पहले उच्चजाति के लोगो को राशन देने के बाद ही बचा हुआ हम लोगो को देता है। हम लेागेा को यह सब बर्दाशत करना पडता है।" इसी तरह के बहुत से उदारहण उनके पास बाटने के लिए है।

उसका समुदाय उच्च जाति के लोगो के प्रभुत्व के आगे घुटने टेक देते और आपस मे ही लडाई करते। बडका देवी बताती है कि "हम लेागो के समुदाय मे आपस मे ही लोग छोटी छोटी बातो पर लड़ाई करते।" हम लेाग अनभिज्ञ थे और हम लेागो को गाव मे सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओ एवं कार्यक्रमो की कोई जानकारी नही थी।" इससे यह जाहिर है कि उनके समुदाय के लोग विकास की योजनाओ से पूरी तरह वंचित रह गए।

नयना नारीसंघ का गठन वर्ष 2009 मे हुआ। नारीसंघ के गठन के लिए आयोजित की गयी कुड ही बैठको ने बड़का देवी के उपर अपनी अमिट छाप छोंडी। यहां पर पहली बार उनको पता चला कि उनके अधिकार क्या होता है और उनके अधिकार क्या है और उनके अधिकारो का किस तरह से हनन हो रहा है। वो याद करते हुए कहती है कि "संतोष (संस्था के कार्यकर्ता) हम लेागो को लगातार बताते कि आप लोगो का हक मारा जा रहा है, वो हमारे गॉव के ही बहुत से उदाहरण देते जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे अनियमितता, मनरेगा मे अनियमितता से ले कर सार्वजनिक धन के दुरूपयोग आदि को बताते।" पहले तो वे उत्पीड़न को चुनौती न मान करके अपनी किस्मत ही मानते थे, किन्तु हक–अधिकारो की जानकारी होने से हम लेागो का दृष्टिकोण मे परिवर्तन हुआ।

शायद अब उनको यह समझ में आ गया था कि अधिकार कोई किसी को देता नही बल्कि इसको कोई किसी से ले नही सकता। इसके अलावा उन्हे अपने अधिकारो के लिए दावा भी करना पडेगा। जागरूक हो के बड़का देवी ने समुदाय की 35 महिलाओ कों साथ ले करके नारीसंघ से जुडने का निर्णय लिया। वह नारीसंघ की अध्यक्ष चुनी गयी और अन्य कामो के साथ ही उनको अन्य गॉवो मे भी बैठक करके महिलाओ को नारीसंघ के बारे मे चर्चा करके गतिशील करने की जिम्मेदारी दी गयी। वर्तमान मे नारीसंघ की 206 सदस्य है। नारीसंघ के अधिकतर सदस्य अशिक्षित थे और बडका देवी भी पूरी तरह से अशिक्षित थी अत उन्होने संस्था द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संदर्भन केन्द्र चलाने के लिए अपने घर मे जगह भी दी।

बडका देवी के नेतृत्वकारी लक्षण स्पष्ट हो गए, जैसे कि उन्होने नरेगा के मुददे पर की गयी पहल को बताते हुए कहती है कि "जब काम की मांग करने के लिए कुछ महिलाए प्रधान के पास गयी, तो उन्होने काम देने से इन्कार कर दिया।उसके बाद 32 सदस्यो को साथ ले करके पुन अपनी मांग को दोहराया, और कहा कि महिलाए कार्यस्थल पर धरना देगी और तब तक किसी को भी काम नही करने देगी, जब तक की महिलाओ को काम नही मिल जाता।" इसके बाद किसी तरह से प्रधान ने हम लेगेा से दूसरे दिन आवश्यक औजार ले करके कार्यस्थल पर आने के लिए कहा। किसी तरह से दूसरे दिन काम पर जाने के लिए फावडा और छौली का इंतजाम किया। प्रधान ने पुरूषो कं बराबर ही हम लेागो को भी काम दिया। हम लेागो ने कम समय मे पुरूषो से भी पहले काम को पूरा कर लिया। अब प्रधान के पास हम लेागो काम न देने का कोई भी वजह नही थी। अगले ही दिन 32 महिलाओ को जॉबकार्ड मिल गया और अपने नाम से बैक मे खाता भी खुलवाया। उसके बाद से महिलाओ काम मिलने मे कोई समस्या नही हुई। उन्होने लिंग एवं रूढ़िवादिता पर आधारित व्यवस्था को भी चुनौती देते हुए यह दिखा दिया कि महिलाए भी अपरंपरागत कार्यो को करने मे सक्षम है। आज उनके गाव मे मनरेगा कार्यस्थल पर महिलाए ही अधिक संख्या मे काम करती है।इससे आगे बढ महिलाओ ने नरेगा के कार्यो का निष्पादन भी सुनिश्चित कराया। अब तो गांव का नरेगा पर्सपेक्टिव प्लान भी बन गया है जिससे की मानवदिवस मे वृद्धि हो सके।

सलाहीपुर के नारीसंघ ने गॉव की स्थिति मे महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। कोटेदार जो कि पहले उच्च जाति के लोगो की तरफदारी करता था आज वह भी बी0पी0एल0 कार्डधारको को प्राथमिकता देने लगा है। पहले जो महिलाएं प्रधान के सामने अपनी बाते नही रख पाती थीं आज वो ही ग्रामसभा की बैठक मे जा करके अपनी मांगो को भी रखने लगी हैं।

बड़का देवी से चर्चा के दौरान अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनो के बारे मे भी चला। महिलाओं का संगठित एंव एकजुट हो करके काम करना ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। बड़का देवी जोकि आज संगठित आवाज एवं संगठित पहल को महत्वपूर्ण मानती है, वे कहती है कि "पहले हम लोग कमजोर एवं दब्बू थे क्योकि हम लोग संगठित नही थे।"

3. जन्म से संघर्षकारी स्वभाव

छविराजी देवी 8 सितम्बर 2010 को गठित हुए गंगा नारीसंघ की सक्रिय सदस्य है। 48 वर्ष की छविराजी देवी अब अगुआ के रूप मे जानी जाती है हालांकि अनेक कठिनाइयो के बावजूद भी उन्होने सफलतापूर्वक अपना जीवनयापन किया।

मऊ जिले के घोसी ब्लाक के रसड़ी गॉव की छविराजी देवी जन्मजात बहादुर है। जीवन मे उनके सामने अनेक समस्याएं आयी किन्तु सभी के समक्ष वे हिम्मत एवं जिम्मेदारी के साथ खड़े होकर सामना किया।

छविराजी देवी का गरीब परिवार मे जन्म लेने के कारण अनेक बार समझौता करना। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पाचवी कक्षा के बाद ही उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उनका विवाह एक ऐसे परिवार मे हुआ जहां पर उनको अपने बीमार पति एवं ससुर की देखभाल गरीबी के बीच ही करनी पडी। वह अपने परिवार के गुजारे के लिए मजदूरी करने लगी। कम उम्र मे ही उनके पति का भी निधन हो गया। फिर उन्होने अपने दोनों बच्चो की अकेले ही देखभाल की। हांलाकि उनके बडे पुत्र की 17 वर्ष की आयु मे बीमारी के कारण मृत्यु हो गयी। छविराजी देवी ने यह शोक भी निगल लिया और छोटे बेटे की देखभाल करने लगी। अब वह बडा हो करके अपने परिवार की आय मे भी योगदान दे रहा है।

"नारीसंघ की सदस्यो की सोच मे सकारात्मक परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप ही वे जाति एवं धर्म आधारित भेदभाव से ऊपर उठ करके एक दूसरे को सुनने एवं सम्मान भी देने लगी है।"

– छविराजी देवी
अध्यक्ष, गंगा नारीसंघ

छविराजी देवी के संघर्षमयी जीवन के कारण महिलाओं की समस्याओ से संबंधित मुददो पर उनकी संवेदना थी, अतः उन्होने नारीसंघ से जुडने का निर्णय लिया। "महिलाएं जाति, समुदाय एवं संस्कृति के आधार पर बॅटे होने के कारण ही उन्होने एक दूसरे की सहयोग एवं समर्थन करना ही नही सीखा।" छविराजी देवी ने अकेले ही अपने परिवार की देखभाल की थी। वह महिलाओं की स्थिति के प्रति चिंतित थी और उनको लगता है कि संगठित हेा करके ही महिलाओ को समाज मे महत्व एवं सम्मान मिल सकता है जिसकी वे हकदार है।" मेरा विश्वास है कि संगठित होने के बाद ही महिलाओ की समस्याओ को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जा सकता है।" उन्होने नारीसंघ का हिस्सा बनने का फैसला इस उम्मीद के साथ किया कि इसके माध्यम से महिलाओ मे अधिकारो के प्रति जागरूक हेा करके सरकारी योजनाओ को समझ कर एवं प्राप्त करके ही आत्मनिर्भर हेा पाएंगी। गंगा नारीसंघ ने अच्छी तरह से काम करके उनकी दोनो ही दुविधाओ को समाप्त किया।

नारीसंघ की सफलता मे छविराजी देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमो एवं सीख भ्रमण मे प्रतिभाग करने से उनकी समझ विकसित हुई। अब वो स्थानीय महिलाओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सूचना के अधिकार, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के लिए महत्वपूर्ण संसाधन बन गयी है।

बिना कष्ट उठाए, कोई लाभ नही मिलता–यह कहना है जानकारी प्राप्त करने की इच्छुक छविराजी देवी का। वे याद करते हुए बताती है कि किस तरह से उनका पुत्र एवं पडोसी नारीसंघ के काम से बाहर जाने के खिलाफ थे।" मेरा बेटा मेरे बार बार यात्रा करने, बाहर जाकर बैठको एवं प्रशिक्षणो मे प्रतिभाग लेने के विरूद्ध था, कई बार तो उसने मुझे बाहर जा करके इन कामो को बंद करने के लिए भी कहा। अंत मे जब उसकी बातो का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नही पडा, तो पडोसी भी उसकी निराशात्मक धुन मे

शामिल हो गए। उनके विरोध एवं आलोचना के बावजूद भी छविराजी देवी अपने विश्वास के साथ जारी रखा। नारीसंघ के पहल की सफलता देखने के बाद ही उनके प्रतिरोध कम होने लगे।

प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी के माध्यम से छविराजी देवी ने नारीसंघ की 5 विधवा सदस्यो की पेंशन के लिए पहल करके उसको पुनर्जीवित करने मे मदद की। परिणामस्वरूप बिना कोई कारण बताए उनकी ही पेंशन रोक दी गयी, और सब मेहनत बेकार हो गयी। उन्होने अपनी स्थिति का विवरण ग्रामप्रधान एवं ब्लाक पर संबंधित अधिकारी को बताया, किन्तु कोई कार्यवाही न हुई। इसी बीच उन्होने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन्होने इस मुद्दे पर नए सिरे से कार्यवाही की और सफलता मिलने तक प्रयास जारी रखा। सफलता प्राप्त होने से उनका आत्मविश्वास बढा। उन्होने नारीसंघ के 10 सदस्यो का मनरेगा मे जॉबकार्ड एवं व्यक्तिगत खाता भी खुलवाया। छविराजी देवी बताती है कि "मुझे भी इन योजनाओ के बारे मे अभी कुछ दिनो पहले ही जानकारी हुई है। पहले भी मै ब्लाक पर अधिकारियेा से बात तो कर लेती थी किन्तु जानकारी मिलने के बाद प्राप्त हुई सफलताओ और उपलब्धियो से मेरा हौसला मजबूत हो गया है।" छविराजी देवी ने नारीसंघ के सदस्यो का सिर्फ जॉबकार्ड बनवाने एवं बैक मे खाता ही नही खुलवाया बल्कि साथ ही उनको सशक्त करने का काम भी किया, जिससे कि वे बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सके एवं कोई समस्या होने पर मनरेगा हेल्पलाइन का उपयोग करके समाधान कर सके।

छविराजी देवी के अनुसार नारीसंघ का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि महिलाओं के सोच एवं नजरिए तथा धारणा मे परिवर्तन है। नारीसंघ की नेतृत्वकर्ता, जो कि सभी महिलाओ को संगठित देखना चाहती है, वो बताती है कि "नारीसंघ के सदस्य अब जाति एवं समुदाय के विभाजन के दायरे से उपर उठ कर इन असमानताओ को समाप्त करके एक साथ बैठको मे आ करके बिना किसी संकोच के एक दूसरे से बात करने लगे है। महिलाओं मे असमानता कम हुई और सभी एक दूसरे का सम्मान करने लगी है।"

4. स्थानीय सत्ताधरियो को चुनौती

गाजीपुर जिले में, सदर ब्लाक में, औरंगाबाद गॉव की रहने वाली अनरसी देवी का मानना है कि, "नारी संघ के साथ जुड़ाव होने के बाद मुझे महिलाओं के पास की आंतरिक शक्ति का एहसास हुआ है। मुझे लगता है कि महिलायें कुछ भी करने के लिए सक्षम है, बशर्ते उनको सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिलता रहे।"

पचास साल के उम्र की अनरसी देवी महामाया नारी संघ की अध्यक्ष है जिसका गठन जून 2009 में किया गया। एक बच्चे के रूप में, वे अपनी स्कूली शिक्षा से चूक गयी थीं। अब वह और अनपढ़ नहीं रहना चाहती है और इसीलिए अन्य नारी संघ के सदस्यों के साथ साक्षरता केन्द्र की कक्षाओं में आती है।

अनरसी देवी यह स्वीकार करती है कि, "ग्रामीण महिलाओं को एकजुट करना आसान नहीं है। वास्तव में, यह उतना मुश्किल है जितना चट्टान पर घास उगाना।" वह अपने नारी संघ के बारे में और अधिक बताते हुए कहती है कि संगठन के रूप में नारी संघ उनके लिए बहुत मायने रखता है।

हांलाकि नारी संघ के गठन के पहले की स्थिति को समझाते हुए वे कहती है कि, "महिलायें पूरी तरह से पुरूषों पर आश्रित थी ,वे स्वयं से निर्णय लेने में डरती थी और इसीलिए शायद वे कभी भी स्वतंत्र रूप से बातचीत नहीं कर पाती थी।" पीछे मुड़ कर देखे तो, उन्हें लगता है कि असुरक्षा और नकारात्मक सोच ही महिलाओं को पीछे ले जाती है। शुरूआत में कई लोग बैठकों में प्रतिभाग करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ समय बाद, 17 महिलाओं को साथ लेकर नारी संघ के गठन का फैसला लिया गया।

यद्यपि परिवार के लोग उनका सहयोग करते थे, फिर भी अनरसी देवी को गॉव वालों के विरोधों का सामना करना पड़ा था। उन लोगों ने, उन्हें समुदाय की महिलाओं को संगठन के गठन के माध्यम से बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया। वे लोग उनके

"नारी संघ हम महिलाओं के सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे सुमदाय के लोग भी हमें गम्भीरता से लेते है और हमारे सुझावों को महत्व देते हैं।"

—अनरसी देवी
अध्यक्ष, महामाया नारी संघ

प्रयासों को यह कह कर खारिज कर दिया कि बैठक से कुछ नहीं होने वाला है। यहां तक कि उन लोगों ने उनके पहल और नेतृत्व का भी मजाक उड़ाया। अपने अन्दर विश्वास बनाये रखने के लिए अनरसी देवी के लिए यह कठिन समय था।

नारी संघ के अध्यक्ष के रूप में, महिलाओं को एकजुट करने और नारी संघ में सदस्यता बढ़ाने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत से काम किया जिसके फलस्वरूप सितम्बर 2011 तक 197 महिलायें संगठन से जुड़ गयी। नारी संघ की गठन की प्रक्रिया से ही महिलाओं में कई तरह का बदलाव आया। अब वे एक साथ मिलकर रहने से परहेज नहीं करती है। अब महिलायें एक फोन पर तुरंत इकट्ठा हो जाती है और हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार रहती है।

इस नारी संघ ने महिलाओं के नाम जॉबकार्ड बनवाने के लिए अपने सामूहिक शक्ति का प्रयोग किया। अनरसी देवी पूरी भावना के साथ अपने इस पहल को बयान करते हुए कहती है कि, "जॉबकार्ड प्राप्त करने के लिए हमने कई बार प्रधान, पंचायत सचिव और ब्लाक स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात किया। यद्यपि हमारे सभी प्रयास विफल रहे और हम निराश थे। एक बार जब हम ब्लाक कार्यालय में गये थे तो हमने सी0डी0ओ0 (मुख्य विकास अधिकारी) के कार का अन्दर प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय हमने एक बार उन्हें पकड़ने का फैसला किया। उन्होंने हमारी मांगों को सुना और प्रधान व पंचायत सचिव को तुरंत हमारे जाब कार्ड को जारी करने का आदेश दिया। उसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जल्द जाब कार्ड नहीं मिलने के स्थिति में हम उनसे दोबारा मिल सकते है। अगले दिन आवेदन के अनुसार 65 लोगों को जाब कार्ड मिला। हम खुश थे।" अनरसी देवी जानती थी कि प्रधान बहुत सी महिलाओं को जाब कार्ड देने के लिए इच्छुक नहीं था। जाब कार्ड सौंपते समय उसने अपने क्रोध को व्यक्त किया। उसने कहा कि जाब कार्ड बनवाने से कोई फायदा नहीं है उन लोगों को काम नहीं मिलेगा। अनरसी देवी ने उसके शब्दों को चुनौती के रूप में लिया। "हमने 35 दिन के काम का मांग किया । शुरू में प्रधान ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया लेकिन बाद में मान गया और यक दिन उसके जमीन पर काम मिला और हमे मजदूरी भी प्राप्त हुई। " हांलाकि प्रधान महिलाओं के साथ चाल चल रहा था। "बाद में हमें एहसास हुआ कि वह धन अनुचित था। मनरेगा कानून के अर्न्तगत केवल बी0पी0एल0 और अनुसूचित जाति परिवारों के लिए ही व्यक्तिगत भूमि पर विकास के कार्य की अनुमति है। संस्था की सामूदायिक कार्यकर्ता ने हमें हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत करने का सुझाव दिया जो हमने किया।" अनरसी देवी ने हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कराई और डी0एम0 (जिला मजिस्ट्रेट) से भी बात किया जिन्होंने सी0डी0ओ0 व बी0डी0ओ0 को आगे की जॉच के लिए कहा। अंत में , प्रधान ने उपयोग किए गये अनुचित धन को वापस किया। अनरसी देवी खुश थी कि वे प्रधान को सबक सिखाने में सक्षम थी।

अब तक अनरसी देवी को यह एहसास हो गया था कि जाबकार्ड प्राप्त करने से ज्यादा कठिन है और उनका संघर्ष अभी तक जारी है। हाल ही में उन्होंने ब्लाक कार्यालय में काम की मांग को रखने के लिय 65 महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया। उन लोगों ने बी0डी0ओ0 का घेराव किया और कार्रवाई की मांग किया। एक पखवाड़े के अन्दर 90 महिलाओं को 4 दिन का काम मिला।

इस अनुभव के बाद उनमें और अधिक विश्वास व दृढ़ निश्चय हो गया। यहॉ तक कि उन्होने उच्च जाति के यादव परिवार के नेता का सामना किया जो गरीब गॉव वालों पर अपनी शक्ति दिखा रहा था। किसी ने भी उसको चुनौती देने की हिम्मत नहीं किया लेकिन अनरसी देवी ने उसे चुनौती दिया। यादव ने उन्हें गम्भीर रूप से मारा लेकिन अनरसी देवी ने उसके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवायी। उसे 5000 रूपये जुर्माना देना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी। स्थानीय सत्ता का समीकरण निश्चित ही बदल रहा है।

समुदाय के लोगों ने नारी संघ के गतिविधियों में सहयोग किया और बढ़ावा दिया है। अनरसी देवी ने अधिकतर लोगों में हुए व्यवहार परिवर्तन की सराहना करती है। महिला अगुआ गर्व के साथ कहती है कि, "नारी संघ हम महिलाओं की सामूहिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारे लोग हमें गम्भीरता से लेते है, हमारे सुझावों को महत्व देते है, हमारा सम्मान और सहयोग करते हैं।"

5. सक्रिय नेतृत्वकर्ता

गाजीपुर जिले के जखनिया ब्लाक के गौराखास ग्रामपंचायत की नसीम बानो चिंगारी नारीसंघ की अध्यक्ष है। वे शक्ति नारी महासंघ की अध्यक्ष भी है, जिनमे की सभी ग्रामपंचायतो की नेतृत्वकर्ता ब्लाक पर नारीमहासंघ के रूप मे बैठक करती है। नसीम बानो ने सामाजिक मुद्दो के प्रति संवेदनशीलता एवं उनके सक्रिय दृष्टिकोण के आधार पर पहले ही नेतृत्व क्षमता को साबित कर चुकी है। हालांकि यहां तक का सफर उनके लिए आसान नही रहा है।

नसीमबानो की उम्र 46 वर्ष की है और उनके 5 बच्चे हैं। वो एक बडे संयुक्त परिवार के रूढ़िवादी दृष्टिकोण से आती है। उनके परिवार मे महिलाओ को सम्मान मिलता है किन्तु उनको परदे मे रहना एवं घर से बाहर निकलने की भी कोई आजादी नही है और घर के निर्णयो मे बोलने की भी आजादी नही है। परिवार की बडी बहू होने के कारण परिवार के नियमो का उनको कड़ाई के साथ पालन करना था।

नसीम बानो बताती है कि उनको आज भी याद है कि उनको पहली बार घर से बाहर बैठक मे जाने के लिए किस तरह से उनके ससुर उनके ऊपर गुस्सा हुए थे। "उन्होने कहा कि मै परिवार के भले के लिए ही जैसा सोचता हूँ, वो बोल रहा हूँ क्योकि मै समाज मे अपने परिवार की इज्जत कम हेाते नही देख सकता।" इसके बाद भी वो नारीसंघ की बैठको मे प्रतिभाग करती रही और वर्ष 2010 मे नारीसंघ की अध्यक्ष के पद के लिए उनका चुनाव हुआ।जब महिलाओ को बैठक मे दी जा रही सूचनाओ का महत्व समझ मे आया तब से उनकी बैठको सहभागिता बढ़ती गयी। वर्तमान मे नारीसंघ की 150 सदस्य है।

जैसे जैसे संगठन के सदस्यो की संख्या बढ़ी, परिणामस्वरूप परिवार का प्रतिरोध कम हेाने लगा। हालांकि एक घटना के माध्यम से नसीम बानो के विशेष कार्य एवं नारीसंघ के काम के महत्व पर प्रकाश डालता है।

महिलाओ के साथ हो रहे अन्याय मे तभी कमी आ सकती है जब कि महिलाएं स्वयं जागरूक हों यदि महिलाएं अपने साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध जागरूक हों आवाज उठाने लगें, तब ही उनके साथ अन्याय में कमी आ सकती है।

—नसीम बानो
अध्यक्ष, चिंगारी नारीसंघ

नसीमबानो को वह घटना आज भी ताजा याद है "एक दिन जब सुबह की नमाज के लिए उठी, मैने देखा कि घर के बाहर बहुत से लोग है और सब अलग अलग कुछ फुसफुसा रहे थे। पूछने पर पता चला कि पास के घर मे युवा बहू की कल रात में ही मृत्यु हो गयी। लोग कह रहे थे कि वह कल सोयी और नीद मे ही निधन हो गया। मेरे लिए यह चौंकाने वाली बात थी और इस बात का पता उनके परिवार से लगाने के लिए उनके घर गयी। उसकी सास ने कहा कि वो रात मे खाना खा करके सोयी और अब कोई सुराग नहीं कि क्या हो गया। बात करने के दौरान ही उन्होने अपनी बहू के चरित्र पर संदेह व्यक्त किया। उनकी बात सुनने के बाद मुझे संदेह लगा और जहां मृत शरीर रखा था मै वहां पर गयी। उसके मृत शरीर को देख करके उनकी मृत्यु मुझे स्वाभाविक नही लगी। जब मैने उनके परिवार से पूछा कि क्या उन्होने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, तब उनके बडे पुत्र ने बताया कि उन्होने सूचित कर दिया और अब अंतिम संस्कार करने के लिए भी जा रहे है। मैने आश्चर्य से पूछा कि उसके मायके वालो को सूचित किए बिना ऐसा कैसे कर सकते है। मेरे प्रश्न उन लोगों को परेशान कर रहे थे और उनका डर चेहरे पर दिखने लगा था।" इसी के साथ नसीम बानो का शक विश्वास मे बदलने लगा। फिर उन्होने पुरानी घटनाओ को इस घटना से संबद्ध किया। उनकी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और उसको पडोस के लोगो से भी बात करने की आजादी नही थी। यह सब सोचने के बाद अब नसीम बानो के लिए घटना पर पहल करने का समय था। उन्होने तुरंत ही वहॉ उपस्थित नारीसंघ के सदस्यो से बात की और सभी से पुलिसस्टेशन चलने का अनुरोध किया। हालांकि किसी ने सहयोग नहीं किया। वह अकेले ही घटना की रिपोर्ट करने गयी। थोड़ी देर बाद पुलिस आयी किन्तु जॉच करके बिना किसी कार्यवाही के वापस चली गयी। नसीमबानो उस मृत महिला को न्याय दिलाने के लिए चिंतित थी, किन्तु इसका अधिक प्रभाव नही पडा। हालांकि उन्होने शांत बैठने के बजाय नारीसंघ की बैठक बुला करके मुददे पर चर्चा की। उन्होने उस घटना को

अपने शब्दो मे नारीसंघ की बैठक मे कहा और बहनों को इस अपराध के खिलाफ आवाज उठाने का अनुरोध किया। अंत मे नारीसंघ की सदस्यो ने संगठित हो कर दोषियो केा सजा दिलाने का निर्णय किया और इस बार नारीसंघ सदस्यो ने उनको निराश नही किया। सभी एक साथ पुलिस स्टेशन पर इस केस लिखने की मांग की। 8 दिन बीत चुके थे, अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नही की। बिना किसी निराशा के नसीम बानो पुनः नारीसंघ की 150 सदस्यो को ले करके थाने पर पहुॅच गयी, किन्तु इसका भी कोई प्रभाव नही दिखायी दिया तब नारीसंघ की बैठक मे चर्चा के उपरांत इस मुददे को तहसील दिवस पर उच्च अधिकारियो के समक्ष कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एक वकील की सहायता से महिलाओं ने इस घटना पर विस्तृत आवेदन तैयार करके अधिकारियो के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके निरंतर प्रयासो का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। अंततः नारीसंघ और मुख्य रूप से नसीम बानो की पहल का प्रभाव दिखायी देने लगा। अंत मे इस केस की सी0बी0आई0 जॉच हुई और जांच के दौरान उसके पति ने स्वीकार किया वह स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्य ही उसकी पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। नारीसंघ की नसीम बानो एवं लक्ष्मीदेवी ने भी अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियो मे उसके परिवार के सदस्य एवं पति को अदालत मे दोषी साबित होने के बाद उनके विरुद्ध मजबूत मामला बनाया गया।

नसीम बानो का मानना है कि "महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय मे तब तक कमी नही आ सकती, जब तक की वे जागरूक हो कर इन पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ नही कर देती।" उन्होने स्वयं ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, किन्तु वे इसका श्रेय नारीसंघ को देते हुए कहती है कि "यदि मै नारीसंघ से नही जुडती तो मै यह सब नही कर पाती, अमूल्य जानकारी एवं समर्थन के कारण ही संभव हुआ।"

गॉव एवं परिवार के सदस्य भी नसीम बानो के द्वारा किए गए प्रयास की सराहना करते है। अब उनके ससुर उन्हे बाहर निकलने के लिए कभी विरोध नही करते। नसीम बानो का सोचना है कि परिवार और समाज मे महिलाओ की स्थिति मे कुछ सुधार तो अवश्य ही हुआ है किन्त अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है।

6. चन्द्रमी देवी

मऊ जिले के मोहम्मदा ब्लाक में मालव गॉव की रहने वाली चन्द्रमी देवी कहती है कि "दीदी ने हमें महिलाओ के अधिकारों के इस्तेमाल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम ग्राम सभा की खुली बैठक में भाग ले सकते है, जब भी हम काम करना चाहे हम काम की मांग कर सकते है। हमारे लिए यह सब नया था और एक सपने की तरह अविश्वसनीय लग रहा था।" यह उन दिनों की बात कर रही है जब उनके गांव में नारीसंघ की गठन की प्रक्रिया का बस शुरूआत भर हुयी था।

अब स्थिति बदल गयी है। वह केवल अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है बल्कि उसे पूरा लेना भी सीख गयी है। चन्द्रमी देवी डॉ0 सविता अम्बेडकर नारी संघ की अध्यक्ष है जिसका गठन मई 2010 में किया गया। वर्तमान में 93 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी है।

पैंतीस वर्ष की चन्द्रमी देवी एक गरीब, मजदूर वर्ग के परिवार से है। पांच साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गयी हो गयी थी ,उनके समुदाय में रीति रिवाज के रूप में बाल विवाह की प्रथा मौजूद है। ये पांच बच्चों की मां है और इनके पति दर्जी का काम करते है। यह स्वयं एक कृषि मजदूर के रूप में काम करती हैं।

इससे पहले उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के बारे में केवल सुना था लेकिन किसी से भी लाभ नहीं मिला था। उन्होंने और उनके गॉव की बहुत सी महिलाओं ने एक ही अनुभव का बताते हुए कहा कि, "कल्याणकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। बाल्कि प्रधान से कोई भी काम करवाना असंभव कार्य लग रहा था। रिश्वत देने के बाद ही वह कोई काम करता था। महिलाओं के लिए बस यह दुर्गम काम था।"

"मैं सब कुछ करने में सक्षम हूं–बैंक में खाता खुलवाने से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करने तक।"

– चन्द्रमी देवी,
अध्यक्ष, डॉ0 सविता अम्बेडकर नारी संघ

चन्द्रमी देवी बताती है कि, "इस कठिनाई का अनुभव होने के बाद हमने एहसास किया कि हम एक साथ मिलकर हम कुछ बदलाव लाने में सक्षम हो जायेगे। हम सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी सक्षम हो जायेगे।" महिलाओं ने सोचा– व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने में क्या मुश्किल है जब सामूहिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है ।

नारी संघ, महिलाओं को एक न्यायसंगत मंच प्रदान करता है जहॉ वह अपनी समस्यायें रख सकती है। आजीविका का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण था और इसीलिए वे लोग इसे सबसे पहले प्राथमिकता पर लेने का फैसला किया। जिनको मनरेगा के तहत काम की आवश्यकता थी, ऐसे कई लोगों के पास जाब कार्ड नहीं था, इसलिए जाब कार्ड बनवाने के लिए प्रयास किया गया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने अधिकार और अधिनियम के प्रावधानों पर अच्छी तरह से अभिमुखीकरण किया। अपने पहल करने के पाठ्यक्रम को विस्तृत रूप से बताते हुए चन्द्रमी देवी कहती है कि, "जानकारी के आधार पर मैंने रोजगार सेवक से मुलाकात किया और 55 महिलाओं का जाब कार्ड हेतु आवेदन दिया। 31 महिलाओं के परिवार में जाब कार्ड तो था लेकिन महिलाओं का नाम उसमें शामिल नहीं था। जाब कार्ड अपने नाम करवाने के बाद, हमें बैंक में खाता खुलवाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से जाकर, स्वयं के नाम से स्वतंत्र खाता खुलवाने के लिए बैंक मैंनेजर पर दबाव बनाया।"

अपने नाम जाब कार्ड व बैंक खाता होने के बाद महिलायें काम प्राप्त करना चाहती थी। सही जानकारी और सामूहिक आत्मविश्वास होने के बाद महिलायें जो चाहती थी वह प्राप्त कर पायी। चन्द्रमी देवी गर्व के साथ कहती है कि, "110 महिलाओं ने एक साथ लिखित आवेदन देकर काम की मांग किया। हम लोग यह जानते थे कि प्रधान हमारे साथ चाल चलेगा इसलिये हम लोग सीधे ब्लाक कार्यालय जाकर ए0पी0ओ0 (कार्यक्रम सहायक अधिकारी) को अपना आवेदन दिया। 15 दिनों के अन्दर ही हम लोगों को काम मिल गया।" चन्द्रमी देवी मनरेगा प्रावधानों से अचछी तरह से वाकिफ थी, उन्हें कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने वाले सुविधाओं के बारे में पता था। इसके लिए पहल करने के कारण पीने के पानी की सुविधा, मूलभूत दवायें और छाया की सुविधा उपलब्ध कराया गया।

सभी मनरेगा कार्यस्थल पर एक मेठ होता है ,प्रत्येक 25 मजदूर पर एक मेठ होता है और इसका चुनाव गॉवों वालों के बीच से ही इसका चुनाव किया जाता है। सरकार ने यह निर्देश दिया है कि अगर कार्यस्थल पर महिला मजदूरों की बहुमत है तो वहॉ महिला मेठ होगी। फिर भी ,आमतौर पर पुरूषों को ही मेठ के रूप चयन किया जाता है ,बहुत कम ही महिलओं को मेठ का काम करते हुए देखा जा सकता है। विशेष रूप से इस ग्राम पंचायत के संदर्भ में, नारी संघ के प्रभाव के कारण पहली बार ग्राम सभा में चंदा देवी नाम की महिला का चुनाव मेठ के काम के लिए किया गया। अपनी क्षमता के आधार पर वह पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। अन्य बातों के अलावा, मजदूरों का पर्यवेक्षण, बी0पी0एल0 परिवार का रिकार्ड तैयार करना ,जाब कार्ड सुनिश्चित कराना और मस्टर रोल के अपडेशन के साथ–साथ मजदूरी वितरण भी शामिल है।

महिलाओं को चन्द्रमी देवी और उसकी क्षमता पर विश्वास है। नारी संघ के सदस्यों के लिए वह एक अच्छी नेतृत्वकर्ता और आदर्श महिला है। " मैं उनको ग्राम सभा में अपनी बात रखने के लिए सक्षम बनाती हूॅ और उनके आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हूॅ।" पहले महिलाये प्रधान के पास जाने में स्वयं को योग्य नहीं थी, लेकिन अब वे अपने काम को पूरा कराने के लिए प्रधान के पास जाने लगी है। कभी–कभी ग्राम प्रधान को नारी संघ की बैठक में, महिलाओं के सुझावों व मांग को सुनने के लिए बुलाया जाता है। वह उनको और अधिक नजरअंदाज नहीं कर सकता है। समान परिवर्तन समुदाय के सदस्यों के अन्दर भी दिखायी देता है। पहले लोग सोचते थे कि महिलाये कुछ भी नहीं जानती है और कुछ नहीं कर सकती है। हांलाकि अब वे महिलाओं के महत्व को कम नहीं कर सकते है। चन्द्रमी देवी कहती है कि, "अब हमारे समुदाय के लोग हमारा सम्मान करते है और हमारे विचारों को भी ध्यान में रखते है।"

चन्द्रमी देवी अपने अन्दर एक बड़ा परिवर्तन देख रही है। उन्हें लगता है कि अधिक मुखर और आश्वस्त हो गयी है। "मैं अब सब कुछ करने में सक्षम हूॅ– बैंक में खाता खुलवाने से लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करने तक।" कोई भी कठिनाई होने पर वह संस्था के कार्यकर्ताओं से सलाह लेती है। एक सच्चे अगुआ की तरह, वह अपनी आवाज को गॉव, ब्लाक व जिला स्तर पर महिलाओं की मांग को बढ़ावा देने और महिला मुद्दों पर पैरोकारी के लिए उठाती है।

7. उत्पीड़न के चक्र को तोड़ता नारीसंघ

पुष्पा देवी महिलाओ की दुर्दशा को वास्तविक रूप मे प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार महिलाएं आपस मे ही कभी खुल करके बात नहीं करती। पारिवारिक दबाव उन्हे समाज मे जाकर लोगो से मिलने में बाधा बनता है। जानकारी के अभाव मे वे पति के ऊपर ही निर्भर रहती है। परिवार के लोग न तो महिलाओं की भावनाओ को समझने का प्रयास करते है और न ही उन्हे सहयोग करते है। सुबह से ले करके शाम तक कभी न खत्म होने वाला काम ही उनके जीवन का हिस्सा है और दूसरो की सेवा महिलाए जीवन के अंतिम पड़ाव तक ही करती रहती है। आमतौर पर महिलाओ के लिए यही निर्धारित है, जब तक की वे स्वयं से इसमे परिवर्तन करने की पहल एवं प्रयास नही करती।

नारीसंघ के गठन के माध्यम से ही 37 वर्षीय पुष्पा देवी एवं अन्य सदस्य वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लाक की महिलाए उत्पीड़न के चक्र को तोडने मे सक्षम हो सकी। वह कहती है कि "हम किसी से कम नही है।"

वर्तमान मे पुष्पा देवी सुरक्षा नारीसंघ की कोषाध्यक्ष है और इसका गठन वर्ष 2008 मे हुआ एवं वर्तमान मे 253 सदस्य है। उनका कहना है कि "हम लोगो के यहॉ पहले से ही दो स्वयं सहायता समूह है, किन्तु वह भी सिर्फ बचत के लिए ही महत्वपूर्ण है। संगठित होकर अपने अधिकारो को समझ करके प्राप्त करने की बात से हम लोग प्रभावित हुए"।

शुरूआत मे परिवार के सदस्यो का सहयोग नही मिल रहा था। मुख्यरूप से उनके जेठ (पति का बड़ा भाई), जेठानी (बड़े भाई की पत्नी) उनके बाहर जा करके बैठको एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे प्रतिभाग करन का विरोध करते थे। दोनो ही उनके पति से शिकायत करते एवं उनके खिलाफ भडकाने का भी प्रयास करते। किन्तु जब उन लोगो के अवरोधात्मक प्रयासो के बावजूद भी पुष्पा देवी ने बैठको एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे प्रतिभाग करना नही छोडा, अंत मे परिवार से उनको पूरी तरह से असहयोग मिलने लगा।

"महिलाओं को संगठन की अवधारणा से यह महसूस हुआ कि वे इसी के माध्यम से अपने हक एवं अधिकारों को समझ कर प्राप्त करने में सक्षम हो सकती हैं।"

—पुष्पा देवी
अध्यक्ष, सुरक्षा नारीसंघ

एक विशेष घटना बहुत ही रोचक है। पुष्पा देवी की रोज घर की गतिविधियो मे घर के लोगो की देखभाल करना एवं खाना खिलाना तो था ही साथ ही गाय के चारा खिलाने से ले करके दूध निकालने तक की जिम्मेदारी भी उन्ही की थी। नारीसंघ की ओर से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मे प्रतिभाग करने के लिए उनको कलकत्ता जाना पडा। जब वे चली गयी तो परिवार के किसी भी सदस्य ने गाय को न तो किसी न चारा खिलाया और न ही उसका दूध निकाला। उनके ऐसा करने के पीछे सोच थी कि पुष्पा देवी को बाहर जाने से रोकना और इसी लिए परिवार के लोगो ने ऐसा किया जिससे कि वे प्रिय गाय दुर्दशा देखने के बाद आगे से कही भी नही जाएंगी। वह उस गरीब जानवर की घोर उपेक्षा देख करके बहुत ही दुखी हुई और इसी घटना के बाद उन्होने उसके बेचने का निर्णय लिया। उन्होने नारीसंघ को प्राथमिकता देते हुए किसी भी ऐसे घरेलू काम को न करने का निर्णय जिससे की घर की चहरदिवारी मे ही सिमट कर रह जा।

सुरक्षा नारीसंघ मे पुष्पा देवी जैसे प्रतिबद्ध सदस्य नारीसंघ के कार्यो की छाप छोड़ने के लिए तैयार रहते है। महिलाओ के द्वारा किए जा रहे संगठित प्रयासो से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है।ग्रामसभा की बैठक एवं उसकी प्रक्रिया के बारे मे पहले कभी सुना ही नही था किन्तु आज नारीसंघ के द्वारा बैठक के आयोजन की मांग की जा रही है और बैठक मे महिलाए अपने मुददो पर चर्चा भी कर रही है। इसके अलावा नारीसंघ के द्वारा अनेक मुददो पर आवाज उठा कर पहल भी की गयी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमितिकरण से ले करके, मिड डे मिल, जननी सुरक्षा योजना, महामाया और मनरेगा जैसी योजनाओ के अंतर्गत आ रही समस्याओ के समाधान के लिए पहल भी की गयी। पुष्पा देवी ने मनरेगा एक्ट, आर0टी0आई0, घरेलूहिंसा एवं जेण्डर विषयक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी है। पुष्पा देवी सदैव प्रशिक्षण कार्यक्रमो मे प्रतिभाग करने के लिए उत्सुक रहती है क्योकि उनका मानना है कि जानकारी से ही पहल करके आगे बढ कर सफलता प्राप्त करने का साहस मिलता है।

पुष्पा देवी के अनुसार महिलाए अब महिलाए अधिक स्वतंत्र हो गयी है। वे अपना निर्णय लेने मे सक्षम हो रही है। महिलाएं आज परिवार के बदले हुए स्वभाव पर आज गर्व महसूस करती है। उनके निकट संबंधी जिन्होने पहले नारीसंघ मे जाने का विरोध किया, आज वे ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले भी मेरी राय मांगते है।परिवार एवं समाज के उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय प्रयासो की श्रृंखला के कारण ही आज महिलाओ की भी जानकारो मे गिनती की जाने लगी है और उनके सुझावो को भी महत्व दिया जा रहा है। पुष्पा देवी बताती है "मुख्य रूप से बच्चो के भविष्य अर्थात शिक्षा एवं उनके विवाह के मुददे पर" महिलाओ के सुझावो को प्राथमिकता दी जाने लगी है।

महिलाए गर्व महसूस करती है कि आज उनके नाम से बैक मे खाता है जिसमे कि नरेगा का पैसा सीधे स्थानान्तरित हो जाता है। अतः उनकी आय पर पूरी तरह से उनका ही अधिकार है। रोजगार गारंटी कानून आने के परिणामस्वरूप पहले की तुलना मे आज उनकी आय मे वृद्धि हुई है, और कृषि मजदूरी भी पहले से अभी मे 3 गुना बढ गयी है। यह भी जानना रोचक है कि किस तरह से महिलाए अपने पैसे का उपयोग करने लगी है जैसे कि पहले वे पैसे बेटी की शादी के लिए जमा करती थीं किन्तु अब वे उन पैसो को बच्चो मुख्यतः बेटियो की शिक्षा पर निवेश करने मे इच्छुक है।" नारीसंघ की सदस्य चन्द्रमी एवं मीरा के भी बेटियां है और दोनो ही पढने मे तेज है, लेकिन पहले वे भी सोचती थी कि 1 से 2 साल मे उनकी शादी कर देगी। हालांकि आज वे भी अपनी बच्चो की पढाई को जारी कर रह है और दोनो ने ही अपनी बच्चियो के विद्यालय जाने के लिए साइकिल भी खरीदी है।" नारीसंघ की एक और सदस्य ने अपने लिए भी साइकिल खरीद कर सीखी और आज आसानी से बैठको मे और ब्लाक तक जाने के लिए उसी का प्रयोग करती है।

8. सामाजिक मानदण्डो को चुनौती एवं परिवर्तन

ललिता देवी की गॉव के विकास के लिए अपनी एक सरल अवधारणा है कि गॉव का विकास सडको एवं बड़े बड़े मकानो के बनने से नही माना जा सकता बल्कि उनका मानना है कि गॉव के विकास के बारे मे सोचने के पहले उनको स्वयं मे परिवर्तन लाना आवश्यक है।"जब तक स्वयं मे परिवर्तन नही होगा तब तक गॉव मे भी परिवर्तन संभव है।" उनको यह महसूस होता है और 2009 मे गठित हुए बनासुर नारीसंघ मे जुडने के पीछे भी यही सोच थी।

32 वर्षीय ललिता देवी वाराणसी जिले के आराजी लाइन ब्लाक के बैरावन ग्रामपंचायत की निवासी हैं। वो संयुक्त परिवार मे निवास करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार की महिलाए आपस मे एक दूसरे का बहुत ही सहयोग करती है। अतः जब ललिता देवी ने नारीसंघ की बैठको मे भाग लेने के लिए विचार बनाया, तब उनकी सास एवं घर की अन्य महिलाओ ने पूरा सहयोग किया, किन्तु घर के पुरूषो ने इसका विरोध करते हुए कहा कि महिलाओ के घर के बाहर जाने से परिवार की प्रतिष्ठा एवं सम्मान पर असर पडेगा और वे पूरी तरह से विरोध करने लगी।

हमेशा महिलाओ के व्यवहार से ही परिवार की प्रतिष्ठा पर जोखिम क्यो आता है, जबकि पुरूष नशा करके दुर्व्यवहार भी करते है? इस तरह का प्रश्न कभी समाज ने पुरूषो से नही किया, जबकि महिलाओ का व्यवहार हमेशा से ही जॉच के दायरे मे रहा है। नारीसंघ के माध्यम से महिलाए इस तरह के समाज मे व्याप्त दोहरे मापदण्डो पर प्रश्नचिन्ह लगा कर चुनौती देना चाहती थी।

जाहिर है कि नारीसंघ नशा करने वाले पुरूषो के लिए आलोचना का लक्ष्य बन गया था। उनका कहना था कि महिलाए बैठको के नाम पर बाहर जा करके दावतो मे समोसा पकौडी का मजा लेती है। जब महिलाए बैठक मे प्रतिभाग करने के लिए जा रही होती, तब गॉव के पुरूष कहते कि "चल दी चाट पकौडी, समोसा और लांगलता खाने।"

"जो महिलाएं पहले गॉव के तालाब तक जाने की हिम्मत नही कर पाती थी, आज वे सरकारी अधिकारियो से मिलने मे भी आत्मनिर्भर हो गयी है।"

– ललिता देवी

कोषाध्यक्ष, बनासुर नारीसंघ

अनेक बार तो ललिता देवी को भी अपने पति के गुस्से को भी झेलना पडा और पडोस के लोग उनको भडकाने का काम करते थे। हालांकि ललिता देवी सीखने की इच्छुक थी अतः इन अवरोधो से उनके काम मे कोई अवरोध नही आया, अपितु अधिक लगन से गतिविधि को करने लगी।

एक बार की घटना है जब संस्था के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमे कि अनेक ग्रामपंचायतो की महिलाओ ने हिस्सा लिया था।कार्यक्रम मे महिलाओ ने पारंपरिक गीत एवं नृत्य प्रस्तुत किया। नारीसंघ के अंतर्गत ललिता देवी ने भी अन्य महिलाओ के साथ नृत्य मे प्रतिभाग कर आनन्द लिया।गॉव के किसी व्यक्ति ने उनका यह कार्यक्रम देख लिया और वह जा करके उनके पति को बढा कर बताते हुए कहा कि "वहॉ संस्था वाले महिलाओ से अश्लील नृत्य करा करके उसकी रिकार्डिग कर रहे है और वे उसको विदेशो मे भेज करके पैसा कमाएंगे.....।" वह ही जानता था कि उसने कैसे बताया। फिर भी वह कार्यक्रम के बारे मे ग्रामीण की बातो को सुन कर उसने अपना आपा खो दिया। दहशत ग्रस्त पति ने स्वयं को फांसी लगाने का प्रयास किया, किन्तु किसी तरह से परिवार के लोग उसको रोकने मे सफल हुए। ललित देवी जब कार्यक्रम से वापस घर लौटी तब उन्हे असाधारण स्थिति का सामना करना पडा।उनके पति ने उसको घर मे आने से रोक दिया और उसकी कोई भी बात या याचना सुनने को तैयार नही था। अंततः कुछ बातचीत होने के बाद वह उन्हे अपने साथ संस्था के कार्यालय पर ले करके पहुॅची, और जब संस्था के लोगो ने उसकी बातो को सुन करके उसको पूरी घटना बतायी, अंत मे पूरी बात समझने के बाद वह शांत हुआ।

ललिता देवी अपने विशिष्ट अनुभव पर प्रकाश डालते हुए कहती है कि जब महिलाए परंपरागत मानदण्डो का अनुपालन नही करती है तब उन्हे अनेक समस्याओ का सामना करना पडता है। अतः यह स्पष्ट है कि बिना नियमो को चुनौती दिए परिवर्तन संभव नही है।ललिता देवी ने ऐसा करने की साहस किया, परिणामस्वरूप आज भी वह नारीसंघ नेतृत्वकारी सदस्य है। आज उनके पति मे भी परिवर्तन हुआ है। अब उनको प्रशिक्षण कार्यक्रमो अथवा आवासीय प्रशिक्षणो मे भाग लेने मे भी कोई आपत्ति नही है और कभी कभी तो वे स्वयं भी उनको प्रशिक्षण स्थल तक पहुचने मे सहयोग करते है।

बैरवन नारीसंघ मे 218 सदस्य है और ललिता देवी कोषाध्यक्ष है। नारीसंघ के माध्यम से हक एवं अधिकारो से संबंधित अनेक मुददो जैसे ग्रामसभा के आयोजन, मनरेगा के अंतर्गत काम एवं भुगतान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुददो पर पहल कर सफलता प्राप्त की है। मनरेगा कार्यस्थल पर अब अधिक संख्या मे महिलाएं काम कर रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष मे 45 से 52 दिन तक का काम उनको मिला है।

इसके अतिरिक्त नारीसंघ की सामाजिक मुददो पर कुछ अन्य उपलब्धियॉ भी रही है। पुरूष जुआ खेल कर एवं नशा करके समय व्यतीत करते थे। अतः नारीसंघ ने उसका निरीक्षण कर सामूहिक पहल कर दुकान बंद करा के समस्या का समाधान किया।

पहले महिलाए अकेले बाजार नही जाती थी, चाहे तो वे पुरूषो के साथ जाती अथवा वे ही इनके लिए खरीदारी करके आते थे। किन्तु अब महिलाएं अकेले जा करके रोजमर्रे के आवश्यक वस्तुओं तथा अन्य कीमती वस्तुओ की भी खरीदारी करने लगी है।

ललिता देवी का महिलाओ के जीवन मे परिवर्तन का अवलोकन प्रासंगिक है, वो कहती है कि "पहले जो गॉव के तालाब तक जाने की हिम्मत नही कर पाती थी, आज वे कचहरी जाने मे भी सक्षम हो गयी है।"

9. समर्पित और आशावादी सुनारमती

"हम अपनी मजदूरी से जो चाहते है वह खरीद सकते है ,हम एक बकरी ,पायल या सेल फोन खरीद सकते है, सब कुछ संभव है।'' यह कहना है बस्ती जिले की सदर ब्लाक की खदरा खिरियाहवॉ गॉव की रहने वाली सुनारमती का। 44 वर्ष की सुनारमती सद्भावना नारी संघ की अध्यक्ष है, जिसमें 166 महिलायें सदस्य है। नारी संघ के गठन से महिलाओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है।

इसके अलावा, महिलाओं को सम्मान मिलने लगा जिसकी वे हकदार थी। महिलाये घर के भीतर काम करती है, जबकि पुरूष बाहर काम करते है, अब यह पारंपरिक मानसिकता बदल रही है। यह परिवर्तन क्रमिक था और संभव था, परिवार के सदस्यों के विरोध के बावजूद महिलायें आगे कदम बढ़ाती रही ।

शुरूआती दिनों में अपने परिवार की स्थिति बताते हुए सुनारमती कहती है कि , "मेरे पति और ससुर नारी संघ में भागीदारी करने के खिलाफ थे। उनका कहना था कि मै। कुछ भी नहीं कर पाऊॅगी। उन्होंने मुझे हतोत्साहित किया ,लेकिन मेरे बच्चे बहुत सहयोगी है। वे मेरी मदद करते इसीलिए मैं अपना काम जल्दी खत्म कर पाती थी और नारी संघ के बैठक में भागीदारी कर पाती थी।"

अन्य गॉवो के विपरीत इस गॉव में लोग पहले से ही मनरेगा से परिचित थे क्योंकि इसमें से कुछ लोग हाल ही में रोजगार कार्यक्रम के अर्न्तगत काम कर चुके थे। यद्यपि वे मजदूरी भुगतान के लिए कठिनाइयों का सामना कर रह थे। सुनारमती ने शुरूआती बैठकों में ,जब नारी संघ के गठन की प्रक्रिया बस शुरू ही हुआ था, एक बैठक में इस समस्या को रखा। संस्था के कार्यकर्ताओं से हेल्प लाइन नम्बर की जानकारी लेने के बाद महिलाओं ने इसका इस्तेमाल किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक सप्ताह के अन्दर उनको बकाया राशि मिल गया। इस अनुभव से संस्था और महिलाओं को संगठित करने का उनके मिशन के प्रति लोगों का विश्वास बन गया। शुरू में 35 महिलाये नारी संघ से जुड़ी और वर्तमान में यह सदस्यता बढ़कर 166 हो गयी है।

"संस्था द्वारा प्रशिक्षण और सहयोग मिलने के कारण हम अच्छी तरह से जागरूक हो गये इसीलिए हम अपने अधिकारों के लिए दावा कर सकते है।"

– सुनारमती
अध्यक्ष, सद्भावना नारी संघ

नारी संघ का गठन मार्च 2010 में किया गया, गठन के तुरंत बाद चुनाव का समय आ गया था। पंचायत राज जागरूकता अभियान के लिए , संस्था के साथ–साथ नारी संघ ने भी ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को ग्राम प्रधान के लिए चंनाव करने की अपील की जो वासतव में गॉववालों के बेहतरी के लिए काम करे। पूर्व प्रधान को डर था कि अभियान के बाद ,उनके बारे में जनता की राय बदल सकती है इसलिए नारी संघ के सदस्यों को धमकाने का प्रयास किया। सुनारमती कहती है कि, " उनके बेटे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और हमें मारने की भी धमकी दिया। " फिर भी नारी संघ के सदस्यों को डर नहीं लगा ,बल्कि चुनाव के समय तक उन्होंने अपना अभियान जारी रखा।

कोटेदार के बारे में महिलाओं के पास कई शिकायतें थी। अन्य बातो के अलावा , अतिरिक्त पैसा लेकर भी कभी पूरा राशन नहीं देता था। नारी संघ ने एक बैठक में इस समस्या पर चर्चा किया और अपने सामूहिक शक्ति का उपयोग करके उसके अन्याय को रोकने का फैसला किया। उन्होंने उसके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का फैसला किया जहॉ से वह वितरण के लिए पूरा राशन लाता है। " निर्णय के अनुसार हम उसके घर गये और उचित मात्रा व दर में अनाज वितरण करने के बारे में पूछा। हमने उसे अतिरिक्त पैसा नहीं दिया इसीलिए उसने हमें अनाज देने से इन्कार कर दिया। इसलिए हम वहीं पर बैठ गये और मैंने कोटेदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए बी0डी0ओ0 को फोन किया। बी0डी0ओ0 ने तुरंत सचिव को मामले को देखने के लिए कहा, पंचायत सचिव मौके पर पहुॅचकर कोटेदार को चेतावनी दिया। उस दिन से हमे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के पूरा राशन मिलने लगा।"

सुनारमती सड़क निर्माण के लिए ,नारी संघ द्वारा किये गये पहल के लिए सबसे अधिक खुश है।वह कहती है कि, "जो पिछले 25 सालों से नही हो पाया उसको हमने एक साल में कर दिखाया। हम सड़क बनवाने में सक्षम हो गये थे जिसका लाभ गॉव के हर किसी को मिल रहा है।" मुख्य बात यह है कि सड़क ठीक ढंग से बना ही नहीं था। विशेषकर बरसात के मौसम में तो यह गॉव वालों के लिए बाधा वन जाता था। किसी भी स्थानीय नेता को इसकी परवाह नहीं थी। नारी संघ की 23 से भी अधिक महिलाओं ने सीधे सी0डी0ओ0 से सम्पर्क किया और अपना आवेदन देते हुए सड़क निर्माण करवाने का अनुरोध किया। सी0डी0ओ0 ने बहुत सकारात्मक जबाव दिया। तुरंत बी0डी0ओ0 को आदेश दिया और महिलाओं से बोले कि यदि अगले दिन काम नहीं शुरू होता है तो इस मामले में वे लोग पुनः मिल सकती है। समतलीकरण का काम तुरंत शुरू कर दिया गया। बाद में नारी संघ ने मनरेगा के धन से स्थायी सड़क बनवाने का प्रस्ताव रखा और प्रधान इस काम को सम्भावित कार्ययोजना में शामिल कर लिया।

इससे पहले प्रधान और पंचायत सचिव, मनरेगा के अर्न्तगत उनके काम के मांग के प्रति बहरे हो गये थे। सुनारमती का कहना है कि, " अब आप किसी भी कार्यस्थल पर पुरूषों के अलावा महिलाओं को काम करते देख सकते है। क्योंकि संस्था द्वारा दिये गये प्रशिक्षण व सहयोग के कारण हम अच्छी तरह से जागरूक बन गये है और इसीलिए अपने अधिकारों को पाने के लिए दावा कर सकते है। " अब ना तो सरकारी कर्मचारी और ना ही नेता महिलाओं को गुमराह कर सकते है। बल्कि महिलाओं में काफी विश्वास है और अपने हकदारी के बारे में जागरूक हो गये है। वे पंचायत सचिव को बताते हुए कहती है कि, "अगर हमारे जाब कार्ड में कार्यदिवस ठीक से नहीं अपडेट करेगे और अपना काम उचित ढंग से नहीं करेगें तो हम आपका तबादला करवा देगें। "

"जब हम ब्लाक पर मनरेगा में काम पाने के लिए आवेदन देने जा रहे थे तो इस अवसर पर कमलावती भी नारी संघ से जुड़ गयी। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और घर लौटने पर उसकी पिटाई भी किया। तीन दिनों के भीतर हमें हमारे आवेदन का सकारात्मक जबाव मिला। जब रोजगार सेवक ने हमें काम के बारें मे बताया तो कमलावती के पति को अपने व्यवहार पर बहुत बुरा लगा। अब वह उसे कभी नहीं रोकता और हमसे साथ लेने के लिए कहता है।"

10. जागरूक महिलाएं

महिलाओ को घर के बाहर कदम रखने से उनका डर ही उन्हे रोकता है क्योकि बचपन से ही उन्हे समाज के नियम–कानूनो एवं रीतिरिवाजो को थोपा जाता रहा है।वे अनेक तरह के भय के साथ जीवनयापन करने के लिए उसी के अनुकूल हो गयी है, इसलिए उन्हे अपनी क्षमता पर भी संदेह होने लगा है। परिवार एवं समाज सदैव ही महिलाओ के आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करते रहते है। शोभादेवी के परिवार का ही उदाहरण लेते है, उनकी सास चेतावनी देते हुए कडे शब्दो मे कहा "जब पूरब और पश्चिम दिशा मे अंतर नही कर सकती तो और आगे कैसे कुछ करोगी? हम लोग इसमे सहयोग नही करेगे और अगर कुछ ऊॅच नीच हो जाएगा, तब घर आने की कोई जरूरत नही है।" फिर भी शोभा देवी उस डर को भूल करके बैठक मे आने लगी और आज वे नेतृत्वकर्ता के रूप मे जानी जाती है।

42 वर्षीय शोभादेवी बस्ती जिले के बस्ती सदर ब्लाक के सोनबरसा ग्रामपंचायत की रहने वाली है। उनके 5 बच्चे है। 2009 मे गठित हुए नारीसंघ की वे अध्यक्ष है। नारीसंघ के गठन के प्रारंभ मे नारीसंघ के कुल 15 सदस्य ही थे, किन्तु आज यह संख्या 183 हो गयी है।

इस गॉव मे नारीसंघ ने ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के अंतर्गत काम सुरक्षित करने का प्रयास उल्लेखनीय रहा है। पहले तो वे कानून के बारे मे ही नही जानती थी तब जॉबकार्ड कैसे जानती। "संस्था की कार्यकर्ता निशा बहन ने ही हम लोगो को प्रधान एवं रोजगारसेवक के पास जा करके जॉबकार्ड आवेदन देने के लिए बताया, हालांकि जब हम लोग पहली बार इस सिलसिले मे उनसे

मिले तब उन्होने कहा कि ये तो संभव ही नही है।" प्रधान ने महिलाओ को चुनौती भरे शब्दो मे कहाकि यदि आप लोगो का जॉबकार्ड बन जाएगा "तब मेरी हथेली मे बाल जम जाएगा"।

"जब अखबार मे मेरी फोटो या नाम छपता है तो वह देख करके मेरे पति गर्व महसूस करते हैं।"

– शोभा देवी

अध्यक्ष, सद्भावना नारीसंघ

महिलाओं ने उनकी चुनौती स्वीकार कर प्रयास करके जॉबकार्ड बनवाया और नारीसंघ की यही पहली सफलता थी। जाबकार्ड बनने के बाद उन लेागो ने काम की मांग भी की और काम तो मिला किन्तु उसकी पूरी मजदूरी न मिल सकी। मजदूरी न मिलने पर महिलाओ ने मनरेगा हेल्पलाइन का प्रयोग किया और परिणामस्वरूप 1 सप्ताह मे ही मजदूरी का भुगतान हो गया। महिलाओं को हर चरण पर जॉबकार्ड बनवाने से ले कर के मजदूरी प्राप्त करने तक संघर्ष करना पडा, और इसका स्थायी प्रभाव भी पडा। इससे महिलाओं का आत्मविश्वास मजबूत हुआ और साथ ही संगठन का महत्व एवं उपलब्धियॉ भी दिखने लगी और परिणामस्वरूप नारीसंघ के सदस्यो की संख्या मे वृद्धि हुयी।

शोभादेवी बताती है कि महिलाएं आभास करने लगी कि "नारीसंघ से हम लेागो को बहुत सहायता मिल सकती है और जल्दी ही हम लेाग सरकारी योजनाओ का लाभ भी संगठन के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते है।"

जब महिलाओं को मनरेगा मे काम मिला, तब वहॉ पर भी महिलाओ को जेण्डर से संबंधित समस्याओ को सामना करना पडा। पुरूष खुदाई करते और महिलाओ को उठा करके फेकना पडता। महिलाओ ने अपनी टोली बना करके आपस मे ही सारा काम करने लगी। शोभादेवी कहती है कि "पहले से अब की आर्थिक स्थिति मे सुधार आया है। हम लेाग अपने खाते मे अपनी मजदूरी की बचत भी कर लेते है, जिससे की उनमे आर्थिक सुरक्षा की भावना का विकास हुआ है।" अब हम लेाग अपनी आमदनी को अपनी मर्जी से खर्च भी कर लेते है जैसे कि उन्होने बचत के पैसे से बकरी पालन किया और मोबाइल भी खरीदी।

मनरेगा मे काम करने के परिणामस्वरूप ही कृषि मजदूरी मे भी वृद्धि हुई। महिलाओं को जिन कामो के लिए पहले 50 से 60 रूपए मिलती थी आज उन्ही कामो की मजदूरी 100 रूपए मिलने लगी है।"अभी तो 100 रूपए मिलने लगे है लेकिन अब हम लोग मनरेगा मे मिलने वाली मजदूरी के बराबर ही कृषि मजदूरी की भी मांग करते है।"

महिलाओं की गतिशीलता मे भी वृद्धि हुई है।" पहले हम लेाग अपने गॉव की बाजार मे भी अकेले नही जा पाते थे, किुन्त अब तो दूसरे जिलो जहॉ नारीसंघ है, वहॉ पर भी अकेले जाने मे सक्षम हो गए है।" शोभादेवी यह बताते हुए गर्व महसूस करती है कि उन्होने फैजाबाद, मऊ एवं महराजगंज जिलो मे जा करके अनेक नारीसंघ की बहनो से मिल चुकी है।

नारीसंघ सिर्फ महिलाओ के भले एवं विकास के लिए काम न करके गॉव के विकास के लिए भी काम करने का प्रयास करने लगी है। नारीसंघ ने सफल प्रयास गॉव मे लगभग 32 साल से अपेक्षित सड़क का निर्माण हुआ है। शोभादेवी इसका श्रेय नारीसंघ की चार सदस्य मुनक्का, राजकुमारी, शकुन्तला एवं सरोज को देती है। वह बताती है कि "इन्ही चारो सदस्यो ने उनके पति को अपनी जमीन सड़क निर्माण के लिए देने के लिए राजी कराया, अन्यथा यह संभव नही था और 32 सालो की तरह ही जाने कब तक यह पुरवा सड़को से अछूता ही रह जाता।"

परिवार के सदस्यो विशेषतौर पर पति के व्यवहार मे बहुत परिवर्तन हुआ है।अब तो नारीसंघ की पहल को स्थानीय अखबारो मे भी महत्वपूर्ण स्थान मिलने लगा है। वो बताती है कि " जब मेरा नाम और फोटो अखबार मे छपती है, तो यह देख करके मेरे पति बहुत खुश होते है और उन्हे मेरे ऊपर गर्व भी महसूस होता है।" अब तेा वे कहते है कि जहॉ भी जाना हो अब तो तुम सब जगह जा सकती हूॅ। अब तो मै कभी भी नही रोकूंगा क्योकि तुम बहुत ही समझदार हो ।

11. चूल्हा चौके से परे

स्वतंत्रता और स्वायत्तता ही स्वच्छंदता का प्रतीक है। लेकिन महिलाओं के मामले में इसका मतलब अलग है, स्वच्छंद महिला को 'बेशर्म' और 'ढीला' महिला कहा जाता है क्योंकि महिलाओं को अपने घरों तक ही सीमित रहने की उम्मीद की जाती है। सावित्री देवी को कई मौके पर ऐसे भयानक टिप्पणियों का सामना करना पड़ा है , जब उन्होंने नारी संघ के कार्य के लिए चारों तरफ जाना शुरू किया था।

मुखिया होने के नाते, परिवार के सदस्यों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन गॉव वालों ने उनके पैर खींचने की कोशिश किया। फिर भी,उनको काम की आवश्यकता थी और वह जानती थी कि मनरेगा के अर्न्तगत इसका आश्वासन दिया गया है। इसलिए उन्होंने नारी संघ की महिलाओं को रोजगार गारन्टी कानेन के तहत काम पाने के लिए एकजुट किया।

35 वर्ष की सावित्री देवी महराजगंज जिले में, सदर ब्लाक की करमहॉ गॉव की निवासी है। वह विवाहित है, इनके तीन बच्चे है और परिवार की मुख्य कमाऊ सदस्य है।

जब नारी संघ के गठन के लिए महिलाये एकजुट होने लगी तो मुश्किल से 15 से 20 महिलाये आगे आयी, सावित्री देवी उनमें से एक है। उन्हें एकजुट होने की आवधारणा पंसद आयी और उन्हें इसका एहसास था कि महिलाओं की स्थिति सुधारनें में इससे मदद मिलेगी। वर्तमान में करमहा नारी संघ में 300 महिलायें सदस्य के रूप में जुड़ी हुई है।

गरीब व भूमिहीन लोगों का, अमीर जमींदारों के ऊपर निर्भरता ही उन्हें शोषण के लिए संवेदनशील बनाता है। सावित्री देवी ने हाशिए पर रहने वालों अन्य लोगों की इस लाचारी को अपने सुमदाय के साथ चर्चा किया। इसीलिए वह मनरेगा के तहत काम पाने के लिए अधिक उत्सुक थे। वह कहती है कि, "हमारे गॉव का दंबग जमींदार हमारे ऊपर था। चूंकि हम उसपर निर्भर थे इसलिए उसके नियमों का पालन करते थे । लेकिन अब नरेगा विकल्प के रूप में उपलब्ध है और इससे हमे आत्मविश्वास भी मिला है। सावित्री देवी और अन्य लोगों को सम्मान के साथ काम हासिल हुआ।" अब हमें मनरेगा के तहत आसानी से काम मिल जाता है और अपने आमदनी पर हमारा पूरा नियंत्रण है। इस समुदाय में एक नये प्रधान का चुनाव करने की उपलब्धि हासिल किया जो उन लोगों का समर्थन करता है। वह मानती है कि ,"नारी संघ के वजह से ही यह सब संभव था।

"अब हमें असानी से मनरेगा के तहत काम मिल जाता है और अपने पूरे आमदनी पर हमारा नियंत्रण है।"

– सावित्री देवी,
अध्यक्ष, करमहा नारी संघ

सावित्री देवी एक अध्यक्ष के रूप में , ब्लाक व जिले स्तर पर महिलाओं के मृद्दों की पैरवी करती है। नारी संघ की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को बताते हुए सावित्री देवी कहती है कि , "धरौली और बिसवा गॉव की नारी संघ की महिलायें बैंक में सहायता प्राप्त ऋण के लिए आवेदन दिया था लेकिन प्रबन्धक उनके प्रस्ताव को पास करने से इन्कार कर रहा था। मैं उनसे मिली और बताया कि हम मुठ्ठी भर महिलायें नहीं है हमारे पीछे चार हजार महिलायें है। सावित्री देवी ने जिला स्तर पर नारी संघ का नेतृत्व किया और जिला कलेक्टर के सामने कार्रवाई के लिए अपील किया। महिलाओं के पहुॅच को देखते हुए प्रबंधक ने तुरंत मंजूरी दे दी। अभी तक एक और घटना में बी0डी0ओ0 के यहॉ बकाया मजदूरी के लिये महिलाओं के समूह का नेतृत्व किया।

"अभी तक मैं ज्यादा नहीं जानती थी और काम के लिए पुरूषों पर निर्भर रहती थी, अब मैं आसानी से उन सभी कामों को कर सकती हूॅ।" सावित्री देवी ने केवल लोगो के क्षुद्र टिप्पणी को नजरअंदाज कर क्षमता और विश्वास अर्जित किया है। अब तो उनके समुदाय के पुरूष भी मानते हैं कि महिलाओं का पहल सभी के लिए लाभकारी है। इसलिए उनकी टिप्पणी और आलोचना बहुत पहले ही बंद हो गयी।

इन उपलब्धियों को दर्शाते हुए वह कहती है कि, "हमारी स्थिति के बेहतरी के लिए मैं अब खुशी महसूस कर रही हूँ ,पहले हम अधिकारियों के सामने खड़े होने से डरते थे पर अब उन्हें, उनका कर्तव्य याद दिलाते है।"

नारी संघ की महिलाओं में परिवर्तन देखकर वह बहुत खुश है। महिलायें जो अभी तक चुल्हे चौके से बंधी थी, अब वे अधिक जागरूक हो गयी है और पंचायत के कामकाज में भी भाग लेने लगी है। अध्यक्ष कहती है कि, अब वे अधिक जागरूक व सहयोगी हो गयी हैं। अपने अधिकारों का दावा करने के लिए एक साथ हो गये हैं लेकिन अब हम किसी भी व्यथित महिला ,चाहे वह हमारे नारी संघ की सदस्य हो या नहीं, उसके पीछे खड़े होने के लिए तैयार है। "

12. पहचान के लिए खोज

"तुम औरत हो और औरत की तरह ही रहो।" यही बात पिछले कई सालो से हमेशा ही सुनती रही हूं, यही मुझे आत्मसात करने के लिए कहा गया। मेरे अभिभावक मुझे वे सभी काम करने से मना करते, जो उन्हे लड़को का काम लगता। क्यो? क्या लड़की के रूप मेरा जन्म लेना पाप था?" महराजगंज जिले के सदर ब्लाक की सिसवाबावू ग्रामपंचायत की 35 वर्षीय पूजा देवी पूछती है।

लडकियो के लिए समाज मे करने एवं प्रतिबंधित कामो की सूची बहुत ही लम्बी है। लेकिन प्रतिबन्धो के बावजूद भी पूजादेवी ने पढाई करने एवं काम करने का विचार बना कर आग्रह भी किया। पूजा देवी जो महसूस करती है कि माता पिता को बच्चो के साथ सहयोग एवं सकारात्मक भूमिका मे होना चाहिए, वे बताती है कि "मै बहुत सी ऐसी लडकियो को जानती हूँ जो कि काम करके अपने परिवार के खर्चे मे हाथ बंटाना चाहती है, किन्तु परिवार के सहयोग के अभाव मे वे ऐसा नही कर पाती। वे अपने परिवार के विरूद्ध भी जा करके कोई काम नही करना चाहती।"

उन्होने कक्षा आठ तक ही पढाई की क्योकि उनके पिता चाहते थे कि वे घरेलू काम भी सीखे। उन्होने पूजा से कहाकि "शादी के बाद तुम्हारी स्कूल की पढाई ही काम नही आएगी, घरेलू काम आना उससे अधिक आवश्यक है।" 16 वर्ष की उम्र मे ही उनकी शादी हो गयी और उनकी आगे पढने और काम करने की इच्छा दबी ही रह गयी।

"मेरे अभिभावक मुझे ऐसे सभी काम करने से मना करते, जो उनको लगता कि ये सिर्फ लडको का ही काम है, क्यो? क्या लडकी का जन्म लेना ही गुनाह है।"

—पूजा देवी
अध्यक्ष, नारीमहासंघ

"वास्तव मे, मै अपनी पहचान बनाना चाहती थी।" लेकिन यह सब बताने और करने के लिए अपने अभिभावको के समक्ष बहुत ही छोटी थी। हालांकि उन्होने अनुकूल स्थितियो मे भी अपनी इच्छाशक्ति को मरने नही दिया, अपितु शादी के कुछ साल बाद सही अवसर देख कर उन्होने अपना ब्यूटीपार्लर खोल करके बाहर काम करने की इच्छा को पूरा करने का प्रयास किया। वो बताती है कि "मैने अपने घरेलू काम के साथ ही बच्चो के स्कूल जाने एवं पति के काम पर चले जाने के बाद बाहर जा करके काम करने लगी।" यहॉ पर भी उद्यम के प्रारम्भ मे समस्याओ का सामना करना पडा, जब तक की घर के लोगो ने मेरे काम को पूरी तरह से स्वीकार नही कर लिया।

समय बीतने के साथ ही उन्होने नये–नये मुद्दो पर जानकारी प्राप्त की एवं सीख भी मिली और इसी दौरान सृष्टि सेवा संस्थान के संपर्क मे आयी। संस्था के द्वारा गॉव ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम क्रियान्वियत किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत नारींसंघ के गठन की प्रक्रिया चलायी जा रही थी। मेरे लिए यह स्वर्णिम अवसर सिद्ध हुआ और इसके माध्यम से कुछ स्थायी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ जैसा कि वे चाहती थी। "उन्होने मुझे बताया कि संगठन के माध्यम से ही महिलाएं अपने हक एवं अधिकारो को समझ करके उसको प्राप्त करने का प्रयास कर सकती है, इससे उन लोगो की स्थिति मे भी सुधार होगा और यह सब समझने के बाद मै भी संगठन से जुड गयी।" यह उनके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।" मैने प्रशिक्षण कार्यक्रमो एवं बैठको मे

प्रतिभाग करके अनेक महत्वपूर्ण सूचनाए प्राप्त की। वास्तव मे नारीसंघ अब हम लोगो का अपना मंच हो गया जहॉ बैठ कर हम अपनी बातो पर खुल करके एक दूसरे से चर्चा करते है।"

पूजा देवी उत्सुकता एवं जोश के साथ इस काम को करने मे लग गयी और काम करते हुए वे नारीसंघ की अध्यक्ष चुनी गयी। उनके व्यक्तित्व मे नेतृत्वकर्ता के गुणो के विद्यमान होने के कारण ही वे नारी महासंघ की भी अध्यक्ष चुनी गयी।" मै अगुआ के रूप मे महिलाओ के मुद्दो को ब्लाक एवं जिले स्तर तक उठाने लगी। मै अधिकारो से जुड़े संघर्षो मे सक्रिय बनी रही।" पूजा देवी ने नारीसंघ मे भागीदारी करके मुद्दो पर पहल करने के दौरान ही उनको अपने व्यक्तित्व मे नेतृत्वक्षमता का एहसास हुआ।

मनरेगा के अंतर्गत काम सुनिश्चित करते हुए 100 दिन का काम प्राप्त करने के लिए मनरेगा पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, जिसके अंतर्गत गॉव के विकास से जुड़े कामो को प्राथमिकता दी। इसी दिशा मे नारीसंघ के प्रयास से गॉव स्तर पर विकास दल का गठन किया गया, विकास दल मे गॉव के जागरूक लोग कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कि स्वैछिक रूप से गॉव मे विकास के कार्यो को करने के इच्छुक हो और नारीसंघ के सदस्यो को मिला करके 10 15 सदस्यीय ही विकास दल कहलाता है। बाद मे पर्सपेक्टिव प्लान को ग्रामसभा की बैठक मे प्रस्तुत करके चर्चा के उपरांत स्वीकार कर लिया गया। मनरेगा के अंतर्गत पूजा देवी अपने गॉव मे मेठ के रूप मे भी काम करती है।

पूजा देवी समाज मे लोगो की महिलाओ के प्रति सोच को बदलना चाहती थी और यह नारीसंघ के साथ ही मिल करके करने मे सक्षम थी। उनका मानना है कि महिलाएं किसी भी परिपेक्ष्य मे समाज के अन्य लोगो से कम या कमजोर नही है और वे अन्य लोगो को भी इस बात का एहसास कराना चाहती है। अभी हाल ही मे उनको एन0एफ0आई0, नई दिल्ली से फेलोशिप भी प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से वो अपने काम का विस्तार कर सकेगी।

13. एक आज्ञाकारी बहू से एक नेतृत्वकर्ता तक के सफर की कहानी

37 वर्षीय गौड़ समुदाय की माया देवी मऊ जिले में, घोसी ब्लाक में, गौराडीह गॉव की निवासी है। उन्होंने साक्षरता केन्द्र के माध्यम से कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है, जिसको नारी संघ पहल के एक भाग के रूप में शुरू किया गया। वह विवाहित व सात बच्चों की मां है और सीता नारी संघ की अध्यक्ष है जिसका गठन दिसम्बर 2007 में किया गया। वर्तमान में संगठन के साथ 157 महिलायें जुड़ी हुई है।

माया देवी जब 16 वर्ष की थी तभी उनकी शादी हो गयी थी। उनकी सास ने उनसे एक आज्ञाकारी और अच्छी बहू बनने का कहा जिसका वो पालन करती रही। "महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हर समय घूँघट में रहना चाहिए, उसे किसी के सामने नहीं आना चाहिए और पुरूषों के किसी भी मामले को जानने या प्रतिक्रिया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।" यह सब आदर्श बहू के सिद्वान्त है जो माया देवी की तरह अधिकांश महिलाये शादी के बाद करती है। उन्हें खाना बनाने और परिवार के सदस्यों की देखभाल करने का काम सौंपा गया था। बाद में उन्होंने मजदूरी का काम करना भी शुरू कर दिया है।

समाजीकरण में अंतर के परिणाम के रूप में महिलाओं को लगता है कि वह अयोग्य है और सार्वजनिक क्षेत्र में जिन विशेष कार्यो को पुरूष आसानी से संभाल रहे है, उसके लिए वह संकोची हो जाती है। माया देवी भी इसका अपवाद नहीं थी। " मैं सोचती थी कि स्वयं से कार्यालयों में जाने और अधिकारियों से बात करने के लिए अपर्याप्त हूँ। मेरा मानना था कि केवल पुरूष ही ऐसे कार्यो के लिए सक्षम होते हैं।" लेकिन अब उनकी राय बदल गयी है, क्योंकि उन्हें अनुभव हुआ कि वह क्या कर सकती है। वह यह मानते हुए कहती है कि , "मैं गलत थी। महिलायें समान रूप से सक्षम है, किन्तु जानकारी और अवसर से ही सारे फर्क पड़ते हैं।

एक कृषि मजदूर होने के नाते, माया देवी के जैसी महिलाये काम के लिए स्थनीय जमींदार के ऊपर ही निर्भर रहती है। " जब हमारे हाथ में कोई काम नहीं था , हम बाबू साहब के पास जाते और उनसे कुछ काम देने का अनुरोध करते। " मनरेगा के लागू होने के बाद यह निर्भरता कुछ कम हो गयी थी। " अब हमें मनरेगा के तहत काम मिल रहा है। अपनी आमदनी पर हमारी अच्छी तरह से नियंत्रण है। उसे हम अपने लिए और परिवार के लिए खर्च कर सकते है। "

"अब लोगों के पास जब पैसा हो तब राशन खरीद सकते हैं, यह एक बड़ी राहत है।"

– माया देवी
अध्यक्ष, सीता नारी संघ

लेकिन काम मिलने के बाद भी समस्यायें खत्म नहीं हुई थी। एक बार हम लोगों ने मनरेगा के अर्न्तगत 20 दिन तक काम किया , लेकिन हमारी मजदूरी का भुगतान समय से नहीं किया गया। चूँकि मेरे हाथ में पैसा नहीं था, मैं राशन नहीं ले सकती थी, राशन की दुकान महीने में दो दिन ही खुलता था और हमसे उन्हीं दिनों में राशन लेने की उम्मीद की जाती थी। अगर कोई बाद में राशन लेने जाता था तो उसे नहीं मिल सकता था।"

"जैसे ही मुझे मजदूरी मिली मैं कोटे की दुकान पर गयी। लेकिन कोटेदार ने कहा कोटा खत्म हो गया है अब अगले महीने ही मिल पायेगा। उसने मेरे नुकसान के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया , उसने कहा जब दुकान खुली थी मुझे तभी आना चाहिए था।"

अक्सर बहुत से लोगों को पी0डी0एस0 के नियमों के बारे में पता नहीं है इसीलिए कोटेदार अपने अनुसार बनायी गयी व्यवस्था लोगो पर थोपता था। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपने कार्ड धारकों के लिए , जो माया देवी की तरह मुश्किल से किसी तरह का नकद बचत करते है। परंतु कोटेदार को इससे कोई मतलब नहीं था। माया देवी परेशान थी, लेकिन वह चुप नहीं थी।

नारी संघ की बैठक में अपनी समस्या रखने के बाद, उन्होंने राशन की दुकान की कार्य प्रणाली जानने के लिए सूचना के अधिकार के तहत आवेदन डाला। वह जाना चाहती थी कि दुकान महीने में कितने दिन खुलना चाहिए और उचित दर क्या है व उनके परिवार के लिए कितने मात्रा में अनाज व मिट्टी का तेल मिलना चाहिए।

आमतौर पर जैसा होता है ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग से सम्बन्धित अधिकारी का जबाव नहीं मिला लेकिन उन्होंने ,उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। उसने कोटेदार को भी बुलाया ,जिसे यकीन था कि वह उसके खिलाफ कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होगी। अधिकारी कोटेदार के पक्ष में था और उसने कार्रवाई हेतु पहल करने के लिए माया देवी का चेतावनी देते हुए कहा कि वह उनके कार्ड को निरस्त कर सकते है और कार्रवाई के लिए जेल भी भेज सकते है। जब वह उन्हें गुमराह करने और धमकी देने की कोशिश कर रहा था तो माया देवी चुप थी। उन्हें पता था कि वह क्या कर रही थी और अच्छी तरह से उसे बेनकाब करने के लिए जानकारी लिया गया था। उन्होंने अपने आवेदन के लिए एक औपचारिक जबाव प्राप्त करने के लिए जोर देते हुए कहा कि, "आप मुझे आपेक्षित जानकारी देगें या नहीं देगें? यदि आप नहीं देते है ,तो मेरे पास और विकल्प है ,उनका इस्तेमाल करने पर आप मेरे घर पर आकर जानकारी देगें।" उन्होंने कहा कि उन्हे जिला अधिकारी के पास जाना होगा और नारी संघ के गतिविधियों के बारे में बताना होगा। उनसे यह सुनने के बाद उसने अपनी प्रतिक्रिया बदल दिया और निर्धारित समय में सूचना भेजने का वादा किया।

माया देवी ने 20 दिन में जानकारी प्राप्त किया। इस जानकारी के आधार पर वह कोटेदार की महीने में दो दिन दुकान खोलने के अभ्यास को चुनौती दिया। वह हर दिन दुकान खोलने लगा था। लोगों को पर्याप्त राशन मिलना शुरू हो गया। माया देवी का कहना कि, अब लोगों के पास जब पैसा हो तब राशन खरीद सकते है, यह एक बड़ी राहत है। वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है और इसका श्रेय माया देवी व संगठन को जाता है।

14. नारीसंघ की नेतृत्वकर्ता पंचायत प्रतिनिधि के रूप में

प्रभावती देवी सद्भावना नारीसंघ ओरई की अध्यक्ष है और साथ ही वे निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि भी है और उनको अपने कार्य एवं जिम्मेदारी पर गर्व है। उनकी संयमित अभिव्यक्ति मे भी गहराई दिखाई देती है।

42 वर्षीय प्रभावती देवी बस्ती जिले के सदर ब्लाक के ओरई ग्रामपंचायत के नन्दपुर गॉव की निवासी है। उनके 5 बच्चे है।कुछ साल पहले जब उनके पति का निधन हेा गया, तब उनको अनेक समस्याओ का सामना करना पडा। विधवा के लिए संयुक्त परिवार मे जीवनयापन करना आसान नही था। परिवार के सदस्यो की अनेक प्रताड़नाओ का शिकार होने के बाद ही उन्होने अपने बच्चो के साथ परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया और इस दौरान अनेक चुनौतियो का सामना करते हुए वे अपने परिवार का जीवनयापन करने मे सक्षम हुई। एकल महिला के जीवन मे आने वाली अनेक समस्याओ का सामना भी उन्होने हिम्मत के साथ सामना किया। इन सभी समस्याओ के बावजूद भी उनका जोश एवं जज्बा कम नही हुआ अपितु वे जीवन मे नयी ऊंचाइयो को छूती रही।

सदभावना नारीसंघ ओरई का गठन मार्च 2010 मे हुआ। प्रभावती देवी प्रारम्भ से ही इसकी सदस्य है।यहॉ पर ही उन्होने समझा एवं जाना कि उनके अधिकार क्या है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान मे नारीसंघ के 160 सदस्य है और वे सदस्यो को मुददो की पहचान की पहचान करके पहल करने के लिए प्रेरित भी करती है।

नारीसंघ के गठन के पश्चात ही वे पंचायत चुनाव मे वार्ड सदस्य के पद के लिए खडी हुई और निर्विरोध निर्वाचित हुई। प्रभावती देवी बताती है कि चुनाव के दौरान और आज भी नारीसंघ की बहनो ने उनका पूरा सहयोग किया और आज जब वे निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप है तो नारीसंघ की बहनो के हक एवं अधिकारो को तक पहुॅचने मे सहायता भी करती है।

"एक बार प्रधान ने बताया कि जिन महिलाओ के पति पहले से ही मनरेगा मे काम कर रहे है, उन्ही के घर की महिलाओ को काम मिल सकता है।"

– प्रभावती देवी

अध्यक्ष, सद्भावना नारीसंघ औरई

नारीसंघ की अर्जित अनेक सफलताओ को बताते हुए प्रभावती देवी गर्व महसूस करती है।वो बताती है कि "हम लोग अनेक परिवर्तन लाने मे सक्षम हुए।" सबसे महत्वपूर्ण घटना बताते हुए कहती है कि महिलाओ को मनरेगा मे रोजगार मिला और वे बैक मे खाता खुलवाने के लिए गयी, वहॉ बैंक मैनेजर महिलाओ से बिना रिश्वत लिए खाता खोलने के लिए तैयार नही हो रहा था। किन्तु नारीसंघ के प्रयासो एवं जानकारी के कारण वे अपना खाता खुलवाने मे सफल हुई। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि मनरेगा मे काम करने के बाद से महिलाओ ने कृषि कार्यो से संबंधित मजदूरी को भी बढाने मे सफलता प्राप्त की। प्रभावती देवी इन सभी सफलताओ का श्रेय नारीसंघ को देते हुए कहती है कि इसके बिना कोई भी विकास अथवा परिवर्तन संभव नही था।

प्रारंभ मे मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कामो मे लैंगिक (जेण्डर) भेदभाव होता था। "बहुत ही कम महिलाओ को मनरेगा मे काम मिलता, प्रधान एवं रोजगार सेवक से काम मांगने पर वे कहते कि महिलाए भारी एवं तकनीकी काम जैसे खडण्जा लगाना, फावडा चलाना आदि नही कर पाएंगी।"

यह तो पक्षपात का एक ही पहलू था और दूसरी ओर प्रभावती देवी जैसी एकल महिलाओ को मनरेगा मे जॉबकार्ड बनवाना ही कठिन था। अनेक चुनौतियो का सामना करके वे बावजूद जॉबकार्ड बनवाने से तो सफल रही किन्तु काम मिलने की कोई भी उम्मीद ही नही नजर आ रही थी। काम का आवेदन देने पर कहा जाता कि एकल महिलाओ को मनरेगा मे काम का कोई प्रावधान ही नही है। प्रभावती देवी याद करते हुए प्रधान का वाक्य दोहराती है "सिर्फ उन्ही महिलाओ को काम मिलेगा, जिनके पति पहले से

ही मनरेगा मे काम कर रहे है।" उसको इसकी परवाह ही नही थी कि एकल महिलाएं इस स्थिति मे क्या कर सकती है। नारीसंघ ने लोगो के दोनो ही महिला विरोधी विश्वासो को चुनौती देते हुए मनरेगा मे काम किया। महिलाओं ने टोली बना करके गड्ढा खोदने, मिटटी फेकने एवं खण्डजा बनाने का काम भी सफलता पूर्वक सम्पन्न किया। महिलाओ ने परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए सफलतापूर्वक काम करने एवं उसकी पुरूषो के समान ही मजदूरी मिलने से बहुत खुश हुई और आगे बढने का हौसला भी मिला। जब महिलाओ ने सभी काम कर दिए, तब से प्रधान या अन्य कोई भी पुरूष उनकी क्षमता को चुनौती नही देता।

काम के अधिकार के लिए काम करते हुए ही महिलाओ ने असमान कृषि मजदूरी के मुददे पर भी पहल की।सामान्यत लोगो की यह धारणा रही है कि महिलाए पुरूषो के बराबर मेहनत का काम नही कर सकती और इसलिए उनके काम को महिलाओ के काम की अपेक्षा अधिक मूल्य एवं महत्व मिलता है। पुरूषो की तुलना मे महिलाओ को कम मजदूरी देने के अवधारणा थी। प्रभावती देवी बताती है कि " हमारे गॉव मे पुरूषो की मजदूरी जब 60 रूपए थी तब महिलाओ को सिर्फ 40 रूपए ही मिलता था।" सामान्यतः लोग इसको भी एक नियम ही मानते थे। हालांकि नारीसंघ के गठन के बाद मनरेगा मे काम करके महिलाओ ने यह समझा कि वे भी पुरूषो के बराबर ही तकनीकि काम एवं मेहनत करती है, किन्तु उनके कामो को फिर भी कम महत्व दिया जाता है। अतः उन्होने कृषि कार्यो की मजदूरी मे असमानता को चुनौती देने का निर्णय किया।

प्रभावती देवी बताती है कि "नारीसंघ ने भूस्वामियो के विरूद्ध कम एवं असमान मजदूरी के मुददे पर आवाज उठाने का निर्णय लिया। हम लोगो ने कहा कि जब महिला–पुरूष दोनो ही बराबर मेहनत करते है तो हम लोगो को भी समान मजदूरी मिलनी चाहिए। जब हम लोगो ने इस बात को गॉव मे लोगो के सामने रखा, तब पुरूषो ने इसका विरोध किया। सबसे महत्वपूर्ण बात रही कि जिन महिलाओ ने आगे बढ़ करके यह बात रखा, उन लोगो को अलग कर दिया गया और उन लोगो को कही भी काम नही मिला।" समाज से इस तरह की प्रतिक्रिया आने के बाद सभी महिलाओ ने संगठित हेा कर सर्वसम्मति से इस मांग को दोहराया। महिलाओ के संगठन के समक्ष गॉव वालो ने नरमी दिखाते हुए आश्वासन दिया कि अगले साल मजदूरी मे वद्धि हो जाएगी। इसलिए 2011 मे हम लोगो की मजदूरी 60 रूपए से बढ करके 100 रूपए हो गयी।

पंचायत की निर्वाचित प्रतिनिधि होने के कारण ग्रामपंचायत की बैठको मे महिलाओ से संबंधित मुद्दो को उठाती है। वे योजनाओ के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सेवादाताओ से बराबर ही मिलती रहती है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओ के वितरण के अंतर्गत उन्होने पहल करके 15 पात्र व्यक्तियो की वृद्धा पेशन दिलवाने मे सफल रही। वे अपनी भुमिकाओ अर्थात निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि एवं नारीसंघ की अध्यक्ष, दोनो ही पदो के साथ न्याय करते हुए सफलतापूर्वक वहन कर रही है।

15. नारी संघ और महासंघ की अध्यक्ष

सीमा सरोज महिलाओं की स्थिति और उन्हें जो महसूस होता है उसे बताते हुए कहती है कि, "महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है,मैं सोचती हूँ कि मेरा जीवन घूँटे में बंधी गाय से अलग नहीं है, लेकिन मुझे आशा है किसी दिन इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा।"

उनके अनुसार दलित व अन्य पीड़ित समुदाय की महिलाओं की स्थिति, अच्छे परिवार की महिलाओं की तुलना में ठीक नहीं है। यद्यपि, यदि परिवार स्तरीय स्थिति को अलग रख दिया जाय तो, महिलाओं पर एक या अन्य तरह के प्रतिबंध होते है और महिलाओं अपने स्वयं के जीवन से सम्बन्धित फैसले लेने के लिए भी स्वत्रंत नहीं है।

उनके और बहुत सी ऐसी महिलाओं के जीवन के मामले में ,नारी संघ एक निर्णायक बिंदु साबित हुआ। बाहर कदम निकाल कर अपनी क्षमता का पता लगाने के लिए, यह संगठन उन्हें एक अवसर प्रदान कर रहा था और वह भी इसे एक अवसर के रूप में देख रही थी।

"यहां तक कि मेरे पति भी मुझे साइकिल से बैठकों में छोड़ आते हैं और जब कि अब मैं और अधिक विश्वास के साथ परिवार में निर्णय कर रही हूँ।"

—सीमा सरोज

अध्यक्ष, चिंगारी नारीसंघ और महासंघ

27 वर्षीय सीमा देवी, प्रतापगढ़ जिले में, लालगंज ब्लाक में अजहरा ग्राम पंचायत की निवासी है और अनुसूचित जाति के समुदाय से है। वह विवाहित है व उनके तीन बच्चे है और कक्षा 10 तक पढ़ी लिखी है। वह मजदूरी का कार्य करती है और उनके पति सब्जी विक्रेता है। यह दम्पति जो किसी तरह से जो मिलता है उसी में प्रबंधन करता है।

जब से नारी संघ के गठन का शुरूआत हुआ था सीमा सरोज तभी से शामिल है , लेकिन उन्होंने इसके बारे में अपने पति से नहीं बताया था। किन्तु एक दिन उसे इसके बारे में पता चल गया और उनसे नाराज हो गया। अब तक , सीमा सरोज को नारी संघ की गतिविधियों के प्रति जुड़ाव हो गया था और उन्होंने इसके साथ जुड़े रहने का निश्चय किया। इन सबसे ऊपर वह आगे की तरफ देख रही थी और अन्य महिलाओं के साथ काम करने में सक्षम होने के लिए जाब कार्ड प्राप्त किया। धीरे–धीरे उनके पति की शिकायत भी कम होने लगी और उनके खिलाफ कुछ भी बोलना बंद कर दिया।

चिंगारी नारी संघ का गठन अप्रैल 2010 में हुआ था और वर्तमान में 150 महिलायें उसकी सदस्य है। सीमा सरोज को नारी संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और बाद में नारी महा संघ की भी अध्यक्ष हुई। उनके नेतृत्व में बहुत पहले जाब कार्ड प्राप्त करने के लिए पहल किया गया था। लगभग 60 महिलाओं को बहुत कठिनाई के साथ अपना जाब कार्ड प्राप्त हुआ। यह उनके लिए विजय का क्षण था। लेकिन काम मिलना और भी कठिन था।

नारी संघ द्वारा लगातार मांग के बाद 15 महिलाओं को काम मिला लेकिन पुरूश मजदूरों द्वारा एक तरह से उनका बहिष्कार कर दिया गया। महिलाओं ने अपने दम पर उतने ही कुशलता से काम किया। अपनी क्षमता या कौशल से सम्बन्धित गलतफहमी को स्पश्ट करने के बाद उन्होंने नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया।

यहॉ मनरेगा कार्य स्थलों पर दूसरी समस्या भी थी। सीमा देवी का कहना है कि, मेठ बुरे विचारधारा का और हमें परेशान करता था। " नारी संघ की महिलाओं ने एक मेठ को प्राथमिकता दिया जो उनके साथ आरामदायक ढंग से काम करता है। इसलिए उन्होंने पुरूष मेठ का विरोध किया और नारी संघ की सदस्य सुनीता देवी का मेठ के रूप में चुनाव किया गया।

धीरे–धीरे ज्यादा महिलाओं ने काम करना शुरू कर दिया। अब लगभग 115 महिलायें नरेगा कार्यस्थल पर काम कर रही है। वे कहती हैं कि , " हम काम करना चाहते है अब और निष्क्रिय नहीं बैठगें। " यह काम महिलाओं के लिए बहुत मायने रखता है और सीमा सरोज भी इसकी अपवाद नहीं है। यह उन्हें अपने दम पर होने का अवसर देता है, इससे उनकी बचत में वृद्धि हुई है और अपने आमदनी पर नियत्रंण का मायने दिया है।

सीमा सरोज सक्रिय रूप से विकास दल में भी शामिल हुई, यह समूह गॉव में मनरेगा के अर्न्तगत होने वाले कार्यो के लिए संभावित मनरेगा कार्ययोजना के लिए प्रारूप तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह समूह इस तरह से कार्ययोजना बनाता है जिससे काम करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को 100 दिन का काम स्थानीय स्तर पर ही मिल जाय।

अध्यक्ष के रूप में सीमा सरोज ने सोच समझकर अपने काम के अधिकार के लिए सदस्यों को शामिल होने पर जोर दिया। विशेष रूप से मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए इनहोंने मीन समितियों का गठन किया, उनमें से एक काम की मांग ट्रैक करता है ,दूसरा काम करवाता है और तीसरा कार्यस्थल पर मिलने वाली सुविधाओं का देख्ता है। वह इन तीनों के साथ सहयोग से काम करती है और इनके बीच समन्वयन बनाये रखती है।

मनरेगा के बारे में जागरूकता फैलाने और इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाने के लिए संगठन ने ठोस कदम उठाये है और सुविधाजनक सिस्टम विकसित किया है। उसमें से एक उपाय ब्लाक सतरीय समिति– मनरेगा समन्वयन समिति है जो ब्लाक स्तरीय अनुसरण के लिए जिम्मेदार होती है। सीमा देवी भी इस समिति की एक सदस्य है। समिति की बैठकों में उन्होंने फोरम का ध्यान महिलाओं द्वारा जाब कार्ड प्राप्त करने की मांग की तरफ आकर्षित करवाया। उन्होंने जाब कार्ड वितरित करवाने की प्रक्रिया को गति देने का सुझाव दिया क्योंकि कई गॉव की महिलायें जाब कार्ड प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। इसके परिणाम स्वरूप इस ब्लाक में अब नारी संघ से जुड़ी सभी महिलाओं के पास जाब कार्ड है।

कई बार परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से पति की मानसिकता बदलना बहुत मुश्किल होता है। सीमा सरोज इस स्तर पर सफलता पाने मे सक्षम रही। वह खुशी के साथ बताती है कि, "अब परिवार के लोग मेरे काम की सराहना करते हैं। कभी–कभी मेरे पति अपनी साइकिल पर मुझे बैठक में छोड़ आते है और मैं अधिक विश्वास के साथ परिवार में निर्णय ले रही हूँ। जाहिर है, महिलाओं ने घर के बाहर और भीतर दोनों जगह अपने अधिकारों को सुरक्षित कर रही है।

16. सहायक एवं सक्रिय नेतृत्वकर्ता

"पहले मुझे किसी से मिलने एवं बात करना मे संकोच लगता था।" यह कहना है गाजीपुर जिले के सदर ब्लाक के ग्रामपंचायत विशनुपुर पिपरी की रहने वाली उषा देवी का, लेकिन यह नारीसंघ के गठन के पहले की स्थिति थी। पहले संकोची एवं शर्मीली उषा देवी अब साहस एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण नेता मे तब्दील हो गयी है और वर्तमान वे दुर्गा नारीसंघ की अध्यक्ष भी है। उनकी छवि मे सकारात्मक परिवर्तन आने के परिणामस्वरूप ही उनका आत्मविश्वास भी बढा है।

हालांकि नारीसंघ मे उनका प्रवेश आकस्मिक ही था। पहली बार उन्होने बैठक मे पूरे उत्सुकता से प्रतिभाग किया, लेकिन वे अपने पति के गुस्से से बैठक मे आने से डरती थी, अतः वे जब बाहर होते तभी वे बैठक मे जाती थी। उन्होने सभी बैठको मे तो प्रतिभाग नही किया था लेकिन कुछ मे आ करके ही उन्हे संगठन एवं चर्चा अच्छी लगने लगी। "मुझे याद है कि जब मै पहली बार बैठक मे आयी, तो उस चर्चा से मुझे बहुत जानकारी प्राप्त हुई इसलिए मै प्रत्येक बैठक मे आने का प्रयास करने लगी।" उषा देवी आज नारीसंघ की प्रतिबद्ध एवं समर्पित सदस्य है। अंत मे 106 सदस्यीय नारीसंघ की अध्यक्ष भी चुनी गयी। अध्यक्ष के रूप मे वे लोगो को उनकी समस्याओ का समाधान करने मे मदद करती है।

अन्य जगहो की अपेक्षा मे इनके गॉव के लोग मनरेगा कानून से अनभिज्ञ नही थे। कुछ लोगो का तो पहले से जॉबकार्ड भी बना था और काम भी मिल रहा था, हालांकि उन लोगो की भी मजदूरी का पूरा भुगतान नही हो पा रहा था। रोजगार गारण्टी कानून पर ग्रामप्रधान का ही नियंत्रण था और वह उन लोगो को कृषि मजदूरी के बराबर ही मनरेगा के काम का भी भुगतान करते थे।" लगभग 50 महिलाओ को मनरेगा के काम का भुगतान भी 50 रूपए प्रतिदिन के अनुसार ही हुआ था। नारीसंघ की बैठक मे आने से हम लोगो को जानकारी हुई कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगो का जितना पैसा मिलना चाहिए, अभी उसका आधा ही मिल रहा है, जबकि महिला–पुरूष दोनेा को ही समान मजदूरी मिलने का प्रावधान भी है।" महिलाओ को तब एहसास हुआ कि गॉव के उच्च जाति के शक्तिशाली एवं अमीर प्रधान अभी तक मजदूरो को धोखा दे रहे थे। महिलाओ ने संस्था से संपर्क कर अपनी पूरी मजदूरी प्राप्त करने का तरीका भी पूछा।

"ग्रामपंचायत मे मनरेगा के अंतर्गत जब भी कोई काम प्रारम्भ होना होता है, तब प्रधान नारीसंघ को सबसे पहले सूचित करते है। ग्रामसभा एवं अन्य आवश्यक बैठको की सूचना भी देते हैं।"

– उषा देवी
अध्यक्ष, दुर्गा नारीसंघ

ब्लाक कार्यालय मे समस्या के निवारण के लिए जाने से पहले महिलाए प्रधान से मिलने गयी। उनसे मिल करके महिलाओ ने प्रावधान के अनुरूप ही मजदूरी का भुगतान करने की बात की, किन्तु प्रधान उन लोगो की कोई भी बात सूनने के लिए तैयार नही था और उन्होने उनकी बातो को भी कोई महत्व देना जरूरी न समझा। इसके उपरांत नारीसंघ की महिलाए संबंधित मुद्दे को लेकर जिलाधिकारी के कार्यालय पहुॅची। उषा देवी उनके साथ हुई सफल बैठक को उत्सुकता के साथ बताती है, "हम लोगो ने बताया कि हम गरीब महिलाए है, हम लोगो को मनरेगा मे काम की आवश्यकता है, किन्तु प्रधान हम लोगो की बात नही सुनते और हम लोगो की मजदूरी मे से भी पैसा ले लेते है। हम लोगो ने उनको पूरी समस्या विस्तार से बतायी और उन्होने शीघ्र पहल करते हुए खण्डविकास अधिकारी को इस मुददे पर शीघ्र कार्यवाही करने का आदेश दिया।" जिलाधिकारी के

कार्यालय से महिलाए सीधे ही खण्डविकास अधिकारी के कार्यालय पहुॅची। उसी समय उन्होने भी प्रधान को बुलाया और प्रधान को चेतावनी भी दी।" हम लोगो को देखते ही प्रधान ने हम लोगो से माफी मांगी।" उसकी हताश मुद्रा मे मॉफी मांगना अभी भी इनको याद है। अगले ही दिन उसने सभी की मजदूरी का भुगतान भी कर दिया। उन्होने महिलाओ से कहा कि वे अपनी समस्या किसी अधिकारी को बताने के बजाय पहले उन्हे भी बता सकती है। उसके बाद उन्होने हमेशा हम लोगो को पूरी मजदूरी का भुगतान किया।

शक्तिशाली प्रधान को चुनौती देने मे महिलाओ ने बहुत साहस एवं हिम्मत से काम लिय। इस सफलता के साथ ही महिलाओ को संगठन की शक्ति एवं सूचना का महत्व दोनो ही बाते समझ मे आ गयी और परिणामस्वरूप महिलाओ का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। अंततः मनरेगा के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सामाजिक अंकेक्षण के आयोजन के लिए पैरवी की गयी। नारीसंघ के पहल एवं प्रयास के परिणामस्वरूप प्रधान ने पूरे कोरम के साथ ग्रामसभा का आयोजन निर्धारित समयांतराल पर करवाने लगे।

गॉव से संबंधित मुददो पर नारीसंघ की राय को भी महत्व मिलने लगा है, वो बताती है कि " अब यदि कोई काम प्रारंभ होने वाला होता है, तो प्रधान हम लोगो को पहले ही सूचित कर देते है, ग्रामसभा और अन्य बैठको की सूचना भी नारीसंघ को दी जाने लगी है और नारीसंघ के सदस्य इन बैठको मे पूरी संख्या मे प्रतिभाग भी करते है। ग्रामसभा की बैठक मे उठाए मुददेा को हम लोग बैठक रजिस्टर की कार्यवाही से भी मिलान कर लेते है।"

सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये परिवर्तन सतही न हो कर वास्तविक एवं निरंतर रूप से चलने वाले है। महिलाओ की ईमानदारी और निष्ठा मे सभी विश्वास करने लगे है। इसी तरह की एक घटना उषा देवी बताती है, " मनरेगा मे मेहनत से काम करने के बाद शाम को हम लोगो ने रोजगार सेवक से अनुरोध किया कि वे हम लोगो के काम को जॉच ले, तो रोजगार सेवक ने विश्वास के साथ कहा कि आप लोगो ने किया है तो जॉचने की कोई आवश्यकता ही नही है। प्रधान एवं रोजगार सेवक के विश्वास को देख करके भी हम लेागो को आत्मबल मिला।"

महिलाए अन्याय के खिलाफ हिम्मत, साहस एवं विश्वास से चुनौती देती है। पहले उषा देवी मनरेगा मे मेठ थी किन्तु अचानक उनको हटा करके अन्य किसी को मेठ बना दिया गया। महिलाओ ने इसका विरोध भी किया। इस मामले मे नारी महासंघ अध्यक्ष नन्हकी देवी ने भी हस्तक्षेप करते हुए रोजगार सेवक से उषा देवी को मेठ पद से हटाए जाने का कारण भी जानना चाहा। परिणामस्वरूप उषा देवी आज मेठ के रूप मे पुनः कार्य करने लगी।

महिलाए अब अपना महत्व स्थापित करने मे सक्षम हो गयी है।नारीसंघ की पहल को लेाग गम्भीरता से लेने भी लगे है।अब महिलाओ को सम्मान भी मिलने लगा है। पहले रोजगार सेवक, ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान महिलाओ के मुद्दो को अनदेखा एवं अनसुना करते थे, लेकिन आज वे नारीसंघ फोन पर हुयी बातो को सुनते एवं महत्व देने लगे है। अब हर काम के लिए पंचायत कार्यालय तक जाने की भी जरूरत नही रहती। "हम लेाग उनको फोन कर सकते है और वे हमारी बातो को सुनते एवं महत्व भी देते है।" ये बताते हुए नारीसंघ की अध्यक्ष गर्व महूसस करती है।

17. निडर और मुखर राजमनी देवी

"इससे पहले हम अपनी क्षमता को कम करके आंकते थे। हम सोचते थे कि हम अपने दम पर कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और चुपचाप भुगतना हमारी किस्मत में है। लेकिन नारी संघ ने हमारी स्वयं की धारणा को बदल चुका है, हमे हमारी महत्व और ताकत का एहसास हो गया है।" यह कहना है 35 वर्षीय राजमनी देवी का, जो वाराणसी जिले में,चोलापुर ब्लाक में, लाखनपुर ग्राम पंचायत के नारीसंघ की अगुआ है। इस संगठन का गठन मई 2011 में किया गया वर्तमान में इसमें 150 सदस्य है , राजमनी देवी सभी की भावनाओं को बताती है।

एक अगुआ के रूप राजमनी देवी ने मनरेगा कार्य स्थल पर काम की स्थिति सुधारने

"मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन में कुछ ठोस काम करने में सक्षम रही क्योंकि अब यहां मेरी जैसी कई महिलायें निडर व मुखर हो गयीं।"

—राजमनी देवी,
अध्यक्ष, लाखनपुर नारी संघ

के लिए काम किया, काम की मांग से लेकर कार्य स्थल पर मस्टर रोल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए, काम का ठीक से मापन के लिए, महिला और पुरूष मजदूरों के बीच काम के वितरण के लिए। इससे पहले कि वह अपने प्रयासों में सफल हो नारी संघ को कई चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ा।

जब महिलाओं ने पहली बार अपने अधिकार की मांग की तो प्रधान को बहुत गुस्सा आया। उसने चेतावनी दी कि, "यदि आप मेरे तरीके से काम करना चाहते है, तो काम करिये, अन्यथा कार्य स्थल छोड़ कर चले जाइये। महिलाओं ने बी0डी0ओ0 से शिकायत किया तथा उन्होंने प्रधान व पंचायत सचिव को मनरेगा के बारे में समझाया। इस घटना के बाद महिलाओं ने बिना समस्या के काम करना शुरू कर दिया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति में सुधार के लिए इसी प्रकार का पहल किया गया। जब महिलाओं ने कोटेदार को सबक सिखाने के लिए पी0डी0एस0 हेल्पलाइन का उपयोग किया तो वह डर गया और असानी से उन्हें उचित मात्रा देने लगा।

"हर चुनौती के बाद मुझे और अधिक विश्वास हो गया। मुझे खुशी है कि मैं अपने जीवन में कुछ ठोस कार्य करने में सक्षम रही क्योंकि वहां पर मेरे जैसी कई महिलायें मुखर और निडर हो गयी है। हममें से हर एक अपनी समस्याओं से निपटने के लिए आश्वस्त हो गयी है क्योंकि हम जानते है कि जरूरत के समय हमेशा नारी संघ हमारे साथ है," यह कहना है राजमनी देवी का, जिन्हें विश्वास है कि महिलाये अपने अधिकारों का दावा करती है और अपने अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए हमेशा एक दूसरे का समर्थन करती है।

18. नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते

36 वर्षीय राधिका देवी अम्बेडकरनगर जिले के जलालपुर ब्लाक के टिकरी ग्राम पंचायत की निवासी हैं। उनका विवाह 14 वर्ष की उम्र मे ही हो गया था, वे कृषि मजदूर के रूप में काम करती हैं। उनके 4 बच्चे हैं और पति का निधन हो चुका है।

उनका जन्म एक दलित परिवार मे हुआ था और उनका जीवन कठिनाइयो मे ही बीता था। उन्होने कक्षा 8 तक शिक्षा प्राप्त की। एकल महिला होने के बावजूद भी नारीसंघ से जुड करके सम्मान के साथ जीवन जीना सीख लिया है।

सावित्री बाई फुले नारीसंघ का गठन अप्रैल 2011 मे हुआ और संगठन के माध्यम से अपने अधिकारो के प्रति भी जानकार हुई। इसी वाक्य से उनका मार्गदर्शन हुआ परिणामस्वरूप आत्मबल भी मिला, "नही किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते"।

"जब हम लोग प्रधान के खिलाफ आवेदन डाले, तब गॉव के लोगो ने हम लोगो को निर्लज्ज भी कहा, क्योकि अभी तक उनके विरूद्ध जा करके किसी ने चुनौती नही दी थी।" राधिका देवी बताती है, जिन्होने लोगो की टिप्पणियो का कुशलता के साथ जबाव दिया। जब आप अपनी बकाया राशि के लिए दावा करते है तो विरोध एवं टकराव अनिवार्य है।

उन्होने पहले एकल महिलाओ के कल्याण से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजनाओ की जानकारी प्राप्त की और फिर जिला मुख्यालय से सभी योजनाओ से संबंधित आवेदन पत्र ले करके नारीमहासंघ एवं नारीसंघ की बैठको मे बताया, उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियो को सरकारी योजनाओ का लाभ मिल सके।

"हम लेाग सभी जानकारियों को अपने परिवार में बताते हैं, जिसके परिणामस्वरूप परिवार मे भी परिवर्तन हो रहे हैं।"

– राधिका देवी
सावित्री बाई फुले नारीसंघ

एक बार की घटना है जब गॉव की ही कुछ महिलाएं उनसे मिलने आयी। उन्होने बताया कि उन लोगो को पट्टे की जमीन मिली है, किन्तु अभी तक उस पर उनका कब्जा नही हो पा रहा है। प्रधान महिलाओ को सहयोग नही कर रहा था और जब समस्या बताने जाती तब उन लेागो की बातो ध्यान भी नही देता। अतः महिलाओ ने उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। जब पुलिस ने महिलाओ को थाने पर बुलाया, तब महिलाए डरने लगी, राधिका देवी ने उनका सहयेाग करने के लिए उनके साथ गयी। उन्होने महिलाओ की हिम्मत बंधा करके थाने तक ले गयी और वे भी पहली बार ही थाने पर गयी थी, किन्तु उनको अपने संगठन पर पूरा विश्वास था और इसी कारण वे पूरी घटना पर अच्छी तरह से पहल करने सक्षम हुई।

अभी एक अन्य मुद्दे पर राधिका देवी ने लोक अदालत मे प्रतिभाग करके काम के अधिकार के मुद्दे पर पहल किया। जिसके परिणामस्वरूप 60 लोगो को मनरेगा मे 15 दिन का काम प्राप्त हुआ। सत्ताधारियो के खिलाफ आवाज उठाने के लिए साहस की जरूरत हेाती है और कई अवसरो पर वे अपने साहस का प्रदर्शन कर सफलता भी प्राप्त की है।

वे कहती है कि ''जीवन कठिन है किन्तु हम लोगो को संगठन पर पूरा भरोसा है। नारीसंघ की अन्य सहयोगी सदस्यो मुन्नी, शोभा, सुनीता, उर्मिला, समरथी के साथ मिल करके हम लोग महिलाओ को उनके अधिकारो के प्रति जागरूक करने का पूरा प्रयास करते रहते है। विश्व मानवाधिकार के अवसर पर 12 किलोमीटर रैली मे प्रतिभाग करके पुलिस को ज्ञापन दिया। इस तरह की पहल के कारण ही लोग जागरूक हो रहे है।"

राधिका देवी का कहना है कि मासिक बैठक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से प्राप्त होने सूचना एवं जानकारी समझ विकसीत करने के उददेश्य से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।" मै बैठको एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमो के माध्यम से प्राप्त जानकारी को परिवार मे भी चर्चा करती है, परिणामस्वरूप उनमे भी परिवर्तन दिखाई देने लगा है। "

19. एक सच्ची नेतृत्वकर्ता संगीता देवी

45 वर्षीय संगीता देवी ,अम्बेडकर नगर जिले में, जलालपुर ब्लाक में ,गुवावा ग्राम पंचायत की रहने वाली है। उनकी शादी कम उम्र में ही हो गयी थी और ये चार बच्चों की मॉ है। 13 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी हो गयी थी और 25 वर्ष की आयु में विधवा हो गयी। उन्होंने पुनर्विवाह के लिए इन्कार कर दिया और अपने चार बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करने लगी। एक स्थानीय जमींदार के यहां वह कृषि मजदूर के रूप में काम करने लगी और अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था।

नारी संघ की गठन की प्रक्रिया ने आगे की तरफ देखने के लिए एक नया रास्ता दिया। यहॉ पर पहली बार उन्होंने नरेगा के बारे में सीखा और इस कार्यक्रम से लाभ पाने के लिए संगठन से जुड़ गयी। कुल 192 महिलायें सावित्री बाई फूले नारी संघ के साथ जुड़ी है, जिसका गठन मार्च 2010 में किया गया।

मनरेगा के तहत काम सुरक्षित करने के लिए संगीता देवी ने आत्मविश्वास के साथ काम किया और प्रधान ,पंचायत सचिव व अन्य संबन्धित अधिकारियों का सामना किया। काम के अधिकार पर प्रशिक्षण लेने के बाद वह अपने अधिकारों को पाने के लिए प्रेरित होने लगी। उन्होंने 98 महिलाओं की तरफ से काम की मांग का लिखित आवेदन दिया। महिलाओं ने अपने गॉव से 15 किलोमीटर दूर ब्लाक कार्यालय तक अपने खर्चे पर यात्रा किया। यहॉ पर ए0पी0ओ0 उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा था तो उन्होंने हेल्पलाइन का प्रयोग किया। महिलायें अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने के लिए नारे लगाने लगी। बी0डी0ओ0 स्वयं महिलाओं की शिकायत सुनने के लिए आया और ए0पीवओ0 को काम नकरने के लिए डॉट लगायी। इस नारी संघ ना केवल काम की मांग की बल्कि अपने गॉव में भूमि विकास कार्य के लिए जमीन भी सुझाया जिन पर दलित परिवारों का स्वामित्व था।

"जानकारी बढ़ने और बाहर आने जाने से मेरे अन्दर बदलाव आ गया। मुझे एहसास हुआ है कि अगर हम साथ रहेगें तो ही हमारा विकास होगा।"
– संगीता देवी
सावित्रीबाई फूले नारीसंघ, गुवावा

लेकिन जिस काम को 15 दिन की मंजूरी मिली थी, उसे बीच में चार दिन के बाद ही बंद कर दिया गया। संगीता देवी ब्लाक कार्यालय पर गयी और बी0डी0ओ0 से पुनः काम शुरू कराने की मंजूरी लिया।

महिला मजदूरों को दिन भर के काम का केवल 50 रूपये ही मिलता था। लेकिन नारी संघ ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की और नरेगा के बराबर मजदूरी लेने का फैसला किया। स्थानीय जमींदारों ने नरेगा के काम को बंद करवाने की कोशिश किया, प्रधान के ऊपर दबाव बनाया जिससे उसने नरेगा का काम बंद कर दिया। लेकिन नारी संघ के सदस्यों ने प्रधान के इस निर्णय के लिए उनसे पूछताछ किया और उनसे कहा कि काम देकर वह कोई एहसान नहीं कर रहे है, वह केवल एक सरकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन करवा रहे है और वह नरेगा कानून के प्रावधानों के साथ हस्तक्षेप नहीं कर सकते है। महिलाओं ने बी0डी0ओ0 से सम्पर्क किया। संगीता देवी ने इस पर पहल के लिए नेतृत्व किया और स्थानीय जमींदार उनके इस उचित मांग के लिए सहमत हो गये। ग्राम सभा के माध्यम से नारी संघ, 27 जरूरतमंद परिवारों को महामाया योजना के अर्न्तगत लाभ दिलवाने में सफल हो गया।

वह कहती है कि, "मुझमें बहुत कुछ बदल गया और कुछ भी करने में संकोच नहीं लगता है। जानकारी बढ़ने और बाहर आने जाने से मेरे अन्दर बदलाव आ गया। मुझे एहसास हुआ है कि अगर हम साथ रहेगें तो ही हमारा विकास होगा।

20. निडर और मुखर चन्दा देवी

"हम लोग प्रधान एवं सचिव को ही बडे अधिकारी मानते थे, इसलिए हम लोग की उनसे बोलने की भी हिम्मत नही होती थी।" वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लाक के भदवा ग्रामपंचायत के नारीसंघ की अध्यक्ष चन्दा देवी बताती है। प्रधान के समक्ष उनका अधिकारो को प्राप्त करने के दावा करने के ढंग से लोग आश्चर्यचकित रह गए।

21 वर्षीय चन्दा देवी के 2 बच्चे है। एक गरीब मजदूर एवं जरूरतमंद होने के बावजूद भी पंचायत के समक्ष अपनी बातो को रखने मे सक्षम नही थी। किन्तु 2011 मे नारीसंघ के गठन से ही उन्हे साहस मिला। अभी नारीसंघ से कुल 75 सदस्य ही जुड़े है।

चन्दा देवी ने गठन की प्रक्रिया के प्रारंभ से नेतृत्व प्रदान किया है। वो बताती है कि "मुझे लगा कि संगठन से जुड़ करके ही मै अपनी समस्याओ पर पहल करके समाधान कर सकूँगी।" उनका नारीसंघ मे सक्रिय भागीदारी के परिणामस्वरूप ही सदस्यो ने उन्हे संगठन का अध्यक्ष चुना। अगुआ के रूप मे चुनाव से उनके आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। अध्यक्ष के रूप मे वे संगठन का सक्रिय नेतृत्व एवं मुखर हो करके महिलाओ के हक एवं अधिकारो को भी दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करती है। जाहिर है कि प्रधान को चन्दा देवी के परिवर्तित व्यक्तित्व अर्थात विनम्र एवं साहसी अगुआ महिला के रूप मे देखना नागवार गुजरा, परिणामस्वरूप मनरेगा मे उनके द्वारा किए गए काम की मजदूरी का भुगतान ही प्रधान ने प्रयास करके रोक दिया।

चन्दा देवी घटना का कुछ इस तरह से बयान करती है " अन्य सभी महिलाओ की मजदूरी का भुगतान हो गया, किन्तु मेरा पैसा बैंक मे ही नही जमा हुआ।जब मै प्रधान से पूछने गयी, तब उन्होने बैंक मे जा करके पता करने को कहा। बैंक मे दो–तीन चक्कर लगाने के बाद मै पुन प्रधान के पास गयी और वही पर उन्होने अपनी मंशा व्यक्त की, कि उन्होने उनकी मजदूरी ही बैंक को नही भेजी। "अभी तक तुम बहुत बड़ी नेता बन रही थी और अब दिखाते है कि हम क्या कर सकते है।" अहंकारी प्रधान ने उनसे कहा कि आप को न तो किए गए काम का भुगतान मिलेगा और न ही भविष्य मे मनरेगा मे काम, जाओ जो कर सकती हो कर लेना।

प्रधान ने सिर्फ उनका पैसा ही नही रोका, बल्कि संगठन की कुछ महिलाओ को अधिक सुविधाए दे करके नारीसंघ को तोड़ने का भी प्रयास करने लगा। चन्दा देवी उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया के लिए अभी तैयार नही थी। प्रधान के व्यवहार से निराश हो करके उन्होने संस्था से सहयोग मांगा। संस्था से उन्हे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी पता चला और उन्हे लगा कि प्रशिक्षण मे प्रतिभाग करके उनकी समस्याओं का भी कोई हल निकल पाएगा। वास्तव मे, प्रशिक्षण मे भाग लेना ही उनके लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ। इसी दौरान उन्हे बहुत सी महिलाएं भी मिली जो कि चुनौतियो के बावजूद संघर्ष करके अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ता के साथ आगे बढ रही है। उनको मनरेगा की हेल्पलाइन अथवा ब्लाक स्तर पर आयोजित मनरेगा लोकअदालत मे शिकायत दर्ज कराने का सुझाव मिला। अतः उन्होने दोनो ही स्थानो पर शिकायत दर्ज करायी। विभिन्न ग्रामपंचायतों की 135 महिलाओ ने मनरेगा से संबंधित समस्या के समाधान के लिए 13 जुलाई, 2011 को ब्लाक मुख्यालय पर एक जुलूस निकाला, जिसमे की चन्दा देवी ने भी सक्रिय सहभागिता की। खण्डविकास अधिकारी ने महिलाओ के साथ बैठक करने मे आनाकानी की, और जब अन्य कर्मचारियो ने आवेदन रिसीव करने के लिए बोले, तब महिलाओ ने दृढ़ता से कहा कि हमे बीडीओ से ही मिलना है। चिलचिलाती धूप एवं गर्मी मे भी महिलाए जोश के साथ नोरबाजी करके अधिकारी सं मिलने की मांग करती रही। हालांकि बी0डी0ओ0 ने पुलिस को भी बुला लिया, किन्तु इससे कोई भी समाधान नही हुआ। अंततः उनको महिलाओ से मिल करके आवेदन भी रिसीव किए और उन्होने 2 से 3 दिन के अंदर ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। महिलाओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि "यदि दो से तीन दिन के अंदर कोई कार्यवाही नही होती, तो हम लोग इस मुददे को जिलाधिकारी के समक्ष ले जाएंगे।" उन्होने अपने अपने वायदे को पूरा करते हुए महिलाओ की मांगो को पूरा किया एवं चन्दा देवी की भी मजदूरी उनके खाते मे आ गयी।

"महिलाओं ने मुझे अध्यक्ष चुन करके मुझमें बहुत ही विश्वास दिखाया है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करा सकूं।"

—चन्दा देवी
अध्यक्ष नारीसंघ

जैसे ही यह मुद्दा समाप्त हुआ, चन्दा देवी को एक अन्य चुनौती का भी सामना करना पडा। मजदूरी मिलने के एक दिन बाद ही प्रधान ने उनके घर मे पथराव कराके धमकी भी दी। नारीसंघ की बैठक मे चर्चा करके चन्दा देवी ने पुलिस मे शिकायत दर्ज कराया और नारीसंघ की सभी सदस्यो ने उनका पूरा सहयोग भी किया। पुलिस ने प्रधान को चेतावनी दी, तब उनको महसूस हुआ कि इस तरह के रणनैतिक दबावो से भी उन पर कोई प्रभाव नही पड़ सकता।

चन्दा देवी इस समयावधि मे नारीसंघ एवं संस्था से प्राप्त सहयोग की सराहना करती है। "अकेले मै कुछ भी नही कर सकती थी। पति भी मेरे विरोध मे थे, क्योकि उनको लग रहा था कि सत्ताधारी प्रधान को मै व्यर्थ मे चुनौती दे रही हूँ, यदि नारीसंघ एवं संस्था के कार्यकर्ता मेरे साथ नही होते तो मुझे गॉव से पलायन ही करना पड जाता।" प्रधान की दमनात्मक रणनीति के समक्ष भी नारीसंघ के सदस्यो ने साहस एवं हिम्मत से मेरा सहयोग किया। उनके प्रयास की लोगो ने सिर्फ प्रशंसा ही नही की बल्कि वे एक उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत की जाने लगी।

"महिलाओ ने मुझे अध्यक्ष चुन करके मुझमे बहुत ही विश्वास दिखाया है, अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मै सदस्यो के अधिकारो तक पहुॅच एवं प्राप्ति सुनिश्चित करा सकूॅ।" यह कहना है चन्दा देवी का, जोकि एक गरीब मजदूर से एक आत्मनिर्भर अगुआ के रूप मे तब्दील हो गयी है।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में
नागर समाज संगठनों की भूमिका और आगे की दिशा

● नागर समाज संगठनों की भूमिका

सामाजिक परिवर्तन के सम्बन्ध में ,सहयोगात्मक प्रयास का विशेष महत्व है क्योंकि दायरा व्यापक है और इसीलिए काम का प्रभाव है। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम एक सहयोगी कार्यक्रम होने के कारण इसमें संस्था की बहुत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य भूमिका है।

ई आर डब्लू कार्यक्रम में, विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और विशेषता रखने वाली कुल 37 पार्टनर संस्थायें हैं, जो 9 जिलों के, 666 ग्राम पंचायतों में समान लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ काम कर रही है। महिला अगुआ, नारीसंघ एवं नारी महासंघ की कहानियाँ ई आर डब्लू कार्यक्रम द्वारा जमीन स्तर पर शुरू हुए परिवर्तनों को दिखाता है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया की शुरूआत है और संस्था द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है।

इन संगठनों का पहला काम सहजकर्ता के रूप में, महिलाओं को एकजुट करने ,महिलाओं को समझ व अधिकारों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना और अपने अधिकारों के लिए पैरवी करने हेतु नेतृत्वकर्ताओं को सक्षम करना है। इनकी भूमिका बहुआयामी है और इस काम के हर स्तर पर इनकी विशिष्ट जिम्मेदारी है। नारीसंघ की शुरूआती प्रक्रिया में, संस्था महिलाओं तक पहुँच बनाने और महिलाओं को एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित करती है। नारीसंघ के सक्रिय होने के बाद उनकी भूमिका प्रेरक एवं प्रशिक्षक के रूप में बदल जाती है। संस्थायें ठोस जानकारी देती है, नेतृत्वकर्ताओं के क्षमता वृद्वि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और रणनीति बनाने में सहयोग करती है। संस्था का सहयोग, महिलाओं के संगठित पहल के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए सक्षम बनाता है। यह ब्लाक और जिले स्तर पर पहल एवं पैरवी के उद्देश्य के लिए भी सहयोग करते है। अंततः संस्थाएँ कठिन प्रयास करके पंचायत स्तरीय नारी संघ की महिलाओं के संगठन को सक्षम एवं सशक्त करने के लिए ब्लाक स्तरीय नारी महा संघ का गठन किया और विभिन्न ब्लाकों की महिलाओं को जिले स्तर पर एक सामूहिक एवं संगठित रूप मे साथ लाने के लिए अवसर उत्पन्न किया।

संगठनात्मक प्रयास के साथ काम करते हुए संस्थायें भी सीख प्राप्त करके आगे बढ़ रही है। पहली एवं सबसे महत्वपूर्ण बात, मुददा आधारित बिन्दु पर उनकी समझ एवं क्षमता का विकास हो रहा है। उनकी जानकारी का स्तर भी बढ रहा है। साथी संगठनो के साथ अनुभवो का निरंतर आदान प्रदान होने से सीखने के अनेक अवसर मिल रहे है जिसके परिणामस्वरूप संस्थाओं मे मानव संसाधनो का भी विकास हो रहा है।

सी0एस0ओ0 के विकास के साथ ही नयी संस्थाओ के अनुभवों मे वृद्धि हो रही है। इस काम के द्वारा कुछ संस्थाओ को सहायता भी प्राप्त होती है, मुख्य रूप से नयी संस्थाओ को अपने काम के आधार पर क्षेत्र मे पहचान भी स्थापित करने मे सहायता प्राप्त हो रही है। उन्हे स्वैच्छिक संगठनो के रूप मे मान्यता प्राप्त करने एवं महत्व बढाने मे भी सहायक हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इससे संस्थाओ के आत्मविश्वास मे भी वृद्धि हुई है। अनुभवी संस्थाएं अपने अनुभवो को एकीकृत करके ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने मे भी सक्षम हुई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ संस्थाओं ने लोक अदालत, सूचना का अधिकार, पंचायती राज और वन अधिकार से काम का अधिकार और भोजन के अधिकार को आगे बढ़ाया है।

पानी संस्थान के स्तर पर प्रोग्राम सपोर्ट टीम–पी.एस.टी. का गठन कर साथी संस्थाओं को मुद्दा आधारित एवं तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सक्रिय किया गया, इसमें अधिकारों का दस्तावेज, सरकारी कार्यक्रमों और प्रस्तावों एवं कानूनी और तकनीकी जानकारी भी शामिल है। पीएसटी प्रभावी रूप से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुये हैण्ड होल्डिंग के माध्यम क्षमता वृद्धि, बैठकों का अनुश्रवण और सहयोगात्मक देखरेख कर रही है। पीएसटी मुद्दा आधारित क्षमता वृद्विकार्यक्रमों और प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण को भी आयोजित करता है, जो पार्टनर संस्थाओ का ज्ञान बढ़ाने में मदद करता हैं। पीएसटी, पहल के लिए सामूहिक कार्ययोजना तैयार करने में भी सहयोग करता है और काम को उचित ढंग से दस्तावेजीकरण के लिए आसान प्रारूप के उपयोग का सुझाव देता है एवं उपलब्ध भी कराता है।

● आगे की दिशा

हालांकि कार्यक्रम के परिणाम उत्साहजनक है और पार्टनर संस्थाये जीवंत संगठनों के गठन के लिए सहजीकरण करने, अधिकार आधारित पद्धति में आने वाली चुनौतियों को कम करने मे सक्षम है। इस तरह के कार्य में कई तरह की चुनौतियां व मांग आती रहती है और संस्था को उसे पूरा करने के लिए जानकारी से युक्त किया जाना चाहिए। संस्था को दृढ़ता के साथ इस दृष्टिकोण में विश्वास होना चाहिए और आवश्यक जानकारी, दृष्टिकोण और पैरवी के साथ तैयार रहना चाहिए। इन्हें कानून, अधिकार, अधिकारों के स्रोतों और शासन के बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए।

अधिकार आधारित किसी भी काम में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ई आर डब्लू पार्टनर संस्थायें भी इसका सामना कर रही हैं। महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और मुख्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए वे प्रशासन और स्थानीय नेताओं के आलोचना का लक्ष्य बन गये है। कुछ लोगों को तो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से धमकियों का सामना करना पड़ा है लेकिन वे लोग इसे अपने काम के एक हिस्से के रूप में देखते है। इस काम में, अधिकार आधारित दिशा की ओर प्रशासन की नकारात्मक मानसिकता प्रमुख बाधा है। अक्सर बहुत से लोगों के हितों को इस प्रक्रिया ने चुनौती दी है, इन्होंने प्रतिक्रिया किया और काम करने की इस प्रक्रिया को दबाने की कोशिश किया। समुदाय स्तरीय कार्यकर्ताओं को धमकी देने और अपने साथ शामिल करने का भी प्रयास किया गया।

चुनौतियो के बावजूद भी पार्टनर संस्थाये अपने कार्यो का विस्तार करने के लिए उत्साहित है, एवं निम्न मुख्य मुद्दो पर भविष्य मे वे काम करना चाहती है।

- अब तक विशिष्ट परिवर्तनों का हासिल किया गया है, अब और अधिक प्रभाव के लिये समेकित परिवर्तनों और नारी संघ के सदस्यों की सामूहिक प्ररेणा के प्रयासों को बनाये रखने की जरूरत है।
- महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठित करने का प्रयास किया जायेगा।
- ग्राम सभा में नारी संघ को अपने एजेण्डे के साथ, मुखर और सक्रिय भागीदारी करने के लिए सहज करने का प्रयास किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिले स्तर पर पैरवी के लिए प्रयास किया जायेगा।
- नारी संघ का स्थायी पहचान बनाने की जरूरत है और इस दिशा में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण के हस्तक्षेपों को शामिल करके और आगे क्षमता वृद्धि करके सक्षम किया जायेगा।
- पंचायत स्तर पर सूचना एवं संदर्भ केन्द्र तैयार करना।
- समाजिक नागर संगठन की कल्पना है कि नारी संघ को आत्मनिर्भर ,महिलाओं के संगठन का सदस्यो द्वारा संचालन और संस्थाओं पर निर्भरता कम से कम हो। इसी उद्देश्य के साथ महिला अगुआ का क्षमता वर्धन जारी रखा जायेगा। नारी संघ को सभी सरकारी विभागों तक पहुॅचने के लिये बेहतर जानकारी से युक्त करने की आवश्यकता है। नारीसंघ को आगे ढांचागत विषमताओं के लिए जागरूक और चुनौतियों के लिए जानकारी से युक्त हो जाना चाहिए।
- अंत में, इस कार्यक्रम की कल्पना महिला अगुवाओं का समूह विकसित करना है जो परिर्वतन और महिला सशक्तिकरण के लिए पैरवी करेगा।

Empowering Rural Women-ERW Program Partners List

S. No.	ERW partner organizations	Chief Functionary	Telephone	E-mail Id	District	Block
1.	**Grameen Vikas Sansthan- GVS**	Mr. Shameem Abbasi	9415281073	gvsabbasi123@rediffmail.com; gvs.cso@gmail.com	**Ghazipur**	Sadar
2.	**Jan Gramin Vikas Sansthan- JGVS**	Ms. Vimala Maurya	9450571541	jgvsup@gmail.com		Jakhaniya
3.	**Jan Sewa Prashikshan Sansthan-JSPS**	Mr. Ram Bachan Bharati	9005674120	jspsngo@gmail.com		Devkali
4.	**Gyandeep Mahila Kalyan Samiti- GMKS**	Ms. Lalsa Bhardwaj	9415889777	lalsa.ghazipur@rediffmail.com		Manihari
5.	**Manav Sewa Samiti- MSS**	Ms. Sunita Singh	9450724472	mss_karanda@sify.com		Karanda
6.	**Jan Sewa Samiti- JSS**	Mr. Jamshed Alam	9918797970	jssgzp@gmail.com		Jamaniya
7.	**Gram Vikas Sewa Sansthan- GVSS**	Mrs. Kiran Baheti	9415381180	kiran.baheti@rediffmail.com; gvss007@gmail.com	**Pratapgarh**	Magraura
8.	**Lokpriya Janhit Sewa Sansthan- LJSS**	Mr. Niranj an Prakash Tiwari	9451275040	lokpriyapbh@gmail.com		Lalganj
9.	**Netaji Subhash Chandra Bose Jan Shiksha Prasar Samiti-NSCBJSPS**	Mr. Sadashiv Tripathi	9415745219	netajiaurain@rediffmail.com		Aaspur Devsara
10.	**Tarun Chetna-TC**	Mr. Nasim Ansari	9415230412	tarunchetna@rediffmail.com		Patti
11.	**Grameen Punarnirman Sansthan- GPS**	Mr. Rajdev Chaturvedi	9451113651	gps.azm@gmail.com	**Azamgarh**	Atrauliya
12.	**Jan Kalian Evam Gramin Utthan Sansthan - JKGUS**	Mr. Umashanker	9450821519	jkgus.um@gmail.com		Tahbarpur
13.	**Akhil Bhartiya Jyoti Mahila Sewa Sansthan - ABJMSS**	Ms. Anita Yadav	9415656016	mahilajouti@gmail.com		Phoolpur
14.	**Sri Ramdhani Jan Sewa Sansthan-SRJSS**	Dr. Pannalal	9451652085	pannalalji94@gmail.com		Ajmatgarh

15.	**Bhagwan Manav Kalyan Samiti- BMKS**	Mr. Ramesh Singh	9452050368	bmksmau@gmail.com	**Mau**	Ghosi
16.	**Mahila Gramodyog Sewa Samiti- MGSS**	Mrs. Radhika Mishra	9415836938	mgss_radhika@yahoo.co.in		Mohamadabad Gohna
17.	**Nehru Yuva Samajik Samarsata Sewa Samiti - NYSSSS**	Mr. Sher Narayan	9451132416	nyssssup@rediffmail.com		Ratanpura
18.	**Gramin Vikas Prayas Samiti -GVPS**	Ms. Savita Suman	9452284443	gvpsmau@gmail.com		Kopaganj
19.	**Jan Sahyog Sansthan- JSS**	Mr. Mahendra	9450520280	mpratap67@rediffmail.com		Badrao
20.	**Mahila Swarojgar Samiti- MSS**	Ms. Rekha Singh Chauhan	9415256472	mss_vo@rediffmail.com	**Varanasi**	Araji Line
21.	**Voluntary Association for Rural Upliftment & Networking-VARUN**	Mr. Anjani Kumar	9415812309	varun_kashi@yahoo.co.in		Cholapur
22.	**Brij Jan Jagran Samiti-BJJS**	Mr. Chandra Bhushan	9415240640	cbsingh17@yahoo.com		Kashi Vidhyapeeth
23.	**Sri Sachchidanand Shikshan Sansthan- SSSS**	Mr. R.A. Singh	9415914620	ssssvns@gmail.com		Harhua
24.	**Sadbhawana Grameen Vikas Sansthan - SGVS**	Mr. D.S. Singh	9450575727	sgvs_bst@rediffmail.com	**Basti**	Sadar
25.	**Bal Vikas Evam Mahila Utthan Sansthan - BVMUS**	Mr. Akhilesh Kumar Pandey	9451861831, 9454854728	bvmus_basti@yahoo.com		Gaur
26.	**Sampurn Sahyog Sansthan- SSS**	Mohamad Jamal	9838744805	sss_lko777@rediffmail.com		Parasrampur
27.	**Lok Jagriti Sansthan- LJS**	Mrs. Rajesh Tripathi	9451232090	lokjs@rediffmail.com	**Ambedkar nagar**	Katehari
28.	**Jan Shikshan Kendra- JSK**	Mr. R. B. Pal	9415183210	jskkutiyawa@rediffmail.com		Jalalpur
29.	**Gyanodaya Gramodyog Sewa Samiti - GGSS**	Mr. Gynadatt Singh	9415969644	ggss_fzd@rediffmail.com		Katehari
30.	**Gramin Mahila Shashaktikaran Karyakram Nagahara,** Bhiti, Ambedkarnagar.	Mr. Bharat Bhushan	9792445836	erw.bhiti@gmail.com		Bhiti

31.	**Sristhi Sewa Sansthan- SSS**	Mr. Sunil Kumar Pandey	9839591950	srishti_seva@yahoo.co.in	**Maharajganj**	Sadar
32.	**Jagriti Sewa Sansthan- JSS**	Mr. Sanjay Lal Srivastava	9919195922	jagriti_mah@rediffmail.com		Mithaura
33.	**Samadhan Manav Seva Sansthan- SMSS**	Mr. Vijai Kumar	9793151329	samadhan_1968@rediffmail.com		Partawal
34.	**Sarvodaya Seva Sansthan- SSS**	Mr. Aanad Mohan Lal Srivastava	9838523933	sarvodayseva@rediffmail.com		Pharenda
35.	**Nehru Yuva Gram Vikas Kalyan Seva Sansthan - NYGVKSS**	Mr. Sadhu Sharan Sharma	9919359486	nssmaharajganj@gmail.com		Nichloul
36.	**Rashtriya Jan Vikas Sansthan-RJVS**	Mr. Rajamani	9450085584	jvsleduka@rediffmail.com	**Jaunpur**	Buxa
37.	**Manav Kalyan Sewa Samiti-MKSS**	Mr. Sushil Kumar Tiwari	9415267420	mkssbahur@gmail.com		Khutahan

दस्तावेज में सामान्य रूप से उपयोग किये गये संक्षिप्त एवं स्थानीय शब्द

डी0एम0	–	जिलाधिकारी
ए0डी0एम0	–	सहायक जिलाधिकारी
बी0डी0ओ0	–	खण्ड विकास अधिकारी
डी0एस0ओ0	–	जिलापूर्ति अधिकारी
पी0ओ0	–	कार्यक्रम अधिकारी
मनरेगा	–	महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून
पी0डी0एस0	–	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
आर0टी0आई0	–	सूचना का अधिकार कानून
सी0एल0डब्ल्यू	–	समुदाय स्तरीय कार्यकर्ता
सी0एस0ओ0	–	नागर समाज संगठन
महिला मण्डल	–	पुरवा स्तरीय महिला संगठन
नारीसंघ	–	ग्रामपंचायत स्तरीय महिलाओ का संगठन
प्रधान	–	ग्रामपंचायत का निर्वाचित प्रतिनिधि जो ग्रामपंचायत का मुखिया होता है
कोटेदार	–	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का गॉव मे वितरण करने के लिए नियुक्त व्यक्ति
खुली बैठक	–	ग्रामसभा की बैठक जिसमे की कोरम की उपस्थिति मे गाव से संबंधित अनेक मुददो पर चर्चा की जाती है एवं पंचायत स्तरीय निर्णय भी लिए जाते है
रोजगार सेवक	–	ग्रामीण रोजगार गारण्टी कानून के अंतर्गतकानून एवं योजनाओ के क्रियान्वयन हेतु ग्रामपंचायत स्तरीय सेवादाता
ग्रामसचिव	–	ग्रामपंचायत स्तरीय योजनाओ को बनाना एवं ग्रामपंचायत के दस्तावेजीकरण करने वाला सरकारी कर्मचारी
मेठ	–	मनरेगा कार्यस्थल पर काम की देखरेख करने के लिए ग्रामीणो के मध्य से ही चयनित व्यक्ति
विकासदल	–	मनेरगा के अंतर्गत संभावित कार्ययोजना के निर्माण हेतु कार्यों के चिन्हीकरण करके ग्रामसभा मे प्रस्तुत करने वाला स्वैच्छिक दल।

Published by :
People's Action for National Integration-PANI under the Empowering Rural Women (ERW) program

Address :
PANI
Programme Support Team-PST
For Empowering Rural Women-ERW Programme in Uttar Pradesh
1/13/190 Civil Lines, Dist-Faizabad-224 001, UP
Phone & Fax No. 05278-225175, E-mail: panipst@gmail.com

Support :
SIR DORABJI TATA TRUST, MUMBAI